

Statement by Minister-

Status of implementation of Recommendations/Observations contained in the One Hundred Fifty-first Report and One Hundred Fifty-ninth Action Taken Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare- *Laid on the Table* (page -35)

Leave of Absence -Granted (page -35)

Matters raised with Permission-

Demand to rename Jabalpur Raipur intercity train 11720 as Acharya Vidyasagar intercity train (pages 35-36)

Need for urgent measures to prevent youth migration from Himachal Pradesh (pages 36-37)

Demand for inclusion of Rajasthan's mother tongue to the Eighth Schedule to the Constitution (pages 37-38)

Need to include Hemlibra in the National Essential Drugs List (EDL) for Haemophilia care (pages 38-39)

Need for linking Government-funded old age homes and orphanages with family-based residential care (pages 39-40)

Concern over sudden implementation and improper execution of National Education Policy (NEP) 2020 in Higher Education Institutions of Meghalaya (pages 40-41)

Demand for upgradation of Rangeilunda Airstrip into a Full-Fledged Brahmapur Airport in Ganjam, Odisha (pages 41-42)

Demand for naming the under construction Dhubri — Phulbari Bridge over the Brahmaputra River as Maharaja Biswa Singha Setu (pages 42-43)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>
<https://sansad.in/rs>

E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Need to enhance financial assistance for treatment of life threatening and rare diseases (pages 43-44)

Concern over Hydro Electric Power Projects in Jammu and Kashmir, especially in Chenab Valley (pages 44-45)

Need to address service conditions, vacancies and welfare of Teachers in the country (pages 45-46)

Need for nationwide expansion of 'Nari Adalat' women's grievance redressal mechanism (pages 46-47)

Demand for expediting Railway Projects in Telangana and fulfilling commitments under the Reorganisation Act (pages 48-49)

Concern over problems faced by cotton farmers in Andhra Pradesh and demand for procurement of cotton at MSP (page 49)

Demand for holistic review of the airline sector for accommodating future needs (pages 50-51)

Need for a Separate Railway Division at Chhatrapati Sambhajnagar under Central Railway Zone (page -51)

Demand for exemption of teachers appointed before 1st April, 2010 from the mandatory TET exam (page -52)

Demand for renaming Silchar Railway Station as Bhasha Sahid Railway Station (page - 53)

Demand for strong measures to curb narcotics trafficking in Rajasthan's Border areas and safeguard the youth (pages 53- 54)

Demand for exemption from mandatory TET for teachers recruited prior to the year 2010 (pages 54-55)

Demand for construction of ultra-modern storage facilities for all agricultural produce in the country (pages 55-56)

Oral Answers to Questions (pages 56-89)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

Discussion on the 150th Anniversary of the National Song Vande Mataram- Not concluded (pages 89-203)

RAJYA SABHA

Tuesday, the 9th December, 2025/18 Agrahayana, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR.CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

Report and Accounts (2023-24) of the HLL Medipark Limited (HML), Thiruvananthapuram and related papers

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Annual Report and Accounts of the HLL Medipark Limited (HML), Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 5215/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Power

II. Report and Accounts (2024-25) of various Corporation and Companies and related papers

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Power, issued under clause (a) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001: -

- (1) S.O. 3582(E)., dated the 4th August, 2025, specifying the energy consumption standards, as mentioned therein, for star labeled domestic liquefied petroleum gas stove for household use with effect from 01.01.2026.
- (2) S.O. 3984(E)., dated the 1st September, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 2528(E), dated the 8th August, 2017.
- (3) S.O. 5127(E)., dated the 12th November, 2025, specifying the energy consumption standards, as mentioned therein, having an output voltage of 230V ac, 50 Hz for single phase and up to and including 415 V ac 50 Hz for three phases Grid Connected Solar Inverter having rated capacity up to and including 100 kW, being manufactured or imported in India shall meet the specified criteria.

[Placed in Library. For (1) to (3), see No.L.T.5455/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Power Notification No. S.O. 3620(E)., dated the 6th August, 2025, specifying the Domestic Gas Stoves intended for use with Liquefied Petroleum Gas at 30gf/cm² gas inlet pressure, issued under clause (b) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 5455/18/25]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Power Notification No. G.S.R. 788(E)., dated the 24th October, 2025, publishing the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025, under Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 5454/18/25]

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Power Notification No. S.O. 5128(E)., dated the 12th November, 2025, specifying an output voltage of 230 V AC, 50 Hz for single phase and up to and including 415 V AC, 50 Hz for three phase grid connected solar inverters without storage up to and including 100 kW rated output power covered under the scope of IS 17980:2022 / IEC 62891:2020 and directing that any such appliance or class of appliances being manufactured or imported in India

shall display particulars on labels in the manner as specified through regulations by the Bureau, issued under clauses (b) and (d) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 5455/18/25]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Power, under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

- (1) L-1/250/2019/CERC., dated the 6th August, 2025, publishing a Corrigendum to the Notification No. L-1/250/2019/CERC, dated 26th June, 2025.
- (2) L-1/261/2021/CERC., dated the 9th September, 2025, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Third Amendment) Regulations, 2025.
- (3) G.S.R. 688(E)., dated the 19th September, 2025, publishing the Electricity (Amendment) Rules, 2025.
- (4) CEA-TH-17/1/2021-TETD Division., dated the 10th October, 2025, publishing the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Amendment Regulations, 2025.
- (5) L-1/261/2021/CERC., dated the 13th November, 2025, publishing a Corrigendum to the Notification No. L-1/261/2021/CERC, dated 31st August, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (5), see No.L.T.5456/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

- (i) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Power Finance Corporation Limited (PFC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
[Placed in Library. See No. L.T. 5433/18/25]
- (ii) (a) Fifty-sixth Annual Report and Accounts of the REC Limited, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5432/18/25]
- (iii) (a) Twenty-fifth Annual Report and Accounts of the NHDC Limited, Bhopal, Madhya Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5436/18/25]
- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the NHPC Limited, Faridabad, Haryana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5437/18/25]
- (v) (a) Fourteenth Annual Report and Accounts of the Chenab Valley Power Projects (CVPP) Limited, Jammu, U.T. of Jammu and Kashmir, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Review Note on the performance of above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5434/18/25]
- (vi) (a) Second Annual Report and Accounts of the THDCIL-UJVNL Energy Company Limited, Dehradun, Uttarakhand, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5439/18/25]

- (vii) (a) Fifth Annual Report and Accounts of the TUSCO Limited, Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5435/18/25]
- (viii) (a) Thirty-seventh Annual Report and Accounts of the THDC India Limited (THDCIL), Rishikesh, Uttarakhand, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5438/18/25]
- (ix) (a) Second Annual Report and Accounts of the TREDCO Rajasthan Limited, Jaipur, Rajasthan, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5440/18/25]
- (x) (a) Forty-ninth Annual Report and Accounts of the North Eastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO), Shillong, Meghalaya, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.
[Placed in Library. See No. L.T. 5441/18/25]

- I. Notifications of the Ministry of Finance**
- II. Reports and Accounts (2024-25) of the IFCI Limited, New Delhi; GIC of India, Mumbai and related papers; and Liquidator's Report on Voluntary Winding up Process of the IIBI Limited, Kolkata, West Bengal for the period from 01.04.2025 to 30.06.2025 and 01.07.2025 to 30.09.2025 and related papers**
- III. Reports and Accounts (2024-25) of SIDBI, Lucknow; LIC, Mumbai; (NHB), New Delhi; PFRDA, New Delhi and related papers**
- IV. Reports and Accounts (2024-25) of the various Institutes, Centres, School and Council and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, on behalf of my colleague, Shri Pankaj Chaudhary, I lay on the Table:—

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

- (1) G.S.R. 547(E)., dated the 12th August, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Platinum Jubilee Celebration of Indian Institute of Technology, Kharagpur) Rules, 2025.
- (2) G.S.R. 560(E)., dated the 18th August, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 108th Birth Anniversary of Shri Satyapramoda Teertha Swami Ji) Rules, 2025.
- (3) G.S.R. 580(E)., dated the 26th August, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Birth Centenary of Dr. Bhupen Hazarika) Rules, 2025.
- (4) G.S.R. 597(E)., dated the 1st September, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 150th Birth Anniversary of Acharya Jawahar Lal Ji Maharaj) Rules, 2025.
- (5) G.S.R. 724(E)., dated the 30th September, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 150th Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel) Rules, 2025.
- (6) G.S.R. 726(E)., dated the 30th September, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of one hundred years of Rashtriya Swayamsevak Sangh) Rules, 2025.
[Placed in Library. For (1) to (6), see No.L.T.5561/18/25]
- (7) G.S.R. 774(E)., dated the 22nd October, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 200th Anniversary of

Rani Channamma's victory at Kittur) Rules, 2025.

- (8) G.S.R. 800(E)., dated the 30th October, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Two Hundredth birth anniversary of Maharshi Dayanand Saraswati) Rules, 2025.
- (9) G.S.R. 801(E)., dated the 30th October, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of One Hundred Fifty Year Celebration of Arya Samaj) Rules, 2025.
- (10) G.S.R. 817(E)., dated the 4th November, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of completion of fifty years of NHPC Limited) Rules, 2025.
- (11) G.S.R. 822(E)., dated the 6th November, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of commemoration of 150 years of 'VandeMataram') Rules, 2025.
- (12) G.S.R. 860(E)., dated the 24th November, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Commemoration of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's 350th Martyrdom Day) Rules, 2025.
- (13) G.S.R. 867(E)., dated the 26th November, 2025, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of commemoration of 550th Year Celebration of Shree SamsthanGokarnPartagaliJeevottam Math) Rules, 2025.

[Placed in Library. For (7) to (13), see No.L.T.5562/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/275., dated the 21st November, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2025, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Section 27 of the Depositories Act, 1996.

[Placed in Library. See No. L.T. 5276/18/25]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of

Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/276., dated the 21st November, 2025, publishing the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Fourth Amendment) Regulations, 2025, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and sub-section (3) of Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

[Placed in Library. See No. L.T. 5305/18/25]

(iv) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

- (1) SEBI/LAD-NRO/GN/2022/94., dated the 22nd August, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2022, along with delay statement.
- (2) SEBI/LAD-NRO/GN/2024/216., dated the 5th December, 2024, publishing the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2024, along with delay statement.
- (3) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/256., dated the 2nd September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2025.
- (4) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/258., dated the 2nd September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- (5) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/259., dated the 2nd September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2025.
- (6) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/260., dated the 2nd September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2025.
- (7) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/262., dated the 8th September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Share Based

Employee Benefits and Sweat Equity) (Amendment) Regulations, 2025.

- (8) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/263., dated the 8th September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2025.
- (9) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/264., dated the 8th September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- (10) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/265., dated the 8th September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- (11) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/268., dated the 24th October, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2025.
[Placed in Library. For (1) to (11), see No.L.T.5275/18/25]
- (12) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/269., dated the 24th October, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2025.
[Placed in Library. See No. L.T. 5305/18/25]
- (13) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/271., dated the 31st October, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025.
- (14) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/272., dated the 31st October, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- (15) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/277., dated the 25th November, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- (16) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/278., dated the 25th November, 2025,

publishing the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (13) to (16), see No.L.T.5275/18/25]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under sub-section (3) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992: -

- (1) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/257., dated the 2nd September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/261., dated the 8th September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025.
- (3) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/270., dated the 24th October, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2025.
- (4) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/273., dated the 18th November, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (4), see No.L.T.5305/18/25]

(vi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

- (1) HO:Pension/Misc./2025/(E)., dated the 28th October, 2025, publishing the Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) Pen/01/2025(E)., dated the 28th October, 2025, publishing the Indian Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No.L.T.5289/18/25]

(3) HR&PRW IRV IR&PS 228A PP 1543 2025 (E)., dated the 30th October, 2025, publishing the Canara Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

(4) PSB/PEN/AMEND/1/2025(E)., dated the 12th November, 2025, publishing the Punjab and Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (3) and (4), see No.L.T.5562/18/25]

(5) HO/PSD/PEN/2025-26/147(E)., dated the 14th November, 2025, publishing the UCO Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5289/18/25]

(6) AX1/ST/OSR/120/2025-26., dated the 14th November, 2025, publishing the Bank of Maharashtra (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5288/18/25]

(7) CO: HCM: RBD: 2025-26:621(E)., dated the 17th November, 2025, publishing the Central Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

(8) HO:HR:TBD:25-26:235 (E)., dated the 18th November, 2025, publishing the Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (7) and (8), see No.L.T.5289/18/25]

(9) UBI HR 19048 (E)., dated the 20th November, 2025, publishing the Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5289/18/25]

(10) HO:HROPS:117:2567(E)., dated the 20th November, 2025, publishing the Bank of Baroda (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5288/18/25]

(11) HRMD/PEN/001/2025(E)., dated the 21st November, 2025, publishing the

Indian Overseas Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5289/18/25]

(vii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013:-

- (1) G.S.R. 639(E)., dated the 16th September, 2025, publishing the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2025.
- (2) PFRDA/05/1/0025/2017-HR., dated the 15th October, 2025, publishing the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No.L.T.5290/18/25]

(viii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. G.S.R. 514(E)., dated the 30th July, 2025, publishing the National Bank for Financing Infrastructure and Development General (Amendment) Rules, 2025, under Section 33 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021.

[Placed in Library. See No. L.T. 5555/18/25]

(ix) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 847(E)., dated the 14th November, 2025, amending the Principal Notifications G.S.R. 153(E)., dated the 1st March, 2011 and G.S.R. 781(E)., dated the 24th October, 2025, under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 5280/18/25]

(x) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 851(E)., dated the 17th November, 2025, levying anti-dumping duty on imports of 'Liquid Epoxy Resin' originating in or imported from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand for a period of 5 years, on the recommendations of DGTR, under sub-section (7) of Section 9A of the Customs

Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 5287/18/25]

(xi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) G.S.R. 641(E)., dated the 17th September, 2025, superseding Notification No. G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 5285/18/25]

- (2) G.S.R. 647(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 675(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 5283/18/25]

- (3) G.S.R. 650(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018.

- (4) G.S.R. 653(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 695(E), dated the 26th July, 2018.

- (5) G.S.R. 656(E)., dated the 17th September, 2025, notifying GST rates on supply of certain goods under chapter 68 and 69 as specified in the Schedule mentioned therein.

[Placed in Library. For (3) to (5), See No.L.T.5284/18/25]

- (6) G.S.R. 660(E)., dated the 17th September, 2025, superseding Notification No. G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 5282/18/25]

- (7) G.S.R. 663(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017.

- (8) G.S.R. 666(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017.

- (9) G.S.R. 669(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 696(E), dated the 28th June, 2017.

- (10) G.S.R. 783(E)., dated the 24th October, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 1263(E), dated the 31st December, 2018.

[Placed in Library. For (7) to (10), see No.L.T.5285/18/25]

(xii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda: -

- (1) G.S.R. 648(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 668(E), dated the 28th June, 2017.

- (2) G.S.R. 651(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018.

- (3) G.S.R. 654(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 699(E), dated the 26th July, 2018.

[Placed in Library. For (1) to (3), see No.L.T. 5284/18/25]

- (4) G.S.R. 661(E)., dated the 17th September, 2025, superseding Notification No. G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017.

- (5) G.S.R. 670(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 689(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. For (4) and (5), see No.L.T. 5282/18/25]

- (6) G.S.R. 784(E)., dated the 24th October, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 1266(E), dated the 31st December, 2018.

[Placed in Library. See No. L.T. 5285/18/25]

(xiii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda: -

- (1) G.S.R. 649(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 712(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 5284/18/25]

- (2) G.S.R. 652(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018.
- (3) G.S.R. 655(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 703(E), dated the 26th July, 2018.
[Placed in Library. For (2) and (3), see No.L.T.5285/18/25]
- (4) G.S.R. 662(E)., dated the 17th September, 2025, superseding Notification No. G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017.
[Placed in Library. See No. L.T. 5283/18/25]
- (5) G.S.R. 671(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 708(E), dated the 28th June, 2017.
[Placed in Library. See No. L.T. 5282/18/25]
- (6) G.S.R. 786(E)., dated the 24th October, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 1269(E), dated the 31st December, 2018.
[Placed in Library. See No. L.T. 5285/18/25]

(xiv) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) G.S.R. 642(E)., dated the 17th September, 2025, superseding Notification No. G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017.
[Placed in Library. See No. L.T. 5282/18/25]
- (2) G.S.R. 657(E)., dated the 17th September, 2025, notifying GST rates on supply of certain goods under chapter 68 and 69 as specified in the Schedule mentioned therein.
[Placed in Library. See No. L.T. 5284/18/25]
- (3) G.S.R. 664(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017.
- (4) G.S.R. 667(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. For (3) and (4), see No.L.T. 5282/18/25]

(xv) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 and Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) G.S.R. 646(E)., dated the 17th September, 2025, superseding Notification No. G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 5282/18/25]

- (2) G.S.R. 658(E)., dated the 17th September, 2025, notifying GST rates on supply of certain goods under chapter 68 and 69 as specified in the Schedule mentioned therein.

[Placed in Library. See No. L.T. 5284/18/25]

- (3) G.S.R. 665(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017.

- (4) G.S.R. 668(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 703(E), dated the 28th June, 2017.

[Placed in Library. For (3) and (4), see No.L.T.5282/18/25]

(xvi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) G.S.R. 562(E)., dated the 19th August, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 297(E), dated the 27th April, 2021.

- (2) G.S.R. 563(E)., dated the 19th August, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 743(E), dated the 27th November, 2020.

- (3) G.S.R. 793(E)., dated the 27th October, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 790(E), dated the 11th November, 2021.

- (4) G.S.R. 827(E)., dated the 7th November, 2025, imposing anti-dumping

duty on “Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%” originating in or exported from China PR and Hong Kong for a period of 5 years, in pursuance of sunset review final findings issued by DGTR.

- (5) G.S.R. 836(E)., dated the 12th November, 2025, imposing anti-dumping duty on “Hot rolled flat products of alloy or non-alloy steel” originating in or exported from Vietnam, for a period of 5 years, in pursuance of final findings issued by DGTR.

[Placed in Library. For (1) to (5), see No.L.T.5287/18/25]

(xvii) A copy each (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 659(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, issued under sub-section (2) of Section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 5286/18/25]

(xviii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda : -

- (1) G.S.R. 584(E)., dated the 28th August, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 561(E), dated the 18th August, 2025.

- (2) G.S.R. 645(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 302(E), dated the 9th May, 2025.

- (3) G.S.R. 728(E)., dated the 30th September, 2025, giving effect to the first tranche of tariff concessions under India-EFTA (Switzerland).

[Placed in Library. For (1) to (3), see No.L.T. 5280/18/25]

- (4) G.S.R. 729(E)., dated the 30th September, 2025, giving effect to the first tranche of tariff concessions under India-EFTA (Norway).

- (5) G.S.R. 730(E)., dated the 30th September, 2025, giving effect to the first tranche of tariff concessions under India-EFTA (Iceland).

[Placed in Library. For (4) and (5), see No.L.T.5281/18/25]

(xix) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued under sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962, and sub-section (12) of Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 along with Explanatory Memoranda: -

- (1) G.S.R. 643(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017.
- (2) G.S.R. 644(E)., dated the 17th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 476(E), dated the 6th July, 2019.
- (3) G.S.R. 717(E)., dated the 25th September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017.
- (4) G.S.R. 781(E)., dated the 24th October, 2025, merging 31 existing customs duty exemption Notifications into one Notification.

[Placed in Library. For (1) to (3), see No.L.T. 5280/18/25]

[Placed in Library. See No. L.T. 5281/18/25]

(xx) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 782(E)., dated the 24th October, 2025, amending several Principal Notifications, as mentioned therein, issued under sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962, Section 110 of the Finance Act, 2018, Section 141 of the Finance Act, 2020 and Section 124 of the Finance Act, 2021, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 5281/18/25]

(xxi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued under sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 and Section 124 of the Finance Act, 2021, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) G.S.R. 798(E)., dated the 29th October, 2025, imposing import duty of 30% on Yellow Peas (HS 0713 10 10), on imports covered under Bill of Lading issued on or after 1st November, 2025.

- (2) G.S.R. 799(E)., dated the 29th October, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 884(E), dated the 7th December, 2023.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No.L.T.5281/18/25]

(xxii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 725(E)., dated the 30th September, 2025, publishing the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Trade and Economic Partnership Agreement between India and the EFTA States) Rules, 2025, under Section 10 of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 5305/18/25]

(xxiii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 794(E)., dated the 27th October, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 792(E), dated the 20th October, 2023, issued under Section 75 of the Customs Act, 1962 and sub-section (2) of Section 37 of the Central Excise Act, 1944, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 5281/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the IFCI Limited, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Report on the performance of the above Corporation, for the year 2024-25.

[Placed in Library. See No. L.T. 5303/18/25]

- (ii) (a) Fifty-third Annual Report and Accounts of General Insurance Corporation (GIC) of India, Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 5304/18/25]

- (iii) (a) Liquidator's Report on Voluntary Winding up Process of the Industrial Investment Bank of India (IIBI) Limited, Kolkata, West Bengal, for the

period from 01.04.2025 to 30.06.2025, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government of the Voluntary Winding up Process of the above Bank, for the period from 01.04.2025 to 30.06.2025.
- (c) Summary of Liquidator's Report on Voluntary Winding up Process of the above Bank for the period from 01.04.2025 to 30.06.2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5301/18/25]

- (iv) (a) Liquidator's Report on Voluntary Winding up Process of the Industrial Investment Bank of India (IIBI) Limited, Kolkata, West Bengal, for the period from 01.07.2025 to 30.09.2025, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government of the Voluntary Winding up Process of the above Bank, for the period from 01.07.2025 to 30.09.2025.
- (c) Summary of Liquidator's Report on Voluntary Winding up Process of the above Bank for the period from 01.07.2025 to 30.09.2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5302/18/25]

III. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 30 of the Small Industries Development Bank of India, Act, 1989:-

- (a) Annual Report and Accounts of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) (Part I and Part II), Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Bank.

[Placed in Library. See No. L.T. 5939/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 29 of the Life Insurance Corporation Act, 1956:-

- (i) (a) Sixty-eighth Annual Report and Accounts of the Life Insurance Corporation of India (LIC), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (ii) Fifty-fifth Valuation Report of the Life Insurance Corporation of India (LIC), as on 31st March, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 5291/18/25]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 42 and sub-section (5) of Section 40 of the National Housing Bank Act, 1987:-

(a) Annual Report and Accounts of the National Housing Bank (NHB), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review of the above Bank for the year 2024-25.

[Placed in Library. See No. L.T. 5300/18/25]

(D) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 46 and sub-section (4) of Section 42 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013:-

(a) Annual Report and Accounts of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5298/18/25]

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following Papers:-

(i) (a) Annual Report of the Arun Jaitley National Institute of Financial Management (AJNIFM), Faridabad, Haryana, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Arun Jaitley National Institute of Financial Management (AJNIFM), Faridabad, Haryana, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5278/18/25]

(ii) (a) Forty-ninth Annual Report and Accounts of the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 5277/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Policy Research (CPR),

New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Centre.

[Placed in Library. See No. L.T. 5292/18/25]

- (iv) (a) Thirty-First Annual Report and Accounts of the Centre for Development Economics (CDE), Delhi School of Economics, Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Centre.

[Placed in Library. See No. L.T. 5293/18/25]

- (v) (a) Thirty-eighth Annual Report and Accounts of the Institute for Studies in Industrial Development (ISID), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 5295/18/25]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute for Social and Economic Change (ISEC), Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 5296/18/25]

- (vii) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the Madras School of Economics (MSE), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above School.

[Placed in Library. See No. L.T. 5294/18/25]

- (viii) (a) Annual Report and Accounts of the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L.T. 5297/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare

- II. Reports and Accounts (2024-25) of NFL, New Delhi; FACT, Kochi, Kerala; FAGMIL, Jodhpur, Rajasthan; RCFL, Mumbai; KRIBHCO, New Delhi; HOCL,**

Ernakulam, Kerala; the HIL (India) Limited, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE;
AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I lay on the Table:—

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), under Section 53 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010:-

- (1) G.S.R. 468(E)., dated the 21st May, 2018, publishing the Clinical Establishments (Central Government) Amendment Rules, 2018, along with delay statement and Extract of the Regulations amended.
- (2) G.S.R. 115(E)., dated the 14th February, 2020, publishing the Clinical Establishments (Central Government) Amendment Rules, 2020, along with delay statement and Extract of the Regulations amended.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No.L.T. 5216/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) Notification No. G.S.R. 554(E)., dated the 18th August, 2025, publishing the Drugs (2nd Amendment) Rules, 2025, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library. See No. L.T. 5217/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) (a) Fifty-first Annual Report and Accounts of the National Fertilizers Limited (NFL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5223/18/25]

- (ii) (a) Eighty-first Annual Report and Accounts of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT), Kochi, Kerala, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments

of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5222/18/25]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL), Jodhpur, Rajasthan, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5221/18/25]

- (iv) (a) Forty-seventh Annual Report and Accounts of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5220/18/25]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5939A/18/25]

- (vi) (a) Sixty-fourth Annual Report and Accounts of the Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), Ernakulam, Kerala, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5501/18/25]

- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the HIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5500/18/25]

- I. **Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways**
- II. **Reports and Accounts (2024-25) of CSL, Kochi, Kerala; Udupi-CSL, Udupi, Karnataka, Hooghly-CSL, Howrah, West Bengal; SCIL, Mumbai; SCILAL, Mumbai and related papers**
- III. **Reports and Accounts (2024-25) of Port, Port Authorities; TAMP, Mumbai and related papers**
- IV. **Report and Accounts (2024-25) of the Indian Maritime University (IMU), Chennai, Tamil Nadu and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table:—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 4082(E)., dated the 9th September, 2025, notifying the commencement of the provisions of the Carriage of Goods by Sea Act, 2025 with effect from 10.09.2025, under Section 10 of the said Act.

[Placed in Library. See No. L.T. 5228/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. IWAI-15019/2/2022-Hy., dated the 7th August, 2025, publishing the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) (Amendment) Regulations, 2025, under Section 36 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985.

[Placed in Library. See No. L.T. 5940/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi, Kerala, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of The Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 5225/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Udupi Cochin Shipyard Limited

(Udupi-CSL), Udupi, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 5227/18/25]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), Howrah, West Bengal, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 5226/18/25]

- (iv) (a) Seventy-Fifth Annual Report and Accounts of the Shipping Corporation of India Limited (SCIL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 5518/18/25]

- (v) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the Shipping Corporation of India Land and Assets Limited (SCILAL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 5519/18/25]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 44 of the Major Port Authorities Act, 2021:-

- (i) (a) Administrative Report of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25.

- (b) Annual Accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

- (c) Review by Government on the working of the above Port.

- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port.

[Placed in Library. See No. L.T. 5233/18/25]

- (ii) (a) Annual Administration Report of the Cochin Port Authority (CPT), Kochi, Kerala, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the Cochin Port Authority (CPT), Kochi, Kerala, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Port Authority.
- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5510/18/25]

- (iii) (a) Administration Report of the Deendayal Port Authority, Kandla, Kachchh, Gujarat, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the Deendayal Port Authority, Kandla, Kachchh, Gujarat, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Port Authority.
- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5514/18/25]

- (iv) (a) Administration Report and Accounts of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government of the Administration Report of the above Port Authority.
- (c) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5513/18/25]

- (v) (a) Administration Report of the Paradip Port Authority, Odisha, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the Paradip Port Authority, Odisha, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Port Authority.
- (d) Review by government of the Annual Accounts of the above Port Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5512/18/25]

- (vi) (a) Administrative Report and Accounts of the Chennai port Authority,

Chennai, Tamil Nadu for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Port Authority.
- (c) Review by Government of the Annual Account of the above Port Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 5229/18/25]

- (vii) Annual Accounts of the Tariff Authority for Major Ports (TAMP), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. See No. L.T. 5232/18/25]

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 32 and sub-section (4) of Section 33 of the Indian Maritime University Act, 2008: -

- (a) Annual Report of the Indian Maritime University (IMU), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the Indian Maritime University (IMU), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

[Placed in Library. See No. L.T. 5515/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Corporate Affairs

II. Reports and Accounts (2024-25) of NFRA, New Delhi ; CCI, New Delhi and related papers

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: —

- I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Corporate Affairs Notification No. S.O. 3528(E)., dated the 30th July, 2025, declaring that the company namely, Shri Narayani (Kumbakonam) Nidhi Limited (CIN: U74999TN2017PLN120244) having its registered office at NO41/41-A, Shri Narayani Anugraha Gandhi Park North (Sarangapani East Vadampokki Street), Kumbakonam, Tamil Nadu-612001, to be a "Nidhi", under sub-section (5) Section 406 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library. See No. L.T. 5316/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Corporate Affairs Notification No. 1-CA(5)/76/2025., dated the 1st August, 2025, notifying the 76th Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Chartered Accountants of India for the financial year ended 31st March, 2025, under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Library. See No. L.T. 5311/18/25]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Corporate Affairs, under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

- (1) No. 104/45/Accts.-1(A).- INTRODUCTION, dated the 16th September, 2025, notifying the 45th Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Company Secretaries of India for the financial year ended 31st March, 2025.
- (2) G.S.R. 703(E)., dated the 22nd September, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007.
- (3) G.S.R. 849(E)., dated the 17th November, 2025, publishing a Corrigendum to the Notification No. G.S.R. 703(E)., dated the 22nd September, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (3), see No.L.T.5310/18/25]

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Corporate Affairs Notification No. G/20-CWA/9/2025., dated the 19th September, 2025, notifying the 66th Annual Report and the Audited Accounts of the Institute of Cost Accountants of India for the financial year ended 31st March, 2025, under Section 40 of the Cost Accountants Act, 1959.

[Placed in Library. See No. L.T. 5312/18/25]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Corporate Affairs, under sub-section (4) Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (1) G.S.R. 549(E)., dated the 13th August, 2025, publishing the Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2025.
- (2) G.S.R. 579(E)., dated the 26th August, 2025, publishing the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2025.

(3) G.S.R. 603(E)., dated the 4th September, 2025, publishing the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2025.

(4) G.S.R. 811(E)., dated the 3rd November, 2025, publishing the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (4), see No.L.T. 5313/18/25]

II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (15) of section 132 of the Companies Act, 2013:-

(a) Annual Report of the National Financial Reporting Authority (NFRA) New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the National Financial Reporting Authority (NFRA) New Delhi, for the year 2024-25 and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 5314/18/25]

(ii) Annual Report of the Competition Commission of India (CCI), New Delhi, for the year 2024-25, under sub-section (4) of section 52 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library. See No. L.T. 5315/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

II. Report and Accounts (2024-25) of the Food Corporation of India (FCI), New Delhi

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुवेन जयंतीभाई बांभणिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) Notification No. S.O. 4688(E)., dated the 16th October, 2025, publishing the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2025, under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library. See No. L.T. 5195/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 35 and sub-section (4) of Section 34 of the Food Corporation Act, 1964:-

- (a) Annual Report and Accounts of the Food Corporation of India (FCI), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 5430/18/25]

**REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND
SPORTS**

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Sir, I present the 372nd Report on Review of Schemes for Education Loan and Financial Accessibility in Higher Education pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports.

**REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON DEFENCE**

SHRI MUZIBULLA KHAN (Odisha): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence:—

- (i) Fifteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Seventh Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2025-26 on 'General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Research and Development Organisation (Demand Nos. 19, 20 and 21)';
- (ii) Sixteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the

- Government on the Observations/ Recommendations of Committee contained in its Eighth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2025-26 on `Army, Air Force, Navy, Joint Staff, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Directorate General of Armed Forces Medical Services (Demand Nos. 20 and 21)';
- (iii) Seventeenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Ninth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2025-26 on `Capital Outlay on Defence Services, Defence Planning, Procurement Policy and Defence Pensions (Demand No. 21 and 22)'; and
- (iv) Eighteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2025-26 on `Defence Public Sector Undertakings, Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Directorate General of Quality Assurance, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance and National Cadet Corps (Demand Nos. 20 and 21)'.

**STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ**

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): महोदय, मैं विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2025-26)के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के संबंध में विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) Eleventh Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on recommendations of the Committee contained in its First Report (Eighteenth Lok Sabha) on `Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development)';
- (ii) Twelfth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on recommendations of the Committee contained in its Second Report (Eighteenth Lok Sabha) on `Demands for Grants (2024-

- 25)' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources);
- (iii) Sixteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on recommendations of the Committee contained in its Sixth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources); and
- (iv) Nineteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on recommendations of the Committee contained in its Fifth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

**REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

SHRI RAMJI (Uttar Pradesh): Sir, I rise to lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2025-26):—

- (i) Fourteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Fifth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment);
- (ii) Fifteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Seventh Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Tribal Affairs; and
- (iii) Sixteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Eighth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Minority Affairs.
-

**STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON WATER RESOURCES**

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं विभाग-संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखती हूँ :-

- (i) Fifth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Review of Upper Yamuna River Cleaning Projects upto Delhi and River Bed Management in Delhi' pertaining to the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation);
 - (ii) Sixth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its First Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Jal Shakti (Department of Drinking Water and Sanitation);
 - (iii) Seventh Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in its Second Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation);
 - (iv) Eighth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Third Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Jal Shakti (Department of Drinking Water and Sanitation); and
 - (v) Ninth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation).
-

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of Recommendations/Observations contained in the One Hundred Fifty-first Report and One Hundred Fifty-ninth Action Taken Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) : सभापति महोदय, मैं 'आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन' के संबंध में विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ इक्यावनवें प्रतिवेदन और की गई कार्रवाई संबंधी एक सौ उनसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 5317/18/25]

LEAVE OF ABSENCE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that a communication has been received from Shri Harbhajan Singh, Member, stating that he is unable to attend the sittings of the current 269th Session of Rajya Sabha from 1st December to 19th December, 2025 due to some prior professional commitments. Does he have the permission of the House for remaining absent from 1st December to 19th December, 2025, during the current Session of the Rajya Sabha?

(No hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

**Demand to rename Jabalpur Raipur intercity train 11720 as
Acharya Vidyasagar intercity train**

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान भारतीय रेलवे की नवसंचालित ट्रेन संख्या 11720 जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस इंटरसिटी के नामकरण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, भारत

की सामाजिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने जैनाचार्य विद्यासागरजी महाराज का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने 58 वर्षों के दीक्षा जीवन में शिक्षा, संस्कार गौ-सेवा, नशा मुक्ति तथा अहिंसा के संदेश को देश के कोने-कोने में पहुँचा है। उनके मार्गदर्शन में देश भर में लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाएं स्थापित हुईं, जिनसे लाखों विद्यार्थी और परिवार आज लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्यश्री का आध्यात्मिक प्रवास केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा सहित अनेक राज्यों में उन्होंने करुणा और राष्ट्र हित के संदेश से समाज को दिशा दी। माननीय प्रधान मंत्री जी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी एवं अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने उनके मार्गदर्शन को सार्वजनिक रूप से सराहा है। देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा यह लगातार माँग की जा रही है कि जबलपुर-रायपुर मार्ग पर संचालित इस ट्रेन का नाम आचार्य विद्यासागर इंटरसिटी ट्रेन अथवा मूक-माटी इंटरसिटी ट्रेन रखा जाए ताकि संत परंपरा राष्ट्र सेवा के अनुकरणीय प्रतीक रहे। आचार्यश्री के प्रति राष्ट्रीय की सामूहिक श्रद्धांजलि प्रकट हो सके।

महोदय, अतः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि इस नामकरण प्रस्ताव पर शीघ्र सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Maya Naroliya: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh) and Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh).

डा. सिकंदर कुमार जी।

Need for urgent measures to prevent youth migration from Himachal Pradesh

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय - 'हिमाचल प्रदेश के युवाओं का पलायन और हमारे राज्यों में उद्योगों की कमी' की ओर सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारे युवा आज पढ़-लिख कर नोएडा, चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में काम ढूँढने जा रहे हैं। इससे उनका समय, पैसा और परिवार से दूर रहने का संघर्ष बढ़ जाता है, जबकि हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हिमाचल में स्टार्टअप और वर्क फ्रॉम हिमाचल मिशन बनाया जाए। छोटे उद्योगों, आईटी सेवाओं, ई-कॉमर्स और पेटेंट से जुड़े व्यवसायों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। हर जिले में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएँ, एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हेल्थटेक जैसे विषयों के कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाए। पर्यटन को सिर्फ धार्मिक स्थलों तक ही सीमित न रखा जाए। एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और होम स्टे सेक्टर को बेहतर नियमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।

माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि युवाओं से संबंधित इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए, जिससे हमारे युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, जिससे पलायन रुकेगा और परिवारों की खुशियां वापस हिमाचल में ही रहेंगी। हमारा सपना - "रोजगार हिमाचल में, विकास हिमाचल का," इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Tejveer Singh (Uttar Pradesh), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh) and Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh).

Shri Neeraj Dangi.

Demand for inclusion of Rajasthan's mother tongue to the Eighth Schedule to the Constitution

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

अगस्त, 2003 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजस्थान विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया हुआ है। राजस्थान सरकार भी अन्य प्रदेश सरकारों की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता चाहती है। राजस्थान में बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा एक समृद्ध, सांस्कृतिक विरासत वाली क्षेत्रीय भाषा है और राज्य की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बोली जाने वाली इस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने से इसे संरक्षित रखने एवं बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और शिक्षा, मनोरंजन व सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अन्य प्रदेश सरकारों की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को भी संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत

आधिकारिक भाषा की मान्यता प्रदान की जाए और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अतिशीघ्र फैसला लिया जाए। जय राजस्थान! धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan) and Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra).

Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

**Need to include Hemlibra in the National Essential
Drugs List (EDL) for Haemophilia care**

DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE (Maharashtra): Sir, through you, I want to put the need to include Hemlibra, that is, emicizumab, in the National Essential Drug list for the hemophilia care. Those hemophilic associations met me because India has an estimated 1,30,000 people with hemophilia and only 28,000 have been formally diagnosed. Due to shortage of diagnostic facilities and limited access to the prophylactic treatment, most patients have to face episodes of bleeding and they have to go for fresh frozen plasma or factor VIII infusion. Now, this is very costly, burdensome, and it is ineffective. The Hemlibra, which is available since 2019, is a subcutaneous long-acting prophylaxis with proven clinical efficacy. It reduces the bleeding rates by up to 99 per cent. It is safer, easier to administer, especially for the children, and significantly improves the quality of life. Some States such as Uttar Pradesh and Goa have taken proactive steps to provide the Hemlibra through the State programmes. However, only around 3,000 patients are currently on Hemlibra, which is just 10 per cent of the requirement. Because of the bleeding, they do have problems in the knee, mortality-death rate is also more and morbidity-effective life is also lost. This is an X-linked recessive hereditary disorder, females are carriers and males are patients. So, I strongly urge the Government to include Hemlibra in the National Health Mission's Essential Drugs List and to formulate National Haemophilia Treatment Guidelines to ensure uniform, life-saving care for all haemophilic patients.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh) and Shri Haris Beeran (Kerala).

Shrimati Sangeeta Yadav.

Need for linking Government-funded old age homes and orphanages with family-based residential care

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे जीरो आवर में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं सरकार द्वारा वित्तपोषित वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को परिवार-आधारित निवास व्यवस्था से जोड़ने की तत्काल आवश्यकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। वर्तमान में विभिन्न राज्य-समर्थित संस्थान बुजुर्गों और बच्चों को अलग-अलग देखभाल उपलब्ध कराते हैं, परंतु ये संस्थान एक-दूसरे से अलग-थलग रहते हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच संबंध बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर चूक जाता है। 'अटल वयो अभ्युदय योजना' और 'चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज़' जैसी योजनाओं के तहत बुजुर्गों और अनाथ बच्चों को आश्रय और देखभाल तो मिलती है, लेकिन अकेलापन और पारिवारिक सहयोग की कमी जैसी चुनौतियाँ आज भी अत्यंत गंभीर हैं। भारत में वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 23 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15 परसेंट होगी। पालक-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2007 तथा इसका संशोधित अधिनियम, 2019 बच्चों को अपने माता-पिता की देखभाल करने हेतु कानूनी रूप से बाध्य करता है, फिर भी दुर्भाग्यवश अनेक वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रमों में उपेक्षा और अकेलेपन का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं।

महोदय, इसी प्रकार, 'मिशन वात्सल्य' के नवीनतम सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में देशभर में लगभग 62,000 बच्चे संस्थागत देखभाल गृहों/अनाथालयों में रह रहे हैं। यदि इन संस्थानों को मिलाकर संचालित किया जाए, तो बुजुर्ग बच्चों के मार्गदर्शक बन सकते हैं तथा बच्चे उन्हें भावनात्मक साथ दे सकते हैं, जिससे एक पारंपरिक संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्था का सुदृढ़ रूप भी हम लोगों को देखने को मिलेगा।

माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आग्रह करती हूँ कि वे "फैमिली केयर होम" जैसी एकीकृत

व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ करें, इसके संयुक्त संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करें और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति के रूप में लागू किया जाए। यह महत्वपूर्ण पहल न केवल संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगी, बल्कि संवेदनशील वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को और भी सुदृढ़ करेगी, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh) and Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat).

Dr. Wanweiroy Kharlukhi.

Concern over sudden implementation and improper execution of National Education Policy (NEP) 2020 in Higher Education Institutions of Meghalaya

DR. WANWEIROY KHARLUKHI (Meghalaya): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on the National Education Policy, and I will lay stress on the implementation part of the policy in my State of Meghalaya. Sir, while the NEP is academically progressive and is well-intentioned, its execution has posed challenges to colleges and, most importantly, to the students who are the major stakeholders in education.

Sir, institutions in my State have reported about the ill-planning while framing the syllabus of the new courses for the Four-Year Undergraduate Programme and also lack of guidelines plus the qualifying criteria for teachers eligible to teach the Multidisciplinary Courses, Skill Enhancement Courses and Vocational Training Courses. Colleges in my State are facing severe fund constraints, as the introduction of this new inter-disciplinary necessitates more labs, classrooms, libraries, learning materials, digital resources, and additional teachers. Moreover, colleges are

struggling with implementation of the three-year Multidisciplinary Programme, that is, MDP, side-by-side with the FYUP.

Sir, in this context, I would request the Government, through you, Sir, to intervene and to direct universities to appoint proper experts in framing the syllabus, establish proper guidelines plus qualifying criteria for teachers, provide grants and funding aid to institutions, provide options to colleges finding it difficult to run FYUP, MDP and, side-by-side, giving advance notice before rolling out any new course, and circulate an academic calendar at least three months before the session. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Wanweiroy Kharlukhi: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Dr. Sasmit Patra.

**Demand for upgradation of Rangeilunda Airstrip into a Full-Fledged
Brahmapur Airport in Ganjam, Odisha**

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Chairman, Sir, I rise to demand the upgradation of the Rangeilunda airstrip in Ganjam district of Odisha into a full-fledged commercially equipped Brahmapur airport. The Brahmapur airport at Rangeilunda is no longer a regional aspiration; it is a national economic necessity. Brahmapur airport will not only serve the district of Ganjam in Odisha, it will offer progress, prosperity and productivity to the entire south Odisha. The future of Ganjam is intricately linked to the future of Odisha and when Ganjam rises with air connectivity, the strength of the entire Odisha-Andhra corridor will rise with it. With its unmatched strategic location, the Brahmapur airport will herald a game-changer that carries the dreams of Ganjam's people and pilots the industrial, logistical and strategic transformation of the east coast of India. The airport will fire up exports, open flood gates of tourism and pilgrimage, save lives through instant medical care, power student and professional mobility and strengthen coastal security and natural disaster resilience. This land gave birth to a towering leader of modern India, an aviation visionary, Shri Biju Patnaik, who proved that leaders don't wait for runways, they build them. Yes, under the leadership of Naveen Patnaikji, Odisha and Ganjam rose through stability in ports, industry, healthcare and education. But the future of Ganjam now needs Brahmapur airport. The people of Ganjam have waited long enough. Farmers, students, workers,

traders, patients, entrepreneurs and pilgrims have watched development take flight, but they have travelled hours together to reach the skies in Bhubaneswar. Generation after generation has waited with patience, with hope and with dignity. The wait must end now. Through you, Sir, I call upon the Ministry of Civil Aviation to notify Brahmapur airport as a commercially-equipped airport for the people of Ganjam and south Odisha. Sir, the people of Ganjam have waited enough. Please do not keep the people of Ganjam waiting for ever. Give them their Brahmapur airport. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Nagendra Ray: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shrimati Kiran Choudhry (Haryana) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

Now, Shri Nagendra Ray.

**Demand for naming the under construction Dhubri—Phulbari Bridge over
the Brahmaputra River as Maharaja Biswa Singha Setu**

SHRI NAGENDRA RAY (West Bengal): Respected Sir, I would like to extract the ancient valiant history of Maharaja Biswa Singha, founder of Koch dynasty in North-East India for naming the under-construction Dhubri-Phulbari Bridge over the Brahmaputra river as Maharaja Biswa Singha Setu. Maharaja Biswa Singha had significant role in uniting the Koch and other tribal communities in the North-East region and laid a strong foundation of the Koch Kingdom which was later known as Cooch Behar. He defeated the Turks and Mughals during his reign when they were leading havoc vandalism over the Hindus. Biswa Singha guided his sons, Maharaja Nara Narayan and Chila Ray (Army Commander) to defend from the foreigners like Turks and Mughals. Accordingly, Chila Ray established the naval force presently known as Indian Navy. Brahmaputra river was the only corridor to use the Bay of Bengal as sea route connected with North and South of the Andaman Islands by which Bharat was protected. Historical background of Koch army of Cooch Behar consisted of four thousand horses, two lakh infantry soldiers, seven hundred elephants and one thousand war boats.

According to E.A. Gaits, the British administrator and great historian, there were around fifty two lakh and twenty five thousand valiant soldiers under Koch Kamata Kingdom ruled by Maharaja Biswa Singha. I am proud to say that no other

country in the world had such strength of strong soldiers during that time and not even today. Keeping in view of such contributions made by Maharaja Biswa Singha and the significant role that he played, the Central Government is humbly requested for naming the technologically advanced bridge currently fast paced under construction over the Brahmaputra river as Maharaja Biswa Singha Setu. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Nagendra Ray: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar) and Shrimati Kiran Choudhry (Haryana).

Now, Shri Sanjay Seth.

Need to enhance financial assistance for treatment of life threatening and rare diseases

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन के समक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता हूँ।

महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। आज 'आयुष्मान भारत योजना' पूरे विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जिसमें 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। पिछले दस वर्षों में 16 नए एम्स और 390 से अधिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि देश के हर नागरिक को एफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की है। अगर किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक या लंग्स की कोई बीमारी हो जाए, तो उसके उपचार में बहुत खर्च आता है। महोदय, मध्यम और गरीब परिवारों के लिए यह एक कठिनाई और चिंता का विषय होता है। सरकार ने इन बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु National Policy for Rare Diseases, 'राष्ट्रीय आरोग्य योजना', लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए 15 लाख रुपये, हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड के माध्यम से 15 लाख रुपये और रेयर डिजीज के लिए 20 लाख रुपये की सहायता दी है। इस सदन के हर सांसद के पास लोग उपचार के लिए प्रतिदिन आर्थिक सहायता माँगने आते हैं, और सांसदों के पास एमपीलैड ही एक ऐसा फंड होता है, जो जनता के काम के लिए आर्थिक सहायता दे सकता है। लेकिन वर्तमान में इसकी गाइडलाइन्स के अनुसार इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सहायता देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि एमपीलैड फंड के रूल्स को अमेंड करके इसमें लाइफ थ्रेटनिंग और रेयर डिजीज के लिए 10 परसेंट राशि एमपीलैड फंड से आर्थिक सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया जाए और वर्तमान में 'राष्ट्रीय आरोग्य

निधि' के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक किया जाए, जिससे हम उन परिवारों की सहायता कर सकें, जो धनराशि के अभाव में लाइफ़ श्रेटनिंग डिस्सीज़िज़ और रेयर डिस्सीज़िज़ के टाइमली उपचार से वंचित रह जाते हैं।

सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Seth: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand).

Now, Shri Sajjad Ahmad Kichloo.

Concern over Hydro Electric Power Projects in Jammu and Kashmir, especially in Chenab Valley

श्री सज्जाद अहमद किचलू (जम्मू-कश्मीर): मैं आपकी तवज्जो जम्मू-कश्मीर, जो एक रियासत थी, लेकिन अब एक यूटी में डाउनग्रेड की गई है, उसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूँ।

जनाब-ए-आला, जम्मू-कश्मीर एक वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज़ न होने के बराबर हैं। हमारा वहाँ पर एक ही सोर्स है और वह हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का है। इस वक्त पूरे जम्मू-कश्मीर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनएचपीसी ने बनाए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जम्मू-कश्मीर की जेकेपीडीसीएल बना रही है। सर, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे चिनाब में चार बड़े पावर प्रोजेक्ट्स ज़ेर-ए-तामीर हैं। इनमें किरू, क्वाड, रैटल और पकलडुल हैं। ये बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो हज़ार मेगावाट के हैं। सर, as per agreement locals को जो काम देना था, जो मजदूरी देनी थी, वह न देने के बराबर है। सर, वहाँ पर एग्रीमेंट का वायलेशन हो रहा है। वहाँ जितनी भी कंपनियाँ काम कर रही हैं - जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो लैंड oustees हैं- उनके द्वारा उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता है। उनका प्रॉपर रीहैबिलिटेशन नहीं हो रहा है। * यह ठीक है कि पावर प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए।...(व्यवधान)...

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Please restrict yourself to the subject. Nothing will go on record except the subject. ...(*Interruptions*)..

श्री सज्जाद अहमद किचलू: *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the subject. ...(*Interruptions*)..

श्री सज्जाद अहमद किचलू: *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the subject.

श्री सज्जाद अहमद किचलू:* शुक्रिया।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sajjad Ahmad Kichloo: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. Sandeep Kumar Pathak (Punjab), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Chowdry Mohammad Ramzan (Jammu & Kashmir), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir).

Need to address service conditions, vacancies and welfare of Teachers in the country

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित): सर, मैं भारत के एक करोड़ एक लाख से भी ज्यादा अनसंग हीरोज़ की बात करना चाहता हूँ, जो हमारे विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। सर, मैं भारत के टीचर्स की बात करना चाहता हूँ। सर, देश में एक करोड़ एक लाख से भी ज्यादा टीचर्स हैं, उनमें से 60 लाख टीचर्स सरकारी संस्थाओं में हैं और लगभग 40 लाख से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में सेवा दे रहे हैं। सर, यह सिर्फ नम्बर्स का सवाल नहीं है। मैं क्वालिटी की बात भी करना चाहूँगा। हमारे टीचर्स ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आजादी की लड़ाई से लेकर विकसित भारत का सपना साकार करने तक - आज भी हमारे टीचर्स हमारे देश को सँवारने, नेशन बिल्डिंग करने में लगे हैं। सर, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप टू परसेंट साइंटिस्ट्स की लिस्ट जारी करती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें भारत के 6,239 टीचर्स के नाम वर्ल्ड के टॉप टू परसेंट साइंटिस्ट्स में आए हैं। मैं इसके लिए देश को बधाई देना चाहूँगा।

* Not recorded.

सर, दुनिया की सबसे प्रिस्टीजियस रैंकिंग देने वाली एजेंसियों में एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2026 की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के 168 इंस्टीट्यूशन्स शामिल हैं। इस नम्बर के साथ भारत, चीन के बाद एशिया में दूसरा बड़ा देश बना है। मैं इसका सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। इसके साथ ही, भारत के टीचर्स ने पेपर-पर-फैकल्टी के आधार पर एशिया रैंकिंग में नम्बर वन स्थान हासिल किया है। हम पेपर-पर-फैकल्टी के क्षेत्र में पूरे एशिया में नम्बर वन हैं। मैं इसका क्रेडिट आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी नीतियों को देना चाहूँगा।

सर, हमारे देश में 60 और 40 लाख टीचर्स को सम्मान देने की जो नीति है, मैं उसे लेकर एक निवेदन, एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हम हर साल टीचर्स को नेशनल अवॉर्ड, स्टेट अवॉर्ड देते हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारी संस्थानों के टीचर्स को दिए जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वे प्राइवेट संस्था के टीचर्स हों या सरकारी संस्था के टीचर्स हों - उनका योगदान एक ही है। सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ, हमारे प्राइवेट संस्थानों के टीचर्स को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। उन्हें भी नेशनल और स्टेट अवॉर्ड मिलने चाहिए।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu : Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Need for nationwide expansion of 'Nari Adalat' women's grievance redressal mechanism

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मेरा विषय है - नारी अदालत। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान नारी अदालत कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहती हूँ, जो माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मिशन शक्ति के तहत शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और प्रगति के लिए चिंतित रहे हैं। उनके नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनसे महिलाओं का जीवन आसान हुआ है, उनको आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिले हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इसी संदर्भ में मिशन शक्ति कार्यक्रम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस मिशन के तहत नारी अदालत कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो महिलाओं को गांव,

यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही अपनी शिकायतों को सुलझाने का एक अलग मंच देता है। इसे महिला अदालत भी कहा जाता है।

महोदय, जहां सामान्य अदालतें लंबी और मुश्किल कानूनी प्रक्रियाएं अपनाती हैं, वहीं नारी अदालतें अनौपचारिक और समुदाय के सहयोग से काम करती हैं। यहां घरेलू झगड़े, छोटे-मोटे उत्पीड़न या अधिकारों से जुड़े मामूली मुद्दों को आपसी सहमति और बातचीत से सुलझाया जाता है। इस तरह यह मंच महिलाओं को तेज और आसान न्याय दिलाता है। उन्हें लंबी कानूनी कार्रवाई से बचाता है और अदालतों पर बढ़ते बोझ को भी कम करने में मदद करता है। वर्तमान में यह योजना असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से संबंधित योजनाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है। महोदय, इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव की महिलाओं को अपने ही स्तर पर आसान, सस्ता और जल्दी न्याय मिल रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने अधिकारों को स्वयं समझकर निर्णय लेने लगी हैं। यह केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि सशक्त महिला, सशक्त समाज के सपने को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि देश के सभी राज्यों में नारी अदालत कार्यक्रम को शीघ्रता से लागू किया जाए, जिससे हर महिला को सरल, सुगम और त्वरित न्याय मिले।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Darshana Singh: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Shrimati Renuka Chowdhury.

Demand for expediting Railway Projects in Telangana and fulfilling commitments under the Reorganisation Act

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Telangana): Sir, thank you for permitting me to raise the issue of what was promised on the floor of this House under the Andhra Pradesh Reorganization Act where collectively, the whole House, all political parties, were party to the fact that some assurances given on the floor of this House would be implemented to the State of Telangana.

Yesterday, my Chief Minister, Shri Revanth Reddy, has hoisted 'Telangana Rising', two days of a global Summit where international players have come in to look and invest in Andhra Pradesh. Yet, Sir, ten years after the assurance was given on the floor of this House, a large part of the promised Rail Manufacturing Unit at Kazipet has remained only on paper. After the bifurcation, it was handed to Rail Vikas Nigam Limited, but no meaningful progress has taken place so far. Telangana's broader rail development is stalled. The South Central Railways has completed the surveys. Every bit of the paperwork has been done and it has submitted detailed project reports for all 10 major projects covering 818 kilometres and costing Rs. 18,489 crore; yet, all are still awaiting clearances. After 10 years, things are still waiting for clearances on what grounds, I don't know! And, Sir, this includes crucial railway links such as Dornakal-Miryalguda, Ramagundam-Manuguru, which comes partly to Khammam district on the outskirts; Karimnagar-Hasanparthi, Bhadrachalam-Kovvur, where there is a small bit pending, which puts us to great discomfort in those areas, and Patancheru-Adilabad and others vital for connectivity and economic growth. Now, Sir, 13 ongoing projects worth nearly Rs. 20,000 crore are at a snail's pace. We are talking about bullet trains, and what have you got! When you don't complete an assurance given on the floor of this House, it is making a [£]of the constitutional rules that we have established in this House, which need to be implemented and which are the rights of the citizens. This is not some *meherbani* coming from the Centre. The ruling party was very much party to the AP Reorganization Act. So, they can't pretend that they don't know. Or, is it a reflection on their performance? Is this the pace that that they work at? Is this their policy that they would not give the States the required rail connectivity? Now the kind of administrative inertia that is contributing to the discomfort of Telangana...

MR. CHAIRMAN: Time is over, Madam. ...(*Interruptions*)... Hon. Member, you know it. You are a very senior Member.

[£] *Expunged as ordered by the Chair.*

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Renuka Chowdhury: Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh).

Now, Shri Yerram Venkata Subba Reddygaru.

**Concern over problems faced by cotton farmers in Andhra Pradesh
and demand for procurement of cotton at MSP**

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, farmers in Andhra Pradesh are suffering due to vagaries of nature and apathy of the system. I will focus on cotton farmers, but onion, mango, tomato, banana and maize farmers too are suffering and struggling to sell their produce.

Due to incessant and heavy rains during *kharif* season, cotton farmers in my State, especially in Prakasam, Palnadu and NTR districts have suffered a lot. Before the Montha cyclone, cotton farmers in Andhra Pradesh expected at least 8-10 quintals of production per acre, but after the cyclone, now they are not even getting 5-6 quintals. The Government of Andhra Pradesh earlier estimated the damage of cotton crop to be spread over 54,000 acres. Secondly, conditions of the Cotton Corporation of India are also adding fuel to the fire. As per the conditions prescribed by the Cotton Corporation of India, if the moisture content is eight per cent, full MSP will be given; if it goes up to 10 per cent, MSP will be reduced; and if moisture content is 12 per cent, then, purchases would be refused. Now, due to the cyclone, incessant and unseasonal rains, moisture percentage has gone up to 18-22 per cent. So, farmers are forced to approach middlemen to sell their products for Rs. 5,000 per quintal, which is not at all remunerative and farmers are crying. I appeal to the Agriculture Minister to come to the rescue of cotton farmers and save them at the earliest.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Yerram Venkata Subba Reddy: Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri Ramji (Uttar Pradesh).

Now, Shri Ashok Singh.

**Demand for holistic review of the airline sector for
accommodating future needs**

श्री अशोक सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन में देश के aviation sector की तत्काल और समग्र समीक्षा की माँग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले एक दशक में सरकार double-digit growth की बात कह रही है। ये हमें बताते हैं कि हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से बढ़ कर 18 करोड़ हो गई है। नए एयरपोर्ट्स के चमकदार PowerPoint Presentations भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सरकार फीता काटने और वाहवाही लूटने में व्यस्त थी, तब हमारी aviation safety की बुनियाद खोखली हो रही थी। साल 2025 की हकीकत देखिए। यह सेक्टर सिर्फ दबाव में ही नहीं है, बल्कि बिखर रहा है। हमने इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया का वह दर्दनाक हादसा देखा है, जो हमारे राष्ट्रीय विवेक पर एक बदनुमा दाग है। इसने साबित कर दिया कि कैसे थकान और तकनीकी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। आज आसमान में एक नई और अदृश्य जंग छिड़ी है। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर GPS hacking/spoofing हो रही है। हमारे पायलट्स अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं। इसमें सरकार का जवाब क्या है?

सभापति महोदय, अभी इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे इंडिगो की monopoly ने पूरे देश को बंधक बना लिया। 1,500 से ज्यादा flights cancel हुईं, लाखों यात्री फँसे रहे और हर टर्मिनल पर अफरा-तफरी मची रही, क्योंकि आप first world का aviation sector third world के regulation से नहीं चला सकते हैं। हमारे Air Traffic Controllers के पास over work है, संसाधनों की कमी है, फिर भी वे दुनिया के सबसे व्यस्त air space को सँभाल रहे हैं। हमारा DGCA एक रबर स्टाम्प बन कर रह गया है। यह एक ऐसी संस्था बन गई है, जो हादसा होने के बाद जागती है, उससे पहले नहीं। लेकिन सभापति महोदय, इस लापरवाही के पीछे कुछ और गंभीर वजहें हैं, इसलिए हमें कुछ कड़वे प्रश्न पूछने ही होंगे। आखिर सरकार इस एयरलाइंस पर विशेष मेहरबान क्यों है?

अभी पिछले दो-तीन दिनों में इलेक्ट्रोरल बांड्स की खबरें आ चुकी हैं। इंटरग्लोब ने लगभग 50 करोड़ के इलेक्ट्रोरल बांड्स खरीदे हैं। तो क्या सेफ्टी नॉर्म्स की धज्जियां इसीलिए नहीं उड़ाई गईं और रेगुलेटर अपनी आंखें मूंद लेता है? क्या यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जैसा मामला नहीं है? सरकार उन एयरलाइंस से हाथ नहीं मिला सकती, क्योंकि रेगुलेट करना उसका काम है। हमारी मांग बिल्कुल साफ है। हम किसी भी कमेटी ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ashok Singh: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Anil Kumar Yadav

Mandadi (Telangana), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

डा. भागवत कराड़।

Need for a Separate Railway Division at Chhatrapati Sambhajinagar under Central Railway Zone

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का जो वक्त दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, छत्रपति संभाजीनगर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें औद्योगिक कार्यकलाप और टूरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहां वर्ल्ड फेमस एलोरा और अजंता केव्स हैं। पिछले दो सालों में DMIC जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहां आया है। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में यहां विकास हो रहा है। इस शहर के लिए रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मिनिस्टर जी से मांग करता हूँ कि जहां मुंबई - छत्रपति संभाजीनगर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चल रही थी, वह कुछ महीने पहले बंद हो चुकी है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे sick line हो, pit line हो, वह सब तैयार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस रेल की मांग करता हूँ। मैं उसी तरह संभाजीनगर - पुणे, संभाजीनगर - कन्नड़ चालीसगांव, संभाजीनगर - बीड, पैठन और सोलापुर रेल की भी मांग करता हूँ। इसका सर्वे हो चुका है, DPR भी तैयार हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इस काम को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो जाए।

उसी तरह मेरी एक तीसरी मांग भी है। देश में टोटल 17 जोन्स हैं और 70 डिवीजंस हैं। संभाजीनगर geographically मुंबई के सेंट्रल जोन के नजदीक आता है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि संभाजीनगर में रेलवे का एक नया जोन बनाए और इस जोन को आइडेंटिफिकेशन दे कर, यह मांग पूरी करें। इसके माध्यम से जैसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, तो पैसेंजर को वैसी सुविधा मिल सकती है। यह आपके माध्यम से, रेलवे मिनिस्ट्री से मेरी मांग है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Bhagwat Karad: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

श्रीमती सीमा द्विवेदी।

Demand for exemption of teachers appointed before 1st April, 2010 from the mandatory TET exam

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) :माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ कि आज आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का अवसर दिया है। मैं 1 अप्रैल, 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता TET से मुक्त रखने के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में सरकार द्वारा गुणवत्ता शिक्षा हेतु प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी, श्रद्धेय गृह मंत्री जी और विद्वान शिक्षा मंत्री जी तथा सरकार के प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से आती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां एक तरफ 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया है, वहीं दूसरी तरफ 'निपुण भारत' मिशन के तहत शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया है। केंद्र सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और पीएम श्री विद्यालयों को खोलकर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन युक्त शिक्षा मुहैया कराने का सराहनीय कार्य किया है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण सेवारत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे शिक्षक, जिन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, आज वे स्कूलों में सफलतापूर्वक बच्चों को एआई और कोडिंग सिखा रहे हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से 30 साल तक शिक्षण का अनुभव प्राप्त कर चुके और अपने कार्यकाल में लाखों छात्रों के जीवन को संवारने वाले सम्मानित गुरुजनों के खुद के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आज देश के लाखों शिक्षक गंभीर अवसाद में हैं, जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन शिक्षकों की लंबी सेवा, इनके अनुभव, इनके लगातार चल रहे प्रशिक्षणों को देखते हुए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता TET से मुक्त रखा जाए। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसमें उनको छूट देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi : Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh) and Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia(Gujarat).

Now, Shri Kanad Purkayastha.

**Demand for renaming Silchar Railway Station as Bhasha
Sahid Railway Station**

SHRI KANAD PURKAYASTHA (Assam): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to raise today a matter concerned with a public demand in connection with the renaming of Silchar Railway Station as 'Bhasha Sahid Railway Station'. Sir, on 19th May, 1961, eleven martyrs sacrificed their lives at Silchar Railway Station, demanding Bengali language to be included as an official language in Assam. The world's youngest language martyr, Kamla Bhattacharyaji, was one of those eleven language martyrs. Since decades, the demand for renaming Silchar Railway Station as 'Bhasha Sahid Railway Station' is being made, but till date, this demand of lakhs of people has not been materialised.

Across India, the railway stations, institutions and landmarks have been named after great leaders, historical events and martyrs. The Silchar Railway Station truly deserves such a tribute, the symbol of the biggest language movement in independent India. Renaming it as 'Bhasha Sahid Railway Station' is not just appropriate, but is long overdue. It will remind future generations that language is not merely about words, it is the identity of the people and the soul of a civilisation. So, on behalf of 50 lakh people of Barak Valley, I sincerely request the Government to consider the demand at the earliest. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kanad Purkayastha: Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Samik Bhattacharya (West Bengal).

Shri K. Vanlalvena, not present. Shrimati Jaya Amitabh Bachchan, not present. Shri Ghanshyam Tiwari.

**Demand for strong measures to curb narcotics trafficking in Rajasthan's
Border areas and safeguard the youth**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय सभापति महादेव, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,000 किलोमीटर से अधिक है और वहाँ पर लगातार ड्रोन के माध्यम से तथा अन्य माध्यम से कई प्रकार के नारकोटिक्स ड्रग्स आते रहते हैं, जिनको पकड़ा गया है। उनको भी पकड़ा गया है। यह एक रूट बना हुआ है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान से होकर यह आता रहता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र पर कुछ विस्तार करना, कुछ पाबंदी करना आवश्यक है। भारत सरकार ने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं। हमारी सेना भी उसमें काम कर रही है, लेकिन उस क्षेत्र में राजस्थान को

कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता है, जिससे वहाँ पर और अधिक पुलिस चौकियाँ बन सकें। पुलिस को भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो। साथ ही, रात्रि को गश्त करने के लिए उस प्रकार के आधुनिक उपकरण की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं, जो सीमा पार इधर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं। उनका नेक्सस बना हुआ है। हमें उस नेक्सस को तोड़ने का प्रयत्न करना है। सीमा क्षेत्र में राजस्थान के कुछ गाँवों के डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को भी रोकना जरूरी है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से तस्करी को रोकना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करता हूँ कि वह राजस्थान सरकार को कुछ अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए, जिससे विशेष पुलिस बल का गठन करके वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। सीमा पर हमारे बीएसएफ और सशस्त्र बल अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन सीमा के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जो उनके हस्तक बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होने वाली ड्रग्स की तस्करी को रोका जा सके। मुझे आपसे यही निवेदन करना है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ghanshyam Tiwari : Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh).

Now, Shri Pramod Tiwari.

**Demand for exemption from mandatory TET for teachers recruited
prior to the year 2010**

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): महोदय, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को दिए गए एक निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्यापनरत सभी शिक्षकों के लिए, उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) को अनिवार्य कर दिया गया है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक तथा देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षक असमंजस, तनाव और असुरक्षा की स्थिति में आ गए हैं। ये वे शिक्षक हैं, जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं एन.सी.टी.ई. की अधिसूचना, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत् नियुक्त किया गया था तथा जिन्हें उस समय मुक्त (Exempted) श्रेणी में रखा गया था। गौरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की बाध्यता विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तिथियों से लागू हुई। उत्तर प्रदेश में यह बाध्यता 27 जुलाई, 2011 से प्रभावी की गई

थी। इसके बावजूद, जनपद न्यायालय के हालिया निर्णय द्वारा इन तिथियों से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर भी टी.ई.टी. उत्तीर्ण करने की शर्त लागू कर दी गई है। इस निर्णय के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 27 जुलाई, 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ दो वर्षों के भीतर टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव, विद्यालयी शिक्षा की निरंतरता में बाधा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक सेवामुक्त करने की आशंका शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के भी विपरीत है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह समुचित हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त, 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 27 जुलाई, 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त करने हेतु आवश्यक वैधानिक, नीतिगत अथवा अन्य उचित कदम उठाए, जिससे लाखों शिक्षकों और देश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को संकट से बचाया जा सके। यह हस्तक्षेप शिक्षा के हित में होगा और यह मामला नौकरी से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, अतः मानवीय आधार पर इसका निपटारा किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की संख्या कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं तथा अन्य राज्यों में भी यही स्थिति हो गई है। अतः शिक्षा के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि मैंने जो यह माँग रखी है कि शिक्षकों को टी.ई.टी. उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए, इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Pramod Tiwari: Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri S. Selvaganabathy.

Demand for construction of ultra-modern storage facilities for all agricultural produce in the country

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Union Minister of Agriculture towards the plight of the mango growers in the country. ...(*Interruptions*)... Sir, the abundant growth of mangoes in this season has cast a shadow of fear in the markets. Despite large-scale harvest, they are unable to sell their produce. This year, it is mango. In the past years, it was onion, tomato as well as other commodities, which have suffered even after good harvest. They are unable to get suitable market for their produce, compelling it to be thrown on the

roadside. Sir, the Modi Government has encouraged all the States and Union Territories to built ultra-modern storage facilities to help the farmers who are in distress. Even a few months back, the paddy, which was harvested and stored in the Marketing Committee ground, had become dampened due to sudden rains. It is not the fault of farmers but due to non-availability of storage facilities. In order to solve the problems being faced by the farmers, we have to maintain proper temperature-controlled ultra-modern storage facilities for pulses in the country.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha), associated himself with the matter raised by hon. Member, Shri S. Selvaganabathy.

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour. Question No. 91.

Enforcement action and quality regulation in fertilize distribution

*91. SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) the steps taken by the Ministry, in coordination with State Governments to strengthen monitoring of fertilizer distribution during the Kharif and Rabi seasons of 2025-26 in the country, including drought-prone districts of Maharashtra;
- (b) the number of inspections, raids and enforcement actions undertaken across States to address diversion, hoarding, black-marketing and over-pricing;
- (c) the mechanisms adopted to detect and prevent the supply of sub-standard fertilizers including sampling, laboratory testing and follow-up action on non-compliance; and
- (d) the manner in which coordination among district authorities, agriculture departments and fertilizer units is being strengthened to ensure uninterrupted and equitable fertilizer availability to farmers?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (d) Following steps are taken by the Government every season for ensuring timely and adequate availability of fertilizers in the country, including the State of Maharashtra:

(i) Before the commencement of each cropping season, Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW), in consultation with all the State Governments, assesses the State-wise & month-wise requirement of fertilizers.

(ii) On the basis of requirement projected by DA&FW, D/o Fertilizers allocates adequate quantities of fertilizers to States by issuing monthly supply plan and continuously monitors the availability.

(iii) The movement of all major subsidized fertilizers is monitored throughout the country by an on-line web-based monitoring system called integrated Fertilizer Monitoring System (iFMS).

(iv) The State Governments are regularly advised to coordinate with manufacturers and importers for streamlining the supplies through timely placement of indents.

(v) Regular coordination meetings are held with Ministry of Railways for giving sufficient rakes, priority to fertilizers and for timely evacuation of rakes for States.

However, the assessment and distribution of fertilizers within the State at district level, including drought prone areas, is done by the concerned State government.

Further, in order to address the issues such as diversion, hoarding, black-marketing and over-pricing, fertilizers are declared as an essential commodity under the Essential Commodities Act, 1955 and notified under Fertilizer Control Order, 1985. State Governments are empowered to take action against persons involved in said malpractices, as per provisions of EC Act. Any complaints received at Department of Fertilizers level regarding these malpractices is sent to concerned State Government to take appropriate action under Essential Commodities Act, 1955 and Fertilizer

Control Order, 1985. Accordingly, the details regarding enforcement measures taken by the States, as informed by them, from 01.04.2025 to 28.11.2025, to curb these malpractices, including sale of substandard fertilizers, is placed at **Annexure**.

Besides, for ensuring adequate availability of good quality fertilizers to the farmers, Fertilizer Control Order (FCO)-1985 has laid down fertilizer-wise detailed specifications. Any fertilizer, not meeting the said specifications, cannot be sold in the country for agricultural purpose. Clause 19 of FCO strictly prohibits the sale or manufacture of fertilizers which are not of prescribed standards. Any sale of substandard/fake/adulterated fertilizers is punishable under Essential Commodities Act, 1955. The State Governments are the enforcement agencies and are adequately empowered to enforce the provisions of FCO. Every sample drawn by Inspector is analysed as per the methods of analysis given in FCO in a Laboratory notified by Central/State Government. CFQCTI, a subordinate office of INM Division has, 4 laboratories viz. Central Fertilizer Quality Control & Training Institute (CFQC&TI) and its three Regional Fertilizer Control Laboratories (RFCLs) located at Navi Mumbai, Chennai and Kalyani. Any violation of fertilizer control order invokes both penal action of punishment from 3 month to 7 years and administrative action of cancellation/ Suspension of authorization letter.

Further, whenever any case of non-standard fertilizer is reported by the State/UT's Agriculture Department, D/o Fertilizers recovers the subsidy amount from the pending subsidy claims of the concerned fertilizer company immediately, as per the applicable procedure.

Annexure

Cumulative Statement from April 25 to November 25 (as on 28.11.2025)																	
Action taken by the State Governments to check black marketing, hoarding, quality check, diversion etc from 01.04.2025 to 28.11.2025																	
States	No. of inspections/raids	Black Marketing			Hoarding			Sub Standard bQuality			Diversion			Conviction with details *	Toatal		
		Show cause notice issued	No. of licenses cancelled/suspended	FIR registered	Show cause notice issued	No. of licenses cancelled/suspended	FIR registered	Show cause notice issued	No. of licenses cancelled/suspended	FIR registered	Show cause notice issued	No. of licenses cancelled/suspended	FIR registered		Show cause notice issued	No. of licenses cancelled/suspended	FIR registered
Andhra	11181	5	3	9	10	6	3	83	0	0	7	2	3	NIL	105	11	15
Arunachal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
Assam	3820	12	4	1	59	0	0	36	0	0	27	0	0	NIL	134	4	1
Bihar	1549	1035	607	77	7	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	104	607	77
Chhattisgarh	6172	294	13	4	29	1	0	136	5	0	24	0	0	NIL	483	19	4
Dadar &	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
Delhi	255	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	NIL	3	3	1
Goa	614	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	NIL	602	181	6
Guiarat	1221	33	3	1	0	0	0	83	2	0	7	3	11	NIL	123	8	12
Harvana	4693	49	5	7	18	18	4	48	10	5	13	5	6	NIL	128	38	22
Himachal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
Jammu&Kash	3694	142	44	2	31	2	0	55	0	0	8	0	0	NIL	236	46	2
Jharkhand	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	NIL	92	25	11
Karnataka	7093	365	22	0	243	5	0	221	14	2	84	6	6	NIL	913	47	8
Kerala	1299	0	0	0	0	0	0	48	0	0	4	0	3	NIL	52	0	3
Madhya	5581	0	0	72	0	0	0	606	44	4	631	160	15	NIL	123	204	91
Maharashtra	4405	16	0	16	0	0	0	1155	1139	37	1	73	1	NIL	1172	1212	54
Manipur	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NIL	1	0	0
Meghalaya	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
Mizoram	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	NIL	5	0	0
Nagaland	72	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	NIL	117	64	15
Odisha	7031	4	3	2	0	0	0	47	1	0	1966	107	3	NIL	201	111	5
Puducherry	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
Puniab	5617	37	1	1	20	0	1	192	65	3	0	0	4	NIL	249	66	9
Raiasthan	1150	589	76	46	45	17	30	451	1	2	15	16	25	NIL	1100	110	103
Tamilnadu	1880	13	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	NIL	164	50	5
Telangana	1153	5	9	3	4	2	0	79	0	0	4	0	5	NIL	92	11	8

Tripura	694	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	9	0	0
Uttar Pradesh	2940	2043	2742	165	164	139	8	141	130	12	88	7	12	3	243	3018	197
Uttarakhand	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	NIL	43	0	0
West Bengal	3377	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	NIL	259	0	0
Total	3400	5258	3732	442	687	202	46	3811	1437	65	3058	464	96	3	128	5835	649
*-Details to be submitted-case number, year of FIR and year of filing of case and date of order																	
Above data has been compiled as reported by states																	

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Sir, I would, first of all, like to compliment the hon. Minister for a very good and a very comprehensive reply on this very important subject which concerns the farmers of our country. But, at the same time, I would like to add that during this season, हमारे किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र्स की सबसे ज्यादा किल्लत होती है। ठंड का मौसम है, लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं। कल ही मेरे इलाके से फोन आ रहे थे कि DAP, खाद और यूरिया की कमी हो रही है। इसे जल्द से जल्द उपलब्ध करावाइए। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आपने जो जवाब दिया है, उसमें I would like to know whether there is any proposal to integrate satellite data or remote sensing inputs to monitor crop acreage and thereby estimate more accurate fertilizer requirement forecast. Also, has the Ministry taken a review of the transportation bottlenecks such as rail rake availability or port congestion that may directly or indirectly contribute to artificial scarcity in certain States? I would like to ask another supplementary after this, Sir.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति जी, जहां तक fertilizers के distribution का सवाल है, इसका एक बहुत ही detailed process है, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। Before every cropping season, Department of Agriculture and Farmers' Welfare, Department of Fertilizers and stakeholders मिलकर requirements के बारे में चर्चा करते हैं। जो requirements होती हैं, वो भी State-wise and month-wise fertilizers के requirement की चर्चा होती है और उसी के अनुसार Department of Fertilizers इसको monthly plan के तहत continuously monitor भी करता है और हम उनके distribution की व्यवस्था भी करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसे हम Integrated Fertilizer Monitoring System बोलते हैं, जो transparent है और इसकी real time monitoring होती है। इस real time monitoring से subsidized fertilizer कहाँ पहुँचा है, कब-कब, कहाँ-कहाँ जा रहा है - ये सारी उसमें व्यवस्था होती है और हम State को यह भी कहते हैं that they should be in direct contact with the manufacturers, the producers, as well as the importers. दोनों के साथ आप connect में रहिए और timely अपने indents place कीजिए, so that आपको वह ठीक समय पर मिल सके। We are in direct touch with the Ministry of Railways also and we see to it and ensure it on priority basis कि rakes समय पर मिले और स्टेट्स को समय पर fertilizer का evacuation मिल सके, इस बात के लिए भी हम काम करते हैं। यह सभी districts के लिए है। इस प्रश्न में उन्होंने पूछा था तो मैं बता दूँ कि drought-prone regions के लिए भी — हालांकि responsibility स्टेट गवर्नमेंट की है, yes, we support them and whatever is needed is being given to the States accordingly.

अब जहाँ तक control of malpractices है, diversion है, hoarding है और overpricing है - उसको हम Essential Commodities Act, 1955 और Fertilizers Control Order के तहत नियंत्रित करते हैं। सब-स्टैंडर्ड तो Fertilizer Control Order के तहत मार्केट में punishable offence है, हम उस पर action लेते हैं। States are empowered to take action और जो यह

hoarding वगैरह है, हम Essential Commodities Act के तहत उनके ऊपर action लेते हैं और आपने पूछा है, तो हम बताना चाहेंगे कि 1st of April से लेकर अभी 28th of November तक black-marketing में show cause notices जो हैं वो 5,058 हुए, the number of FIRs lodged is 442 and the number of licences cancelled is 3,732. For hoarding, the number of show-cause notices issued is 687; the number of licences cancelled is 202; and the number of FIRs registered is 446. For substandard quality, the number of show-cause notices issued is 3,811; the number of licences cancelled is 1,437; and the number of FIRs registered is 65. For diversion, in 3,058 cases, show-cause notices have been issued; 464 licences have been suspended; and 96 FIRs have been lodged. If I talk about show-cause notices issued in totality in the past seven months, the number is 12,814; 5,835 licenses have been cancelled; and 649 FIRs have been lodged. जिसमें से for black-marketing, 442 FIRs have been lodged. We have been proactive and very strict. This has been done in coordination with the State Governments. And the action taking agency is the State Government. Whatever complaints we receive, we, certainly, see to it that they are answered immediately. We communicate it to the State Governments. We have asked the State Governments to proactively work. मैंने सात महीने में 12 हजार के आस-पास बताया, this is for show-cause notices and 5,835 licences have been cancelled in just seven months. We have been very active and in the continuing Rabi season and in the next Kharif season, we have decided to have a special plan for it, so that we are able to see that no substandard material or fertilizer is being distributed. This is number one. Two, hoarding is restricted and not permitted and, of course, fertilizer should reach them in time. This question does not pertain to it. But since the hon. Member has asked, I would like to say this. यह वातावरण बनाने की कोशिश होती है कि फर्टिलाइज़र नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है। हमने टाइमली हरेक स्टेट को फर्टिलाइज़र पहुंचाया है। We also know that fertilizer is being diverted. It is also a known fact that dealers are hoarding it. This has to be taken care of by the State Governments. As far as delivery of fertilizers is concerned, it reached everywhere on time. ...*(Interruptions)*... I would like to be very clear about it. ...*(Interruptions)*... I would like to request the hon. Members of Parliament to actively see to it because आप पूछेंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम थू आउट सीजन की बात करें, तो आज की डेट में यूरिया हमारे पास 67.85 lakh MT is in stock; 25 lakh MT is going to come next month; and 25 lakh MT is going to come next month. So, 50 lakh MT of urea along with this 67 MT is available. This is number one. Two, 17 lakh MT of it has been imported. It is at the port. हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और भेजने में भी हम देर नहीं करते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है और किरण जी ने जो कहा है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि we are taking up a pilot project where we are trying to see to it that the land area

which you have and the fertilizer you are asking for has to be taken care of. किसान को हम subsidized fertilizer देते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 10 बोरी की है, but he is taking 50 bags. This also has to be taken into consideration. जिसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट की मदद चाहिए और मुझे एमपीज़ की भी मदद चाहिए so that we are able to see to it that the fertilizer is not diverted और होर्डिंग भी न हो, इसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Shrimati Kiran Choudhry.

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Thank you, hon. Minister for this answer. That was an answer which gave a lot of inputs for our farmers. I would also like to mention one thing to the hon. Minister. एक malpractice बहुत होती है, जिसके अंदर जब यूरिया दिया जाता है या फर्टिलाइज़र दिया जाता है, तो जबरदस्ती उनको कुछ न कुछ और लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके ऊपर आर्थिक संकट पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज़ को भी संज्ञान में लिया जाए और एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया जाए, ताकि इस तरह के जो काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से penal action हो। I would also like to know whether the Centre has assessed the economic losses faced by farmers due to application of non-standard fertilizers and, if not, whether compensation mechanisms are being deliberated upon.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदय, जहाँ तक हमसे यह कहा जाता है कि इसके साथ-साथ कुछ और सामान लिया जाए, तो, certainly, the Ministry will discuss this issue with the companies and we will see to it that such types of activities, जिससे फार्मर्स को दिक्कत न आए — हम इसका ध्यान रखेंगे। महोदय, दूसरी बात, जो इन्होंने कही, वह यह है कि जो सब-स्टैंडर्ड मैटीरियल है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के सैक्शन 19 के तहत उन पर एक्शन होता है और हम उसको मार्किट में आने से प्रोहिबिट करते हैं। जिस कंपनी का भी पकड़ा जाता है — आगे एक क्वेश्चन आया है, हम उसका भी जवाब देंगे, लेकिन अभी मैं सदन में यह बताना चाहता हूँ कि जिस कंपनी का भी पकड़ा जाता है, उसकी सब्सिडी पर जो पेमेंट अमाउंट बचा हुआ होता है, हम उसको सीज करते हैं और उस पर पेनल्टी लगाते हैं। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि हम यह काम करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shrimati Mausam B Noor.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Sir, through you, I would like to ask of this to the hon. Minister. With over 95 per cent of its specialized fertilizers being imported from China, is it not a national disgrace that India's *Rabi* crop and farmers livelihood are at risk due to China's suspension of the same? And, as the prices of these inputs are expected

to increase by 12 per cent, how long will domestic production and diversification remain ignored?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Although this question does not pertain to the original question, but the statement that 90 per cent of fertilizer comes from China is not correct. It is an incorrect... ...(*Interruptions*)....

SHRI JAIRAM RAMESH: She is talking about specialty fertilizers.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Specialty fertilizer also! That is number one. Secondly, as far as diversion part is concerned, we are trying many schemes so that we also go for diversion.

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shri Ashokrao Chavan.

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण: सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की इजाजत दी है। महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है और इस देश में यह एक सच्चाई है कि यहाँ फर्टिलाइज़र्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स की प्रचुर उपलब्धता है। हालाँकि यह एक स्टेट सब्जेक्ट है, जहाँ पर वितरण स्टेट से लगा हुआ है। सर, आपने अपनी स्टेटमेंट में यहाँ पर हाउस में जो जवाब दिया है, आपने अप्रैल, 2025 से नवंबर, 2025 तक जो भी होल्लिंग, सब-स्टैंडर्ड क्वालिटी, डायवर्शन, ब्लैक मार्किटिंग पर जो भी जवाब दिया है, उसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं कि इसमें शो कॉज़ नोटिस दिए गए हैं, इसमें होल्लिंग के खिलाफ, ब्लैक मार्किटिंग के खिलाफ काफी एक्शनस लिए गए हैं। सर, जो आज के हालात हैं, उनमें क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से किसान को एक अनिश्चित वातावरण में खेती करनी पड़ रही है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, देश में हर जगह क्लाइमेटिक चेंज का असर है, बाढ़ आती है, तो पूरी फसल बह जाती है और देश में कहीं पर सूखा भी है। सर, हम यह प्रॉब्लम देखते हैं कि ऐसे हालात में फर्टिलाइज़र की यह जो समस्या निर्मित हुई है, इसका स्टेट से जरूर संबंध है..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Please come to your question

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण: आपने कहा कि जो एफआईआर की हैं, शो कॉज़ दिए हैं, उसके बाद भी रेट ऑफ कंविक्शन शून्य है। महोदय, अगर रेट ऑफ कंविक्शन देखा गया, तो इस मामले में — हालाँकि यह प्रैक्टिस हो गई है, लोगों को शो कॉज़ नोटिस दिया जाता है, एक्शनस लेने की बातें कही जाती हैं, लेकिन कंविक्शन जीरो रहता है, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि स्टेट्स के साथ इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और कंविक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या

कर सकते हैं, उस पर सोचा जाए, ताकि ये पाबंदियाँ हो जाएँ और कोई ब्लैक मार्किटिंग करने की हिम्मत न करे— इसके लिए हमारी केंद्र सरकार क्या काम कर रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति जी, नंबर वन बात तो यह है कि हम प्रो-एक्टिव हैं। नंबर टू बात यह है, जैसा कि मैंने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना भी स्टेट का काम है स्टेट ही इसे देखती है और उनके साथ को-ऑर्डिनेशन में we are trying to see to it that कि इसमें एक्शन भी हो और कंविक्शन भी हो।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri K.R.N. Rajeshkumar.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Sir, the Government is encouraging farmers to use nano fertilizers. I want to ask the hon. Minister: What are the steps taken by the Government to ensure standards and quality of nano fertilizers? Take, for example, Nano Urea and Nano Potash. Across India, the farmers are now moving to nano fertilizers. What are the steps taken by the Government to ensure the quality?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, the question pertains to fertilizer distribution and I would request the Member to ask a separate question about the Nano fertilizer. I would give a detailed answer about the steps we have taken.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.92.

Status of NCLT/NCLAT Performance

*92. DR. SASMIT PATRA: Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the detailed and quantified assessment of the NCLT performance in reducing NPAs and unlocking value as compared to DRT, SARFAESI and BIFR since its inception;
- (b) the number of cases and quantum of funds that have been unlocked from NPAs by NCLT/NCLAT as compared to other forums, highlighting its efficiency;
- (c) whether bottlenecks at NCLT/NCLAT—such as vacancies, lack of courtrooms, absence of adequate staff and infrastructure shortages undermine IBC efficiency, if so, the remedial steps taken by the Ministry; and
- (d) why the Ministry is not able to provide a dedicated building to NCLT/NCLAT instead of running from rented premises?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI HARSH MALHOTRA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Till September 2025, 8659 corporate debtors (CDs) have been admitted into Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Of these, 1300 CDs have been resolved, 2869 CDs have been referred for liquidation, 1342 applications have been settled through appeal/ review/ settlement, and 1223 applications have been withdrawn. The creditors have realised Rs. 3.99 lakh crore under the resolution plans. This realisation is about 32.44% as against the admitted claims and 170.09% as against the liquidation value. Resolution plans on average are yielding 93.79% of fair value of the CDs. Till September, 2025, 1529 CDs have been completely liquidated. The liquidation of these companies resulted in 90.70% realisation as against the liquidation value

The IBC has fundamentally altered the debtor-creditor relationships, as evidenced by the sharp decline in NPAs of scheduled commercial banks — from 12% in 2017 to less than 2.3% in March, 2025 (as per RBI's FSR Report June 2025) .

The IBC has also enhanced recovery of NPAs by Scheduled Commercial Banks (SCBs). The RBI's Report on Trends and Progress of Banking in India for the year 2023-24, as released on December 26, 2024 highlights that SCBs have recovered Rs. 96,325 crore through various channels (such as SARFAESI, DRT, LokAdalat, IBC etc) with the IBC channel alone contributing Rs. 46,340 crore, which is 48.1% of the total recoveries. The IBC remained the dominant mode of recovery.

(c) NCLT and NCLAT are quasi-judicial bodies. NCLT was constituted as a Tribunal primarily to handle Companies Act 2013 cases and was designated as the Adjudicating Authority for IBC cases in 2016. The pendency of cases depends on circumstances and complexity of each case, nature of evidence, number of Interlocutory Applications (IA), stay by the higher courts, cooperation of stake holders. Filling up of vacancies of members is a dynamic, continuous and collaborative process between executive and Judiciary. Presently out of 63 Members 56 members are in position. To facilitate expeditious disposal, Government has taken necessary steps, which include use of technology by implementation of e-court and hybrid court project, holding regular colloquiums for capacity building of members, provision of physical infrastructure and requisite support manpower.

(d) The details of buildings provided to NCLT/NCLAT is as **per Annexure 'A'**. Out of total 18 benches of NCLT/NCLAT, 11 are housed in buildings owned by Ministry of Corporate Affairs (MCA)/Government, 06 are housed in buildings owned by Public Sector Enterprises, and 01 is in a private rented building.

Annexure 'A'

(i) NCLT Benches in MCA/ Central Government buildings

S. No.	Bench	No. of Sanctioned Courts	Jurisdiction
1	Principal Bench	01	New Delhi
2	New Delhi Bench	05	New Delhi
3	Ahmedabad Bench	02	Gujarat, Dadra Nagar Haveli & Daman & Diu
4	Bengaluru Bench	01	Karnataka
5	Chandigarh Bench	02	Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Chandigarh, Haryana
6	Chennai Bench	02	Tamil Nadu, Pondicherry
7	Cuttack Bench	01	Orissa, Chhattisgarh
8	Hyderabad Bench	02	Telangana
9	Jaipur Bench	01	Rajasthan
10	Kolkata Bench	03	Bihar, Jharkhand, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands
11	Kochi Bench	01	Kerala, Lakshadweep

(ii) NCLT Benches in Government/ Public Sector Enterprises rented buildings

S. No.	Bench	No. of Sanctioned Courts	Jurisdiction
1	Guwahati Bench	01	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Meghalaya
2	Amravati Bench	01	Andhra Pradesh
3	Indore Bench	01	Madhya Pradesh
4	Mumbai Bench	07	Maharashtra, Goa

(iii) NCLT Benches in Private rented building

S. No.	Bench	No. of Sanctioned Courts	Jurisdiction
1	Allahabad Bench	01	Uttar Pradesh, Uttarakhand

(iv) NCLAT Benches in Government/Public Sector Enterprises rented buildings

S. No.	Bench	No. of Sanctioned Courts	Jurisdiction
1	Delhi	04	All over India except Chennai Bench jurisdiction
2	Chennai	01	Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and UTs of Lakshadweep and Puducherry

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Hon. Chairman, Sir, I would like to first place on record my appreciation for the judicial members and technical members of the National Company Law Tribunal who continue to deliver outstanding performance under extraordinarily difficult circumstances. There is scarcity of personal staff and experienced stenographers for order dictation, offices run largely by contractual employees and the burden of Insolvency and Bankruptcy Code as well as Company Law on the entire Benches. Despite that, they have maintained recovery rates much better than DRT, SARFAESI and BIFR. My question to the hon. Minister is, when the Government will consider providing full time sanctioned staff instead of contractual personnel, ensuring better infrastructure and living conditions for judicial and technical members, adopting a uniform and rational system for remuneration fixation and consider and revisit, probably, to scrap the compulsory three year rotation policy to allow continuity and specialization that this complex work demands.

श्री हर्ष मल्होत्रा: माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एनसीएलटी की वर्किंग और उसके रिज़ल्ट ओरिएंटेशन के लिए एप्रिंशिएट किया है, साथ ही उन्हें इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू टेक-अप किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि मंत्रालय के द्वारा एनसीएलटी और एनसीएलएटी को इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के लिए भी स्पेशलाइज़्ड फंड देने का प्रावधान है। दूसरी बात, इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है and there is always a scope for improvement. इसके साथ-साथ, जब एनसीएलटी और एनसीएलएटी को मेंटेनेंस के लिए फंड दिया जाता है, तो यह उनकी भी जिम्मेदारी है कि वे भी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क को कम्प्लीट कराएं। सर, मैं कुछ फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ। मंत्रालय के द्वारा, चाहे वह मुंबई बेंच के लिए नए कोर्ट रूम के कंस्ट्रक्शन की बात हो, तो इसके लिए 2.17 करोड़ का काम प्रोग्रेस पर है। इसी प्रकार, चंडीगढ़ बेंच में भी लगभग एक करोड़ की कॉस्ट से रेनोवेशन वर्क चल रहा है। दिल्ली की बेंच के लिए सीपीडब्ल्यूडी रेनोवेशन का लगातार काम कर रहा है।

महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में स्टाफ की बात की है, तो मैं आपके माध्यम से एक बार सदन को स्टाफ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। एनसीएलटी और एनसीएलएटी के लिए 378 सैंक्शनड स्टाफ है, जिसमें से इन-पोज़िशनड 331 है, means only 47 vacancies are for that. सर, ये परमानेंट स्टाफ के आँकड़े हैं। जो स्टाफ आउटसोर्स किया जाता है, उसकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ 553 है। ऑलटो वे 444 इन-पोज़िशनड हैं और 109 वैकेन्सीज़ हैं। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वैकेन्सीज़ को फिल करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहता है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Hon. Chairman, Sir, since my second part of the supplementary has already been referred to, on infrastructure, can I just end with one suggestion? Hon. Finance Minister is here; she also looks after Corporate Affairs. I leave it to the wisdom of the Ministry. Madam, you have got Kartavya Bhavan 3, one building where you have got different floors and different Ministries. Can we consider a Nyay Bhavan, one floor each for one tribunal? If you go to Armed Forces Tribunal, it is in R.K. Puram, a very small dingy space. If you come to NCLT, again you have a rented apartment. Courtroom, sometimes, do not function. So, my only humble suggestion, and probably I will seek a response, is that if you have one such building, you provide one tribunal on each floor, -- NCLT, NCLAT, TDSAT, ITAT, Armed Forces Tribunal, etc. -- if they are all at one place with all the facilities, you would be able to actually recover much more NPAs through the NCLT, NCLAT and all these forums into the system. I request hon. Minister's response. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री हर्ष मल्होत्रा : मैं माननीय सदस्य को उनके सजेशन के लिए धन्यवाद करूंगा।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I heard the suggestion.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Sanjay Singh.

श्री संजय सिंह: मान्यवर, आपने मुझे सप्लिमेंट्री पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अपने एनसीएलटी के माध्यम से यह बताने का काम किया है कि जो बड़े बकायादार थे, उनसे काफी अच्छे कर्जे वसूले गए हैं, लेकिन जो कर्जदार आज हिंदुस्तान छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं, उनके बारे में सरकार बार-बार बयान देती है कि हम उनको हिंदुस्तान लाएंगे और उनसे कर्जा वसूलेंगे। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, जो हिंदुस्तान के बैंकों का हज़ारों करोड़ रुपया लूटकर बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप हिंदुस्तान कब लाएंगे और कब उनसे इन कर्जों की वसूली होगी?

श्री हर्ष मल्होत्रा: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह आज के पेरेंट क्वेश्चन के ऊपर पर्टेन नहीं करता है। अगर वे अलग से प्रश्न पूछेंगे, तो इसका उत्तर दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Dr. Bhim Singhji.

डा. भीम सिंह: महोदय, प्रश्न के उत्तर के अनुसार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में स्टैकहोल्डर्स को कठिनाई न हो, इसलिए डिफरेंट प्लेसेज पर यह कोर्ट और बेंच स्थापित किए गए हैं। हमने उस सूची को देखा है। पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा बेंचों की कमी है और बिहार, झारखंड उससे अछूता है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वे एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल की बेंच पटना में स्थापित करना चाहेंगे?

श्री हर्ष मल्होत्रा: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि एनसीएलटी के 1+15 बेंचेज हैं, जिनमें 32 कोर्ट्स चलती हैं। NCLAT की पांच कोर्ट्स चलती हैं। पटना के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट को establish करना या वहां बेंच को लगाना, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में या आस पास के एरिया में number of cases कितने हैं। इसको देखने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, given that the resolution delays are not only escalate NPAs further but erode recovery values also, whether the Ministry will publish data on the average time taken by NCLT and NCLAT to resolve corporate insolvency and actual value realized, as zero per cent of claims over the last five years, benchmarking this against timelines and recovery under alternative forums like DRT, SARFAESI. This will help assess whether IBC, through NCLT, truly offers a time-efficient and value-efficient resolution mechanism.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री हर्ष मल्होत्रा: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह से एनपीए का जो शार्प डिक्लाइन हुआ है, मैं उसका डाटा बताता हूँ। यह 2017 में 12 परसेंट था और मार्च, 2025 तक वह सिर्फ 2.3 परसेंट है। इसके साथ-साथ मैडम ने resolution process और उसके समय की बात की है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि दिसंबर, 2024 तक 1,194 resolutions हो पाए हैं और उनका जो average time period है, वह 585 days है, जबकि बेंचों के द्वारा जब यह काम किया जाता था, तो average 4.5 साल भी लग जाया करते थे। इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब cases apply होते हैं for admission, because of the deterrent of IBC and good course of resolution, अगर 40,000 applications आते हैं, तो लगभग 30,745 applications admission से पहले ही settle होते हैं और उनमें जो amount recover हुआ है, वह 13.94 लाख करोड़ हुआ है। मैं एक और data देना चाहूंगा। 2,707 companies के लिए जो liquidation के orders आए, 508 days के अंदर उनका order आया है। मैं एक और data देना चाहूंगा। किसी एक particular case के resolution के

लिए जो minimum time taken है, that is, 119 days, in Nanda Hotels Ltd. Case, that was delivered on 14th December, 2017.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 93. Dr. John Brittas; not present.

* 93. [*The questioner was absent.*]

Direction of NMC to Limit MBBS Seats

*93. DR. JOHN BRITTAS: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether Government has noted concerns that the National Medical Commission's (NMC) 2023 directive to cap MBBS seats at 100 per million population will adversely impact southern States, including Kerala, which have already exceeded this ratio;
- (b) whether the NMC has permanently withdrawn the said 2023 directive, considering that the one-year freeze on the guidelines issued subsequently by Under-Graduate Medical Education Board (UGMEB) on August 16, 2023, has expired, and the cap has been set to be implemented from the academic year 2025-26; and
- (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): (a) to(c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The National Medical Commission (NMC) is the apex statutory body constituted by an Act of Parliament, entrusted with the responsibility of regulating and overseeing medical education and practice across the country. As informed by NMC, the implementation of capping of MBBS seats has been deferred for the Academic Year 2024-25 & 2025-26.

MR. CHAIRMAN: Any supplementaries? Supplementary question; Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, my question to the hon. Minister, through you, is about the practicality of capping of MBBS seats. In the State of Kerala, the Kasaragod district, which has got 1.5 million population, has just got 50 MBBS seats, and that also was allocated this year. The adjacent district which is South Kannada district, in Karnataka, particularly, the city of Mangalore has got 2.1 million population, it has got 2,100 MBBS seats. Sir, that is how the MBBS seats are concentrated. Even in the US, if you look, the medical colleges are concentrated in certain States only like New York, California and all. The capping of MBBS seats is completely impractical. My question to the hon. Minister through you is whether the Government is proposing to do away with the capping of MBBS seats.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, the issue of capping of MBBS seats to 150 per medical college came up with the UG MSR Regulations 2023, but there were several representations received by us. The NMC, after discussion with the Ministry, has kept that on hold. It is not being implemented so far. But insofar as the availability of medical colleges and the decision of capping thereby are concerned, what we need to understand is the whole of India picture. If we take a look closely at the availability of medical colleges and doctors across the country, there is a regional disparity. There are certain regions of the country like the eastern region or the north-eastern region which has many States and UTs, wherein, there is a lesser presence of medical colleges and doctors. The whole idea of capping, as far as I understand, was to make sure that there is more fair distribution of medical seats in those areas which are slightly less performing so that we are able to improve the health indices. However, since the UG MCR 2023 regulation of capping to 150 seats per medical college has been kept on hold, further decision will be taken later.

MR. CHAIRMAN: Next supplementary question, Shri Mahendra Bhatt.

श्री महेंद्र भट्ट: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एमबीबीएस सीटों का निर्धारण करने के लिए जिस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मानकों का निर्धारण निर्धारण किया जाता है, उसमें प्रत्येक राज्य के लिए मेडिकल की सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, as per the existing rules, every college is allowed a maximum of 250 seats. But, further, any proposal regarding the extension of seats for medical colleges will be discussed in NMC only.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Manoj Kumar Jha.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Thank you so much, Sir. आपकी नजर इधर पड़ी, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। दोनों मंत्री महोदय यहां हैं। मैं जानता हूँ कि मैं इस सवाल को पूछ करके wild card entry ले रहा हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप यह मत कहिएगा कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। सर, मैंने एक व्यक्तिगत संकट के दौरान बीते पौने तीन महीने AIIMS में बिताए हैं। वहां कई लोगों से बातचीत हुई। Nursing staff के मामले में spouse transfer policy का एक बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पर AIIMS और इस तरह के तमाम संस्थानों में। मैं चाहूंगा कि उस पर आपकी थोड़ी नजर-ए-इनायत बेहतर हो जाए, तो उनमें से कईयों का भला होगा। आप इसे प्रश्न समझिए या सुझाव समझिए, यह आप पर निर्भर है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, आपने जो विषय उठाया, उसके संबंध में हम जरूर विचार करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 94.

Loans written-off by public sector banks

*94. SHRI RAMJI LAL SUMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) the details of number of loans amounted to more than ₹ 50 crore written off by public sector banks during the last three financial years (FYs) and the current FY, till date along with the details of total amount of loans written off, bank-wise and year-wise; and
- (b) the details of number of loans amounted to less than ₹ 50 crore written off during last three FYs and the current FY, till date along with the details of total amount of loans written off, public sector bank-wise and year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per inputs received from Public Sector Banks (PSBs), the bank-wise year-wise details of written-off loans where the amount of loan sanctioned is less than Rs. 50 crore, and greater than & equal to Rs. 50 crore during the last three financial years (FYs) and the current FY till 30.9.2025 are at **Annexure**.

Banks write-off non-performing assets (NPAs), including, *inter-alia*, those in respect of which full provisioning has been made on completion of four years, as per the Reserve Bank of India (RBI) guidelines and policy approved by banks' Boards. Such write-off does not result in waiver of liabilities of borrowers and therefore, it does not benefit the borrower. The borrowers continue to be liable for repayment and banks continue to pursue recovery actions initiated in these accounts.

Further, recovery in written-off loans is an ongoing process and banks continue pursuing their recovery actions initiated against borrowers under the various recovery mechanism available to them, such as filing of a suit in Civil Courts or in Debts Recovery Tribunals, action under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, filing of cases in the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code, *etc.*

Annexure

Details of NPAs written-off by Public Sector Banks

(Amounts in crore Rs.)

Bank	FY 2022-23				FY 2023-24				FY 2024-25				FY 2025-26 (till 30.9.2025)			
	Where amount of loan sanctioned is less than Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is greater than and equal to Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is less than Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is greater than and equal to Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is less than Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is greater than and equal to Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is less than Rs. 50 crore		Where amount of loan sanctioned is greater than and equal to Rs. 50 crore	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
Bank of Baroda	1,19,906	8,864	59	9,134	71,583	5,491	34	5,027	63,854	2,750	46	6,230	22,622	2,507	13	767
Bank of India	1,14,777	5,077	21	3,617	1,23,403	2,858	50	7,039	1,57,369	4,999	60	2,959	81,193	2,653	11	1,154
Bank of Maharashtra	22,280	1,150	5	341	11,327	719	4	271	26,724	796	-	-	31,604	554	1	27
Canara Bank	2,73,077	11,080	23	1,680	1,65,084	5,940	55	5,887	2,60,493	8,882	30	5,468	2,35,097	3,782	5	2,795
Central Bank of India	80,354	4,372	32	5,886	3,24,553	6,568	17	3,433	35,183	854	6	2,516	39,454	826	1	55
Indian Bank	1,26,291	2,856	38	5,096	1,19,038	6,793	24	1,941	2,79,464	3,828	5	1,088	2,39,263	2,638	-	-

Indian Overseas Bank	37,834	1,514	19	1,898	51,102	3,682	27	3,497	62,351	1,473	4	2,411	11,813	347	-	-
Punjab and Sind Bank	6,104	678	14	1,605	2,512	144	9	652	5,245	472	11	1,050	1,869	232	-	-
Punjab National Bank	1,17,853	3,054	70	13,524	93,710	7,640	34	10,677	1,10,907	5,271	46	6,888	44,128	2,063	10	1,138
State Bank of India	6,56,052	12,892	35	11,169	5,57,430	11,315	34	4,846	4,70,509	12,015	28	8,294	2,26,417	6,177	12	2,324
UCO Bank	44,867	1,787	11	788	34,127	1,136	13	802	52,260	1,301	5	264	54,959	753	-	-
Union Bank of India	1,20,620	14,884	89	4,291	79,676	14,747	36	3,517	2,35,452	9,769	28	1,865	1,78,364	3,332	13	944

Source: PSBs

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति जी, सरकार उद्योगपतियों पर बहुत मेहरबान है, ऐसा लगता है। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है और पिछले तीन वर्षों में उद्योगपतियों ने, सरमाएदारों ने जो 1,70,142 करोड़ लिए थे, वे बट्टे खाते में डाल दिए गए, उनसे वसूली नहीं हुई। वित्त वर्ष 2002 के बाद वित्तीय संस्थाओं से और बैंकों से जो ऋण दिए गए थे, उन ऋणों की वापसी नहीं हुई और 6.5 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में इस खाते में जो दौलत डाली गई, वह 58 हजार करोड़ रुपये है। सभापति जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह जो सरमाएदारों को, बैंक वालों को पैसा दिया जाता है और वह पैसा वापस नहीं होता, तो लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों से, बैंक से पैसा वापस न होने में सरकार या वित्तीय संस्थाएं उदारता बरतती हैं। सभापति जी, मैंने पिछले दिनों कुछ कागज देखे..

MR. CHAIRMAN: You please raise your question. ...(*Interruptions*)...

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति जी, एक मिनट। मैं सवाल पूछ रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: No, no! You are giving a big speech.

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति जी, अंबानी और जय प्रकाश जैसे लोगों के भी 12 लाख करोड़ रुपये का ऋण सरकार ने माफ किया है। मैं आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूँ कि आपने बट्टे खाते में यह जो पैसा डाल रखा है, यह एक बड़ी राशि है। इस पैसे को वापस कराने में सरकार ने क्या प्रभावी भूमिका अदा की है और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार क्या एहतियात बरत रही है?

श्री पंकज चौधरी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि सरकार ने पैसा माफ कर दिया, तो पहली बात यह है कि सरकार कोई भी ऋण माफ नहीं करती है। बैंक की, आरबीआई की गाइडलाइन और अपनी अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत एनपीए लोन राइट ऑफ करती है। ...(*व्यवधान*)...

श्री रामजी लाल सुमन: सर ...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। Let him answer.

श्री पंकज चौधरी: सर, एनपीए लोन write-off करने से पहले सभी बैंक्स 100 परसेंट provisioning करती हैं और NPAs, International Accounting Standards अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर राइट ऑफ होता है। माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर देखें, तो लगातार सरकार के तमाम प्रयासों के बाद 2014-15 में जहाँ एनपीए 4.97 फीसदी था, वह घट कर 2.30 फीसदी हुआ है। जहाँ तक माननीय

सदस्य ने कहा कि उनको बट्टे खाते में डाल कर रिकवरी नहीं होता है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर Banks का 2014-15 में जहाँ रिकवरी रेट मात्र 11.14 परसेंट था, आज वह 2025-26 में बढ़ कर 47.83 परसेंट हो गया है। इससे यह साबित होता है कि बैंक का जो NPA खाता है, उसमें कहीं-न-कहीं कार्रवाई की जा रही है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Ramji Lal Suman.

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो सरमाएदार हैं, अमीर लोग हैं, बड़े घराने हैं, उन्होंने जो ऋण लिया था, वे उस ऋण की अदायगी नहीं कर पाए, क्योंकि वे बेचारे बेसहारा थे, उनके पास दौलत नहीं थी। क्या मंत्री जी को इस प्रकार की कोई जानकारी है कि किसानों ने जो लोन लिया है...

MR. CHAIRMAN: Please come to your question.

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति जी, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस देश में किसानों ने जो ऋण लिया है, उनके ऋण के मामले में कहीं बट्टे खाते में डाला गया है? अगर ऐसा नहीं है और किसान इतना ईमानदार है, तो क्या यह सरकार किसानों के कर्ज माफी करने पर विचार कर रही है?

श्री पंकज चौधरी: सभापति महोदय, जहाँ तक बैंक से लोन देने का सवाल है, वह आरबीआई की निगरानी में बैंकों द्वारा निर्णय लिया जाता है और जहाँ तक माननीय सदस्य ने किसानों के संबंध में बात की है, तो उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि अगर देखें, तो 30.9.2025 तक टोटल लोन 24.61 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया गया है और इंडस्ट्री को 42.66 लाख करोड़ रुपए दिया गया है।...(व्यवधान)... माननीय प्रधान मंत्री जी का विशेष जोर है कि सभी आम जन तक लोन पहुँचे। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अगर आप देखें, तो कहीं-न-कहीं सबको वह सुविधा प्राप्त हो, ऐसी तमाम स्कीम लेकर हमारी सरकार आई है।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Shambhu Sharan Patel.

श्री शंभू शरण पटेल: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आज बैंकिंग सेक्टर के राइट-ऑफ के महत्वपूर्ण बिंदु पर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। इस विषय पर मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि जिन बैंक कर्मियों की मिलीभगत से गलत ऋण वितरित कर दिए जाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इन्हीं गलत ऋणों के कारण बैंकों को राइट-ऑफ करना पड़ता है?

श्री पंकज चौधरी: सभापति महोदय, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसलिए एनपीए की रिकवरी भी की जाती है। अगर देखें, तो 2024-25 में जहाँ 9,500 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, वहीं 2025-26 में 5,367 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई।

MR. CHAIRMAN: Next supplementary, Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ला: चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने रेपो रेट भी कम कर दिया है, तो जो लोग उधार लेना चाहते हैं या कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए आप बैंक इंटररेस्ट रेट कितना कम करके उनको राहत देंगे? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पहला एनपीए होता है, उसके तुरंत बाद उसमें SARFAESI डाल दिया जाता है और उसके बाद जब वह वेबसाइट पर डाला जाता है, तो उसका सारा काम ठप्प हो जाता है। उसके बाद फिर NCLT आदि की कार्रवाई चालू हो जाती है, क्योंकि बैंकों का बड़ा draconian process होता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कितनी राहत देने जा रहे हैं? एक तरफ रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट कम कर दिया है और दूसरी तरफ बैंक्स ने क्या पॉलिसी अपनाई है? अगर निर्मला जी इसका जवाब दें, तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री पंकज चौधरी: सभापति महोदय, पहले तो यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है और जहाँ तक रेपो रेट को कम करने या बढ़ाने का निर्णय आरबीआई लेती है।

MR. CHAIRMAN: Shri Sujeet Kumar.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I would like to compliment and congratulate the Finance Minister and the entire Finance Ministry for reducing the NPA, which was over 14 per cent ten years ago and it is less than three per cent today. So, my sincere compliments to the Minister and the Ministry.

Sir, recently, I applied for a car loan and despite having an excellent CIBIL score, the rate of interest which was charged to me by the bank is higher than what my friends who are working in the corporate sector are charged. When I asked the bank why it is so, they told me, 'I am a PEP, 'Politically Exposed Person.' This issue was brought about two years ago in the House, in this august House also, Sir. I would like to know from the Minister why we politicians have to pay a higher rate of interest just because we are MPs or politicians.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री पंकज चौधरी: सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया कि बैंक अपने बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर कार्य करता है और उसका ब्याज रेगुलेट होता रहता है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि

किसी राजनैतिक व्यक्ति को अतिरिक्त ब्याज देना पड़े। अगर ऐसा कोई विषय है, तो माननीय सदस्य मुझे अलग से बताएँ, मैं देख लूँगा।

MR. CHAIRMAN: Question No. 95.

Even distribution of funds and project

*95. SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

- (a) the manner in which the Ministry would ensure that the funds and projects are spread more evenly across the country, especially to States that still lag in solar and wind deployment, in view of the \$11.8 billion influx and the 22 GW of heavily skewed new capacity toward Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu; and
- (b) the concrete mechanisms (currency hedges, long-term PPAs, sovereign guarantees) being put in place to protect against off-take and regulatory risk, particularly for emerging battery-storage and green-hydrogen ventures in view of foreign and domestic investors pumping in record capital?

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PRALHAD JOSHI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Since renewable energy (RE) projects tendered by Renewable Energy Implementing Agencies (REIAs) are awarded through tariff-based competitive bidding, RE developers plan their projects at locations with high RE potential like solar radiance & wind potential and other associated factors such as land availability, connectivity, etc. where they can compete effectively in terms of tariff.

All the states/UTs are free to procure power from RE through open and transparent bidding process either through bids issued by themselves or through the REIAs for projects installed within the state/UT or outside the state as per their requirement. For RE projects to be installed within the state/UT, the concerned state/UT has to ensure providing land, transmission infrastructure and signing of Power purchase Agreement (PPA).

Apart from above, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) is promoting decentralized renewable energy through schemes such as (i) PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana for installation of rooftop solar on one crore residential households, solarization of Government buildings and development of model solar village, one in each district of the country, and (ii) PM KUSUM scheme for solarisation of agriculture sector targeting solarisation of around 50 lakh irrigation pumps including both electric and diesel pumps. A total solar capacity of around 65 GW is targeted under these schemes. The schemes are demand driven and states are free to participate in the scheme by providing conducive policy and regulatory support. Apart from financial support the Government is providing concessional financing of @ 5.75% interest rate (repo rate +0.5 pbs) under PM Surya Ghar: MuftBujli Yojana and interest subvention through Agriculture Infrastructure Fund (AIF) in PM KUSUM Scheme.

(b) To insulate & protect developers from the off-take risk, REIAs, as intermediary procurer, sign long-term PPA with developers and back-to-back Power Sale Agreement (PSA) with DISCOMs. The PPA has sufficient provisions including Change in Law to protect the developer from regulatory risk. The bidders are free to participate in the bids on fulfilment of eligibility criteria and may quote the price as per their own estimation of Return on Investment.

Further, to address the concerns of investors and other stakeholders in the power /renewable energy sector about the timely recovery of the cost due to change in law, curtailment of renewable power and other related matters, the following Rules have been notified by the Ministry of Power under Electricity Act, 2003, in the interest of the electricity consumers and the stakeholders:

1. Electricity (Timely recovery of costs due to Change in Law) Rules, 2021.
2. Electricity (Promotion of generation from renewable sources of energy by addressing Must Run and other matters) Rules, 2021.
3. Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022
4. In recent Green Hydrogen-derived Green Ammonia tender under the Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) Programme (Mode 2A), offtake risk is mitigated through back-to-back Green Ammonia Supply Agreements & Purchase Agreements. The tender includes provisions for Letters of Credit to strengthen payment assurance.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, renewal expansion requires parallel strengthening of grid integration capacity, including forecasting tools and flexible transmission planning. I want to ask the hon. Minister what steps are being taken to

have a proper strategy and enhance national grid readiness such as improved forecasting, balancing systems and dynamic transmission planning to support large-scale renewable deployment across all regions.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, he has raised a very important question. One is, he has talked about the policy stability. I would like to inform the House, through you, Sir, that for the last more than 11 years, because of political stability, policy stability is also perfect not just in energy sector but in every sector. And, this political stability will continue for many more decades and the policy stability will also continue for many more decades. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: What about currency stability?

SHRI PRALHAD JOSHI: As far as Part B of his question is concerned, I would like to say that grid integration and regulatory mechanism pertain to the Ministry of Power. However, we have a Cell in the Ministry also. We are regularly interacting with them. We also have a dedicated transmission cell for an effective transmission planning for RE projects. And, to support the transmission for RE projects, we have introduced Green Energy Corridor No. 1 where CFA is 40 per cent and the total target was 9,607 circuit kilometres; and up to October, 2025, 9,166 CKM of the transmission lines have been completed. Now we have already started GEC-2 also, which have the goal of completing 7,119 circuit kilometres. As far as forecasting is concerned, we have established RE Management Centres in many places and that is also going to continue further. We are going to establish many REMCs and now it is already established for real time forecasting, scheduling and RE monitoring generation.

Sir, he is a very learned Member, and, as he knows, if you look just 10-11 years back, the overall generation from the RE was especially by solar and it was less than 2.8 gigawatt. Today, it is 127 gigawatt, and wind is almost 55 gigawatt, which means, for the first time, what Prime Minister Modi had committed to the World Forum that before 2030, we are going to achieve 50 per cent of our electricity energy by renewable sources, that has been achieved five years well in advance, and the investment is also nearly about 12.4 billion dollars in these years. So, this itself shows that there is a policy stability and I am open to suggestions from all sides for further improvement and to achieve future targets. They can send their suggestions to me. I am very thankful that he has raised a very important question.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, I must honestly admit that the hon. Minister and this Government have done a very good job in the renewable energy sector. But we need to look at going forward to meet our goals. There are certain things that I wish to bring to the notice of the Government and wish to understand from him. Timely land access, environmental approvals and inter-agency coordination remain major determinants of renewable energy project timelines. What measures are underway to streamline land and approval processes, regulatory certainty, expediting dispute resolution mechanisms, stable policy signals apart from strengthening inter-agency coordination and establishing clearer accountability frameworks to ensure smoother execution of renewable energy projects nationwide?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as land and RoW are concerned, it is, ultimately, a State subject. We are continuously interacting with the State Governments, whether with this party or that party, and I am personally meeting Chief Ministers. Whenever they come to Delhi, they meet me and where the States are performing well, they have understood the problems of the entrepreneurs and investors who are investing. But, basically, here the major problem is land. Land is a State subject. However, many good things have been done in many States. For example, there is deemed conversion, which means there is no need for converting agricultural land if it is for renewable energy. This policy has been adopted by the Karnataka Government. Many such things have been done in many States. Many proactive steps have been taken. Even now, in your State, Shri Chandrababu Naidu has taken many proactive steps because of which things are moving. About 76,000 households have got connectivity under the *PM Surya Ghar* project. Also, under ULA model, that is Utility-Led Aggregation model, he has asked for about seven lakh connections but, at present, we have approved 3.8 lakh connections. That would benefit eight-nine lakh households. These are things that have been done in the case of projects which are under our control. But since land is the issue of the State Government, we are, constantly, in touch with the States. For the smooth coordination between various departments, we are working things out. Every month, we are meeting with the stakeholders. Whatever suggestions they make for proper and fast implementation of the projects, we are taking them into consideration and we are trying to reduce the compliances also.

श्रीमती महुआ माजी: माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब 11.8 बिलियन डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में ज्यादातर हिस्सा कुछ चुनिंदा राज्यों राजस्थान, गुजरात और

तमिलनाडु में केंद्रित है, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि पूर्वी एवं मध्य भारत के राज्य जैसे झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्य, जहां भूमि जल स्रोत और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, वहां नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष नीति, अतिरिक्त प्रोत्साहन या क्षेत्र विशेष निवेश पैकेज लाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, she has asked mainly about decentralising the investment. If it can be really decentralised, it is only in renewable energy sector. As far as energy sector is concerned, if you want to do a hydro project, you can do it only where there is a river or where there is water. As far as coal is concerned or thermal power is concerned, you have to transport coal. For example, if you want to generate in South India, you have to transport coal from this side to that side. Renewable energy, in real sense, is decentralized. But the only thing is that States should take interest. As far as Jharkhand is concerned, I request you -- I do not want to do politics because I am interacting with all political parties and Chief Ministers irrespective of their affiliation -- to provide the land. As far as our schemes are concerned, like PM-KUSUM and PM-Surya Ghar, some of the States are proactively doing it. It is basically on 'first come, first served' basis. Whoever wants to take Central Financial Assistance, they can take it. I request you to use your good offices. In Jharkhand also, we want to see the progress. We have requested all Chief Ministers, including the Chief Minister of Jharkhand, to provide land and make use of the Central Financial Assistance. If you can kindly use your good offices in your respective States, all the schemes of the Government, led by Shri Narendra Modi, will be really useful to the public. You may kindly use your good offices.

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shrimati Sulata Deo.

श्रीमती सुलता देव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना' के अंतर्गत ओडिशा के लिए कितनी सब्सिडी का क्लेम किया गया है और कितनी सब्सिडी मिली है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ओडिशा में 2024 से कितने इंस्टॉलेशनस हुए हैं?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, this is, specifically, related to Odisha. Right now, I do not have the details. If my memory goes right, Rs.147 crores has been released under PM-Surya Ghar to Odisha. Of late, Odisha is doing well. Applications in Odisha under PM-Surya Ghar Mufti Bijli Yojana are 1,59,040. Residential installations are 20,760. Total subsidy release is around Rs.134 crores. This has been released. Under Utility

led Model, whatever request the Odisha Government has made, we have allowed it, not in entirety but with some limitation and with some cap. I will provide figures of Utility led Model as to what has been allowed to Odisha and those figures we will send to the hon. Member. As far as release of subsidy is concerned, Rs.134.05 crores is released to Odisha.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shrimati Rekha Sharma.

SHRIMATI REKHA SHARMA: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister as to where India stands globally in the field of renewable energy. इंडिया में ऐसे कितने घर हैं, जहां पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत ज़ीरो बिल आ रहे हैं?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as for where India stands, according to the latest International Energy Report, IEA, India now ranks 3rd in the world after the China and United States for growth in the power generation capacity over the past 5 years. जैसे मैंने पहले ही बताया है कि we have achieved 50 per cent non-fossil fuel installed capacity five years before the target date. As far as PM Surya Ghar is concerned, a total of 23 lakh households have been benefited. The PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana was announced in 2024, but because of the election, it actually took off in June 2024. I will send the exact number to her, but in the last one-and-a-half years, more than 23 lakh households have been benefited.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.96.

Ban on spurious and substandard fertilizers

#*96. DR. KALPANA SAINI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) the total number of cases registered in the country in the last three years related to the manufacture, sale and distribution of spurious and non-standard fertilizers, State-wise; and
- (b) the extent to which digital monitoring, tracking or other technological solutions have been implemented to strengthen the monitoring and enforcement mechanism to prevent the distribution of spurious and non-standard fertilizers in rural and remote area?

Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) and (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) In order to ensure adequate availability of good quality fertilizers to the farmers, Fertilizer Control Order (FCO)-1985 has laid down fertilizer-wise detailed specifications. Any fertilizer, not meeting the said specifications, cannot be sold in the country for agricultural purpose. Clause 19 of FCO strictly prohibits the sale or manufacture of fertilizers which are not of prescribed standards. Any sale of spurious/non-standard fertilizers is punishable under Essential Commodities Act, 1955. The State Governments are the enforcement agencies and are adequately empowered to enforce the provisions of FCO. Accordingly, the details regarding number of cases of spurious/non-standard fertilizers registered in the country in the last three years, as reported by the States, is placed at **Annexure**.

Further, whenever any case of non-standard fertilizer is reported by the State/UT's Agriculture Department, D/o Fertilizers recovers the subsidy amount from the pending subsidy claims of the concerned fertilizer company immediately, as per the applicable procedure. The amount recovered from P&K manufacturing companies during the last three financial years on account of non-standard quantities reported by the State(s)/UT(s) are as follows:

Financial Year	Non-Standard Fertilizers Quantity (in MTs)	Total Amount Recovered (in Rs. Crore)
2022-23	1,237.050	1.80
2023-24	3,164.350	2.58
2024-25	6,308.060	5.43

(b) The Integrated Fertilizer Management System (IFMS) was launched in June 2016 which is a comprehensive, all-integrated system covering all functionalities in the fertilizer supply chain. This comprehensive system covers the entire supply chain, meticulously capturing transactional data from raw material procurement, imports to fertilizer production and transportation via rail or road from plants, rake points, ports to district warehouses, and finally sale at PoS enabled retailers. Everything is aligned with monthly supply plans at district level and the movement of fertilizers is being captured in real time. Various modules under IFMS have been developed to ensure capture and maintain the fertilizers movement and sale data accurately in a secured manner. Besides, Department of Fertilizers has also developed e-Urvarak dashboard

which can be accessed by authorized users. The dashboard is developed to facilitate easy monitoring by various Stake holders viz. State Agriculture Departments, District Collectors and State Marketing Federations. The State Governments are also monitoring the availability and supply of fertilizers through IFMS and e-Urvarak Dashboard portals.

Moreover, in IFMS, for quality certification, States are required to furnish Proforma-B2 for P&K fertilizers, urea and SSP. A 180-day window is available for reporting any discrepancy in quality. If any discrepancy reported at any stage by the State or any other agency leads to recovery from the pending claims of the concerned company.

Annexure

S. No	State	Cases of Spurious/Non-Standard Fertilizers Registered in last 3years		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	Andaman and Nicobar	NA	NA	NA
2	Andhra Pradesh	NA	NA	NA
3	Arunachal Pradesh	NIL	NIL	NIL
4	Assam		1	
5	Bihar	NA	NA	NA
6	Chhattisgarh	NA	NA	NA
7	Dadra and Nagar	0	0	0
8	Daman and Diu	0	0	0
9	Delhi	0	0	0
10	Goa	NIL	NIL	NIL
11	Gujarat	66	130	28
12	Haryana	143	75	219
13	Himachal Pradesh	NIL	NIL	NIL
14	Jammu and kashmir	0	0	0
15	Jharkhand	NA	NA	NA
16	Karnataka	125	43	17
17	Kerala	0	0	0
18	Lakshadweep	NA	NA	NA
19	Madhya Pradesh	3	0	5
20	Maharashtra	1	3	11
21	Manipur	NA	NA	NA
22	Meghalaya	NIL	NIL	NIL
23	Mizoram	0	0	0
24	Nagaland	NIL	NIL	NIL
25	Odisha	127	87	72
26	Puducherry	0	0	0
27	Punjab	7	8	17
28	Rajasthan	70	121	105
29	Tamil Nadu		19	
30	Telangana	102	95	65
31	Tripura	0	0	0
32	Uttarakhand	8	10	3
33	Uttar Pradesh	13	6	16
34	West Bengal	NA	NA	NA

डा. कल्पना सैनी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने तकनीकी समाधान और monitoring system की बात की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों के किसानों को mobile app या SMS आधारित सत्यापन सुविधा मिले, जिससे वे खाद के बैक में QR code scan करके तुरंत पता लगा सकें कि खाद असली है या नकली है?

महोदय, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे digital उपाय अभी कितने जिलों में लागू किये गए हैं? इसके साथ ही सरकार यह भी बताए कि पिछले तीन वर्षों में नकली या non-standard खाद बेचने के खिलाफ कितनी ठोस कानूनी कार्रवाई की गई है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति महोदय, जहाँ तक किसानों को किसी QR code के माध्यम से, digital माध्यम से, fertilizer की क्या गुणवत्ता है, के बारे में पूछे गये प्रश्न का संबंध है, मुझे उस पर लगता है कि यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस तरीके से digitally तो प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर quality control के माध्यम से खाद की क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा monitor कर सकें, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक सुझाव है और इस सुझाव को देखा जाएगा।

महोदय, जहाँ तक non-standard fertilizer का सवाल है, जो metric ton में 1237.050 है, यह P&K का है, जो 2022-23 में sub-standard पाया गया था। हम लोगों ने उनकी 1.80 करोड़ रुपये की सब्सिडी जब्त की थी। उसी तरीके से यह 2023-24 में 3,164 मीट्रिक टन सब-स्टैंडर्ड पाया गया था और हमने उनकी 2.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी जब्त की थी। इसी प्रकार से 2024-25 में यह 6,308 मीट्रिक टन था और हमने उनकी 5.43 करोड़ रुपये की सब्सिडी जब्त की है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Dr. Kalpana Saini.

डा. कल्पना सैनी: सभापति महोदय, क्या मंत्रालय यह भी बताएगा कि नकली खाद बेचने वालों पर निगरानी रखने के लिए राज्यों के कृषि विभागों और केंद्र सरकार के बीच co-ordination mechanism मजबूत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूँ कि सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर का कोई अभियान चला रही है, जिसमें उन्हें यह बताया जाए कि असली खाद की पहचान कैसे करें और संदेह होने पर किस platform पर शिकायत दर्ज करें?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति महोदय, जहाँ तक Fertilizer की गुणवत्ता का सवाल है, हमारे यहाँ पर Fertilizer Control Order 1985 है, जिसके तहत sub-standard material की खाद बेचने पर prohibition है। हमारा जो Clause 19 है, वह इसे activate करता है, Clause 19 के तहत इस काम को प्रोहिबिट करता है। इसके साथ-साथ हमारा जो Essential Commodities Act, 1885 है, वह भी इस बात की चिंता करता है कि कोई भी product है, fertilizer है, यदि वह

sub-standard हो, तो हम उस पर भी Essential Commodities Act के तहत एक्शन लें और हम एक्शन लेते हैं।

महोदय, जो State Governments की एजेंसी होती हैं, वे इस पर एक्शन लेती हैं। प्रदेश की सरकारों का काम एक्शन लेना है। हमारे पास यदि कोई रिपोर्ट आती है, तो हम वह रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। इस कानून के तहत जो punishable दंड है, वह तीन महीने से लेकर सात साल तक की कैद है। लेकिन यह सारी judicial activity स्टेट में ही होती है और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम इसे एक्शन में लाते हैं। जहाँ तक spurious fertilizers का सवाल है, वह भी FCO (Fertilizer Control Order) के तहत ही आता है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत उस पर एक्शन लिया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

1.00 P.M.

Discussion on the 150th Anniversary of the National Song “Vande Mataram”

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, with hearts full of reverence and a profound sense of pride, we gather today to commemorate the 150th year of our National Song, *Vande Mataram*. More than a song, it is the very pulse of our nation - the unspoken prayer of countless mothers, the quiet hope breathed by the oppressed, and the unwavering courage of those who once dared to dream of freedom. Composed by Shri Bankim Chandra Chattopadhyay at a time when our motherland was under the heavy yoke of colonial rule, this timeless composition soon became the collective heartbeat of millions yearning to breathe free. Beyond faith, language and geography, it bound together the entire nation with one sacred sentiment - love for the motherland.

For our countless freedom fighters, ‘*Vande Mataram*’ was not merely a song, it was the final chant from their hearts as they walked fearlessly towards the gallows, their souls illuminated with the dream of an independent Bharat where every citizen could live with dignity and pride. Their sacrifices still resonate in every soaring note of this sacred song, reminding us that freedom was earned not by chance but by unshakeable resolve and boundless love for the nation. Freedom Fighters across the country carried *Vande Mataram* into every household, every school, every struggle and every Indian heart.

Mahakavi Subramania Bharati with pride and profound patriotism, rendered a powerful poem: & “A lofty, towering mast, upon whose summit resounds *Vande Mataram*. *Vande Mataram* glowed with divine brilliance - their splendor sweeping across the world.” Let us say, Vande Mataram, let us bow to our Motherland. *Vande Mataram* is a vow - a vow to our identity, a vow to our unity and a vow to our collective destiny. This is the spirit that sustained our freedom struggle - a courage no empire, no oppression and no fear could silence.

As we celebrate 150 years of this immortal hymn, I bow with profound humility and gratitude to all the sons and daughters of Mother Bharat, who gave their life for the freedom of Bharat. Their sacrifice is not merely a chapter in history, it is our eternal guiding light. As we commence this historic discussion, let us remember: Unity is our strength, Sacrifice is our path, and, Mother Bharat is our soul. Let us pledge today, to serve with integrity, to stand together as one people, one nation, and to proclaim with pride - *Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram*.

With these spirited thoughts, I now invite the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, to initiate the discussion.

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): सभापति महोदय, जब से यह सदन बना, तब से कई सारे ऐतिहासिक पल इस सदन ने जिए भी हैं और वे सदन की कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन की स्मृति में समाहित भी हुए हैं। मेरा मानना है कि यह जो आपका निर्णय है, सदन का निर्णय है कि वंदे मातरम् के 150वें साल के प्रवेश पर यह महान सदन, वंदे मातरम् के भाव के लिए, वंदे मातरम् के यशोगान के लिए और वंदे मातरम् को चिरंजीवी बनाने के लिए एक चर्चा करे। इस चर्चा के माध्यम से विशेषकर हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम् का आजादी के लिए योगदान, वंदे मातरम् गान की रचना में राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसका आने वाले महान भारत की रचना में योगदान, इसके संकल्प के साथ जुड़ाव, इन सभी चीजों से हमारे आने वाली पीढ़ियां भी युक्त हों, इसलिए मैं आपका और सदन के सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज यह चर्चा यहां पर आकार ले रही है।

महोदय, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। इस महान सदन में जब वंदे मातरम् की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदस्यों ने लोक सभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम् पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम् पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम् के प्रति समर्पण की जरूरत, जब वंदे मातरम् बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी, तब भी रहेगी, क्योंकि यह अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

मातरम् की चर्चा क्यों हो रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें यह दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम् पर चर्चा हो रही है। वे वंदे मातरम् के महिमामंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। यह सही है कि वंदे मातरम् के रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ, जिसमें बाद में वंदे मातरम् समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम् का प्रगटीकरण हुआ, वंदे मातरम् बंगाल तक सीमित नहीं रहा, देश तक भी सीमित नहीं रहा, दुनियाभर में जहां भी आजादी के दीवाने थे, वे जब गुप्त बैठक भी करते थे, तो वंदे मातरम् का गान करके बैठक की शुरुआत करते थे। आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए देश की पुलिस का जवान जब सर्वोच्च बलिदान देता है और जब वह अपने प्राण त्यागता है, उसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है - वंदे मातरम्।

मान्यवर, वंदे मातरम् का गान, वंदे मातरम् का गीत भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था। यह आजादी के उद्धोष का नारा बन चुका था। आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम् से मिलती है। और कई सारे मनीषियों को चिर-पुरातन राष्ट्र को अनेक सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी इस वंदे मातरम् से ही मिली। वंदे मातरम् दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम् के महिमामंडन से, वंदे मातरम् के गौरव-गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियाँ वंदे मातरम् के महत्व को भी समझेंगी और एक प्रकार से उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार भी बनाएँगी।

मान्यवर, 7 नवंबर, 1875 को बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी की वंदे मातरम् की रचना सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्षय नवमी या जगद्धात्री पूजा के रूप में यह दिन मनाया जाता है। जब उन्होंने इसकी रचना की, तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि यह एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते-देखते वंदे मातरम् का यह गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। वंदे मातरम् की रचना कब हुई, वंदे मातरम् की रचना की पृष्ठभूमि हम सबको जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेल कर इस देश की संस्कृति और इस देश के इतिहास को झँकझोरने का काम, जीर्ण-शीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन काल में, भारत की गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया था। उस वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम् की रचना की। उस रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, जो देश को माता के रूप में कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्थापित किया था। इसीलिए यह गीत देखते-देखते किसी प्रचार के बगैर इतना फैल गया। उस वक्त न सोशल मीडिया थी, न प्रचार के कोई साधन थे, उल्टे जो सरकार थी, वह तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम् बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, वे जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी उन सारे प्रतिबंधों को पार करके उसने हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएँ झेलते हुए भी

वंदे मातरम् कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, यह एक प्रकार से भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के पुनर्जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के काल खंड में कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केन्द्र, हमारी कृषि व्यवस्थाएँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था, कई सारी लाइब्रेरी अस्त-व्यस्त हो गई, तोड़ दी गई, जीर्ण-शीर्ण कर दी गई, मगर हमारी संस्कृति और उसके भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं निकाल पाया। मगर उस भाव को जागृत करने की, उस भाव को पुनःसंगठित करने की जरूरत थी। उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम् की रचना की और देखते-देखते वंदे मातरम् का नारा across the country, पूरे देश में travel कर गया और अंडमान-निकोबार की जेलों तक पहुँच गया। उसको न अंग्रेज रोक सके, न अंग्रेजों की सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग रोक सके।

मान्यवर, वंदे मातरम् ने एक ऐसे राष्ट्र को जागृत किया, जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने का काम वंदे मातरम् ने किया। इसीलिए महर्षि अरविंद ने यह कहा कि 'वंदे मातरम्' भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। श्री अरविंद का यह वाक्य, इसका गर्वित अर्थ 'वंदे मातरम्' की महत्ता को बताता है। मान्यवर, अरविंद घोष ने यह भी कहा कि देश को एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी और ईश्वर ने उसे साकार करने के लिए ही बंकिम बाबू को इस भूमि पर भेजा था। श्री अरविंद का 'वंदे मातरम्' के लिए भाव, बच्चे-बच्चे के लिए एक प्रेरणा-स्रोत बन गया और हमारे आजादी का नारा बन गया।

मान्यवर, हमारे देश को जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उन सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई है। कहीं युद्धों के कारण हुई, तो कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की गई है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और हमारी संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा है। इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागृत करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे देश को जोड़ने वाला, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। इसी के कारण 'वंदे मातरम्' का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया।

महोदय, जब अंग्रेजों ने 'वंदे मातरम्' पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था — "मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह 'वंदे मातरम्' मंत्र अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और यह भारत के पुनर्निर्माण का मंत्र बनेगा।" आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वे शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, यह पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। परन्तु मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संताने हैं, यह मानते हैं कि यह देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। उसको हम मां के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति-गान भी करते हैं और उस भक्ति-गान की अभिव्यक्ति ही 'वंदे मातरम्' है।

मान्यवर, आज इस सदन में जब यह चर्चा हो रही है, तब मैं यह बताना चाहता हूँ कि 'वंदे मातरम्' की रचना में, हमारे जीवन में देश की, 'भारत माता' की कल्पना का जो योगदान है,

उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया गया है। जल, फल और समृद्धि, तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया, शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया तथा सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों का जो स्वरूप है, वह भारत माता है। तो एक प्रकार से हमारी समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान - यह सब भारत मां की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। तो एक इतना बड़ा संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेधा, ये तीनों हमें भारत मां की कृपा ही दे सकती है या यह मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार-बार प्रणाम करना चाहिए। भारत मां को प्रणाम करना चाहिए।

मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्धोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, वह विचार तो बहुत चिर-पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्रीराम ने भी, जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हैं, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है। मैं माता और मातृभूमि का ध्यान करता हूँ। मातृभूमि का महिमामंडन प्रभु श्रीराम ने भी किया, मातृभूमि का महिमामंडन आचार्य शंकर ने भी किया और मातृभूमि का महिमामंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। इन सभी ने समय-समय पर हमारे अस्तित्व को मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम किया। मातृभूमि ही हमें पहचान देती है। वही हमें भाषा देती है। वही सभ्य जीवन जीने की संस्कृति का आधार बनाती है और वही हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है, इसलिए मातृभूमि से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता - यह भाव चिर-पुरातन भाव था। उसको बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया और वह घनघोर रात्रि जैसे गुलामी के कालखंड के अंदर, जैसे एक बिजली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से 'वंदे मातरम्' के गान ने घनघोर अंधेरे के अंदर जन-जन के अंदर गुलामी की मानसिकता छोड़ कर आजादी की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का एक जोश जगाने का काम किया।

मान्यवर, महर्षि अरविंद ने 'वंदे मातरम्' को गीत नहीं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों प्रकार से 'वंदे मातरम्' भारत की शक्ति को जगाता है। स्थूल शरीर, 'वंदे मातरम्' का उच्चारण हमारी शरीर में शक्ति और उत्साह भरता है, राष्ट्रभक्ति की क्रिया-प्रक्रिया की शक्ति को जगाती है। सूक्ष्म शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमारी चेतना को जागृत करता है। और 'कारण' आध्यात्मिक शरीर के रूप में उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू एक ऋषि चेतना से प्राप्त मेधा से ही 'वंदे मातरम्' की रचना की है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि यह गीत केवल देशभक्ति, देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत माता की दिव्य शक्ति का आह्वान है। 'वंदे मातरम्' भारत की मूल चेतना, सनातन शक्ति को पुनर्जीवित करने का मंत्र है। इसीलिए आजादी के वक्त हमारे सभी नेताओं ने 'वंदे मातरम्' को आजादी के आंदोलन का आधार बनाने का काम किया। हमारे आजादी के संग्राम के कई सारे सेनानी, जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, उन सब में जो एक चीज समान निकल कर आती है, वह यह है कि वे शहीद फांसी के तख्ते पर चढ़ते-चढ़ते अपने मुंह से जो अंतिम शब्द बोले, वह 'वंदे मातरम्' ही था। स्वदेशी का आह्वान करना हो, विदेशी माल का बहिष्कार करना हो, राष्ट्रीय शिक्षा का आह्वान जगाना हो, हर वक्त राष्ट्रभक्ति जगाते वक्त 'वंदे मातरम्' का उद्धोष इस देश ने सुना भी, इस देश ने महसूस भी किया। पंजाब के 'गदर आंदोलन' में 'वंदे मातरम्' के शीर्षक से कई पर्चे बाँटे गए। महाराष्ट्र में 'वंदे

मातरम्' के विशेष अंक गणपति और शिवाजी के उत्सव में बाँटे जाते थे। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने तमिल अनुवाद करके हिंद महासागर को भी क्रांति की चेतना से आंदोलित कर दिया था।

मान्यवर, 1907 में कोलकाता में 'वंदे मातरम्' नाम का एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। ब्रिटिश सरकार ने उसको सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना। वह राष्ट्रवादी भी कहते थे और खतरनाक भी कहते थे। श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला, उनको सजा दी गई और अंततोगत्वा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। मान्यवर, कांग्रेस के अधिवेशनों ने भी वंदे मातरम् के महिमा मंडन को, वंदे मातरम् के गान को गाया। सन् 1896 में गुरुवर टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में महान कवयित्री, गायिका सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम् का गायन किया। 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने सुबह 6.30 बजे आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम् का गान करके देश को भावुक कर दिया। इन सभी भावनाओं को देखते हुए संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत घोषित करने का काम किया गया।

मान्यवर, मैं कल देख रहा था कि कांग्रेस के कई सदस्य कह रहे थे कि आज वंदे मातरम् की चर्चा क्यों जरूरी है? वे इसको एक राजनीतिक हथकंडा या मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मान रहे थे। मान्यवर, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। अगर संसद का बहिष्कार न करें, संसद चलने दें, तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे पास डरने जैसा या छिपाने जैसा कुछ नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, परंतु वंदे मातरम् के गान पर चर्चा को टालने की यह मानसिकता नई नहीं है। मान्यवर, यह तो वंदे मातरम् का डेढ़ सौवाँ साल है! हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाया जाता है, तो यह तो डेढ़ सौवाँ साल है!

मान्यवर, अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। जब वंदे मातरम् के 50 साल हुए, तब क्या हुआ? जब वंदे मातरम् के 50 साल हुए, तब देश आजाद नहीं हुआ था। जब 1937 में वंदे मातरम् की स्वर्ण जयंती हुई, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम् के दो टुकड़े करके उसको दो अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम् का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, ये इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Renukaji, you will get your chance to speak. ...**(Interruptions)**... Please. Rameshji, आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... You will get your chance to speak. ...**(Interruptions)**...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: खरगे जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Unless he yields,... ...**(Interruptions)**... No. Unless he yields, how I can... ...**(Interruptions)**... Unless he yields, how I can... ...**(Interruptions)**... आप बैठिए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, उनको बहुत समय दिया गया है, वे अपने समय पर बोलें न! मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ...**(व्यवधान)**... खरगे साहब, आपका समय आएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, you are going to get your time. Please wait. ...**(Interruptions)**... Khargeji, you are going to get your time. Please wait. ...**(Interruptions)**... Let him speak. ...**(Interruptions)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम् को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वह तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन का कारण बना। मान्यवर, यह कांग्रेस पार्टी को पसंद आए या न आए, लेकिन मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कि अगर ये तुष्टीकरण की नीति के तहत वंदे मातरम् के दो टुकड़े न करते, तो देश का बंटवारा नहीं होता और आज देश पूरा होता। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, 50 साल के बाद ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No! Nothing will go on record except the hon. Minister's speech. ...**(Interruptions)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम् 100 साल का हुआ। सबको उम्मीद थी कि 100 साल मनाए जाएंगे, मगर जब 100 साल हुए, तब वंदे मातरम् के महिमामंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम् बोलने वाले सभी लोगों को इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया था। ...**(व्यवधान)**... इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाजसेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया, कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिये गए, यहां तक कि आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज़ नहीं आती थी, duet गाने भी लता जी की आवाज़ में ही आते थे। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, जब वंदे मातरम् के 100 साल हुए, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया गया और कल डेढ़ सौवाँ साल है। डेढ़ सौवें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टैगोर जैसे लोग वंदे मातरम् गाकर कराते थे, वंदे मातरम् कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था, उस वंदे मातरम् के महिमामंडन के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे। दो में से एक भी मौजूद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस नेतृत्व तक वंदे मातरम् का विरोध आज भी कांग्रेस के खून के अंदर बसा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : प्लीज़ आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह : आप इसको पढ़िए। ...**(व्यवधान)**... वंदे मातरम् पढ़िए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह : दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है, इस उम्र में क्या कर रहे हैं? अब नौकरी नहीं जाएगी। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूँ वह दूसरे सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि “वंदे मातरम् की आज चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है।” ...**(व्यवधान)**... मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम् से ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश : सर, हमने कभी नहीं टाला है, हमने पहले दिन से कहा है कि चर्चा होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : जयराम रमेश जी, प्लीज़ आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश : सर, पहले दिन से हमारी मांग थी, नड्डा जी यह जानते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह : माननीय सदस्य जयराम जी की प्रॉब्लम है कि वे सिर्फ सत्तापक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात नहीं सुनते। मैंने ऐसा नहीं कहा कि “आपने कहा है।” मैंने ऐसा कहा कि लोक सभा की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि “अभी इस समय वंदे मातरम् की चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है।” यह रिकॉर्ड पर है, ...**(व्यवधान)**... यह बात रिकॉर्ड पर है।

श्री जयराम रमेश : आप पूरी बात बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : प्लीज़ आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह : मान्यवर, जिस गीत को, जिस गान को महात्मा गांधी ने “राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत” कहा, बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि “एक राष्ट्रधर्म है, जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित हैं, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम् करता है”, उस वंदे मातरम् का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था।

मान्यवर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम् ने हमारे आज़ादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षरों में एक ही नाम था - वंदे मातरम्। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में जब हमारी हॉकी की टीम को उत्साह

की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, तब कोच ने लाइन में खड़े करके भावपूर्ण तरीके से वन्दे मातरम् का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीतकर आ गए।

सर, जब भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई, तब से... हमारी पार्टी की रचना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और यह देश अपने मूल संस्कृति के आधार पर, मूल विचारों पर चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी की स्थापना हुई।

महोदय, इस संसद में वन्दे मातरम् के गान को बंद करा दिया गया। अब फिर से विपक्ष के लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन इस बात का रिकॉर्ड है। वर्ष 1992 में भाजपा सांसद श्रीराम नाइक ने एक short duration discussion के माध्यम से वन्दे मातरम् को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोक सभा के स्पीकर से कहा कि इस महान सदन के अंदर वन्दे मातरम् का गान होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। फिर लोक सभा ने सर्वानुमति से 1992 में वंदे मातरम् के गान की शुरुआत की।

हम जब वन्दे मातरम् गान की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वरना ये औचित्य पर सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्नीकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडि अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, यदि इनको आपत्ति न हो, तो मैं वो नाम पढ़ सकता हूँ। उस समय ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वन्दे मातरम् नहीं गाएंगे। सीधा “न” बोल दिया था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वन्दे मातरम् होता है, तो कई सारे सदस्य वन्दे मातरम् के गान से पहले संसद में बैठे होते हैं, तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर असत्य आरोप लगा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम् के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वंदे मातरम् के गान के प्रति ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश : आप authenticate कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप सबूत दीजिए कि कौन खड़ा नहीं हुआ।

श्री सभापति : आप दोनों बैठिए, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... You will get your chance to speak. You can say your opinion when your turn comes. ...**(Interruptions)**...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is making a serious allegation. He should authenticate it. ...**(Interruptions)**... आप सबूत दीजिए कि कौन खड़ा नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, सम्माननीय सदस्य ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के किन-किन लोगों ने वन्दे मातरम् न गाने के लिए स्टेटमेंट दी है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने से पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। महोदय, मेरी आपसे विनती है कि वे कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश कीजिएगा। इस सदन की चर्चा के

रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वन्दे मातरम् का विरोध करते हैं। इस देश की जनता को इनके बारे में जानना चाहिए। दिग्विजय जी, मैं आपको सूची दे दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा।

श्री जयराम रमेश : अभी आपके पास नामों की लिस्ट क्यों नहीं है? ...(व्यवधान)... आप कहां से लिस्ट निकालेंगे?...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह : महोदय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की 130वीं जयंती पर डाक विभाग ने एक स्टैम्प जारी की। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगे का अभियान भी हमारी सरकार ने चलाया। उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री जी ने जनता का आह्वान किया था कि तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम् बोलना नहीं भूलना चाहिए।

मान्यवर, वंदे मातरम् की इस 150वीं वर्षगांठ को भी भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से मनाना तय किया है। 1 अक्टूबर, 2025 को पूरे वर्ष वंदे मातरम् के यशोगान में मनाया जाएगा - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका प्रस्ताव पारित किया, 24 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर 7 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में इस वर्ष का शुभारंभ किया। उसका चरण-1 नवंबर में हो चुका है, चरण-2 जनवरी, 2026 में होगा, चरण-3 अगस्त, 2026 में होगा और चरण-4 नवंबर, 2026 में होगा। हम स्मारक डाक टिकट भी जारी कर चुके हैं और सिक्का भी जारी कर चुके हैं।

महोदय, 'वंदे मातरम् नाद एकम्, रूप अनेकम्' जैसे शीर्षक से 75 वादकों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण की रचना भी हो चुकी है और उस दिन, 7 नवंबर को सुबह 10 बजे, देश भर में वंदे मातरम् का सामूहिक गान भी भारत सरकार के आह्वान पर देश की जनता ने किया था।

मान्यवर, वंदे मातरम् के 150 वर्ष की डॉक्युमेंटरी और प्रदर्शनी बनाई गई है। उसे हर जिला सेंटर पर और हो सके तो तहसील सेंटर पर भी दिखाया जाएगा। वह प्रदर्शनी डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को भी भेजी जाएगी। हमने ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और एफएम चैनल्स पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का आयोजन किया है, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा tier-2 और tier-3 शहरों में चर्चा सभाओं का आयोजन होने वाला है, सभी भारतीय दूतावासों में वंदे मातरम् आधारित सांस्कृतिक संध्याएँ भी आयोजित होने वाली हैं, वंदे मातरम् सैल्यूट टू मदर अर्थ के तहत वृक्षारोपण अभियान चालू है। हम हाइवे पर देशभक्ति आधारित वंदे मातरम् के इतिहास को दर्शाते हुए वृहद् चित्र भी रखने वाले हैं, रेलवे स्टेशन्स और हवाई अड्डों पर एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी होगी और वंदे मातरम् और बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी पर एक-एक मिनट की 25 लघु फिल्में बनाने की शुरुआत भी हमने कर दी है।

मान्यवर, देश के प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से अमृतकाल के लिए पंच प्रण की घोषणा की थी। इनमें से एक यह था कि जब देश आज़ादी की शताब्दी मना रहा होगा, उस वक्त हमें विकसित भारत का लक्ष्य तय करना है, गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, देश की एकता, एकजुटता और अखंडता को संभालकर रखना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना को आगे बढ़ाना है।

मान्यवर, जब देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, तब कोरोना काल होने के बावजूद भी दो साल तक पूरे देश के हर गाँव-गाँव में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को 1857 से 1947 तक के आज़ादी के पूरे संघर्ष से परिचित कराया गया। कई नामी, कई अनामी, जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायकों को ढूँढ़कर उनके स्मारक बनाए गए, देश भर में कई कार्यक्रम हुए और आज़ादी के बाद देशभक्ति का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास पहली बार, जब 75 साल मनाए गए, तब हुआ।

महोदय, हम वहाँ पर अटके नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री जी ने अमृत काल का विचार रखा। जब हम आज़ाद हुए, तब से लेकर 75 सालों तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने अच्छे काम किए। सबने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हमने अपने लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुँचाया है। आज हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। मान्यवर, मगर 75 साल से 100 साल के इस कालखंड का अमृत काल के रूप में नामकरण प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से आज़ादी की शताब्दी तक, इस पूरे कालखंड को हम देश को महान बनाने के एक चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब यह देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नम्बर वन पर होगा। मान्यवर, आज यह संकल्प अकेले प्रधान मंत्री जी का नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। भले ही कुछ लोग इसे राजनीतिक नारा समझते हों, मगर यह संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और यह पूरा होकर रहेगा। यह दैवयोग ही है कि जब हम अमृत काल मना रहे हैं, तभी आज वंदे मातरम् का 150वाँ साल आया है। इसके माध्यम से हम फिर एक बार राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे।

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि वंदे मातरम् कभी काल बाह्य नहीं होगा। जब उसकी रचना हुई, तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी, जितनी आज है। मान्यवर, उस जमाने में वंदे मातरम् देश को आज़ाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और महान बनाने का नारा बनेगा - मुझे इस पर पूरा विश्वास है। मैं मानता हूँ कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझा जिम्मेदारी है कि हम बच्चे-बच्चे के मन में वंदे मातरम् के संस्कार पुनः जाग्रत करें, हर युवा के मन में वंदे मातरम् के नारे को प्रतिस्थापित करें, हर किशोर को वंदे मातरम् की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करें। हमारे आज़ादी के सेनानियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, वंदे मातरम् का यह उद्घोष ही उस भारत की रचना का कारण बनेगा। मैं मानता हूँ कि इस सदन की भावना विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचेगी। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सभापति: श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी।...(व्यवधान)...

एक माननीय सांसद: आप सही बोलिएगा।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): मैं सही ही बोलता हूँ। ...**(व्यवधान)**... असत्य बोलने की आदत आपको है। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं वंदे मातरम् से शुरू करता हूँ — वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। ज़रा आप भी बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप तो सो गए हैं। ...**(व्यवधान)**... सोने दीजिए, सोने दीजिए, क्योंकि जब मुल्क जागेगा, तब ये सोते रहें, तो अच्छा रहेगा। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, अब आप बैठिए।

सर, मैं आपका बहुत ही आभार मानता हूँ कि आपने मुझे होम मिनिस्टर के बोलने के बाद समय दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, मुझे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यह गीत 60 साल से गा रहा हूँ। मैंने 55 साल एमएलए, एमपी बनकर ही गुजारे हैं, इसीलिए मुझे वंदे मातरम् गाने की आदत हो गई है। हम इसे गाते रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम् नहीं गाने वालों ने अब शुरू किया है ...**(व्यवधान)**... मैं उनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यह तो वंदे मातरम् की ताकत है। वैसे तो यह राष्ट्रीय उत्सव का विषय है, बहस का नहीं। मगर सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय को नमन करता हूँ। उन सेनानियों को भी नमन करता हूँ। वंदे मातरम् का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिन्होंने बलिदान दिया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। वंदे मातरम् गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है, जब गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह पहली बार गाया था और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने भी किया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था, वे यह नहीं बोले। जो चीज़ उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है, वे वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरी बात नहीं बोलते हैं। यह आदत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चंद लोग आदत से मजबूर होते हैं और वही बात बार-बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम् को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। ...**(व्यवधान)**... जब आप लोगों की पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता था, क्या तब आपने यह पहले कर दिया था या करते थे? ...**(व्यवधान)**... आप तो हर चीज़ के खिलाफ कार्य करते हो। फिर भी मैं आपको बार-बार टोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इतिहास यह है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने, आजादी और आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे। आप कभी भी उसके फेवर में नहीं थे। ...**(व्यवधान)**...

सर, जब महात्मा गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम् का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**... निकाल कर देखो और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको patriotism सिखाते हो! पहले तो आप patriotism के नाम से डरते थे और सिर्फ ब्रिटिशर्स की सेवा करना जानते थे।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और वैसे ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वे उनके पीछे-पीछे हैं। वे आगे-आगे और ये लोग पीछे-पीछे। इसीलिए वे हमेशा कांग्रेस से गिला करते हैं और

हमारी पार्टी, हमारे नेताओं, यहां तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम् गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया। यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेकर उनसे डर कर वे हटा दिए गए, उन्होंने यह भी कहा। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं! जब आपने मुस्लिम लीग के साथ मिल कर गवर्नमेंट बनाई, ...(व्यवधान)... श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिल कर, ...(व्यवधान)... आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट बनाई, ...(व्यवधान)... कहाँ गई थी देशभक्ति! ...(व्यवधान)... कहाँ गई थी आपकी देशभक्ति! ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: कहाँ थे आप लोग! ...(व्यवधान)... क्या देश के लिए कोई ...(व्यवधान)... आप अपना इतिहास पढ़ो, तो मालूम होगा।

सर, प्रधान मंत्री जी ने सुभाष चन्द्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का ...(व्यवधान)... सर, प्रधान मंत्री जी ने सुभाष चन्द्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को [£] किया। प्रधान मंत्री जी के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। सर, सच्चाई यह है कि 16 अक्टूबर, 1937 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को वंदे मातरम् के प्रति क्या रुख अपनाना है। यह किसने लिखा! नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने। उनके बारे में भी आपको doubt है! इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। यह सुभाष चन्द्र बोस का वाक्य है। 25 अक्टूबर, 1937 को नेहरू जी गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर से मिले और 26 अक्टूबर, 1937 को पत्र लिखा, जिसे मैं quote करता हूँ। Exhibit 1 को मैं इस सदन के पटल पर रखता हूँ, ताकि वे अच्छे ढंग से पढ़ लें। मैं quote करता हूँ कि रबीन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा। "In offering my own opinion about it, I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine. To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficent aspects of our motherland made a special appeal, so much so that I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem." -- आप पढ़िए एक बार। -- "I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. The first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to. Remember, we are thinking in terms of National Song for all India." ...(Interruptions)...

श्री सभापति: प्लीज़, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

[£] Expunged as ordered by the Chair.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is Rabindranath Tagore's response. ...*(Interruptions)*... Are you against it? ...*(Interruptions)*... Do you want to condemn this? ...*(Interruptions)*... This is Rabindranath Tagore's stand. We accepted it and that is continued. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए, प्लीज़। ...*(व्यवधान)*...

2.00 P.M.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सभापति जी, सच्चाई यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने 28 अक्टूबर, 1937 को गुरुदेव के इन्हीं शब्दों को सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वालों में जिन प्रमुख नेताओं के नाम हैं, वह मैं पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी जी, ...*(व्यवधान)*... क्या आपको इसमें ऑब्जेक्शन है? ...*(व्यवधान)*... महात्मा गांधी जी, मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जे.बी. कृपलानी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप प्लीज़ बैठिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, इन सभी नेताओं ने इस पर एक सहमति से कहा कि यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के रूप में ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आप प्लीज़ बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, इस प्रस्ताव में क्या लिखा है? “The Committee wishes to point out that the modern evolution of the use of this song as part of national life is of infinitely greater importance. Therefore, the Committee recommends that wherever *Vande Mataram* is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character.” यह वर्किंग कमिटी में मंजूर हुआ। क्या वहाँ नेहरू जी अकेले थे? क्या वहाँ गांधी जी नहीं थे, सुभाष चन्द्र बोस जी नहीं थे, कृपलानी जी नहीं थे, मदन मोहन मालवीय जी नहीं थे या आजाद जी नहीं थे? आप लोग इनका अपमान कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... आप इन सबका अपमान कर रहे हैं। यह सभी बड़े नेताओं का सम्मिलित निर्णय था, तो फिर प्रधान मंत्री जी अकेले नेहरू जी को क्यों टारगेट करके बार-बार वही बात बोलते हैं और यहाँ होम मिनिस्टर बोलते हैं? मैं इसकी एक प्रति भी आपके सामने रखूंगा। ...*(व्यवधान)*...

सर, यह दूसरे नंबर पर है। मैं इसे भी पटल पर रखूंगा। प्लीज़, इसे पढ़ ही लीजिए, क्योंकि आपने इसे नहीं पढ़ा होगा। यह कांग्रेस का इतिहास है। आपने सिर्फ गोलवलकर की, मनुस्मृति की किताबें ही पढ़ी हैं। आप जरा इसे भी पढ़िए, इसीलिए मैं आपको यह दे रहा हूँ।

सर, मोदी जी ने इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा करके, न केवल राष्ट्रीय नायकों का, बल्कि विशेष रूप से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी का भी अपमान किया। ...**(व्यवधान)**... यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का भी अपमान है, जिन्होंने 'वंदे मातरम्' को स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बना दिया। आपने उस पूरी पीढ़ी का भी अपमान किया, जिसने जेलों की यातनाएं सही, लाठियां खाईं और इस गीत को अपने हृदय में रखकर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ...**(व्यवधान)**... जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जानें दीं, सैकड़ों दिन जेलों में रहे और हर तरीके की मुसीबतें झेलीं, मगर आज आप बगैर कुछ किए, बिना लड़े, फोकट में आकर यहां बैठे हैं और यह बात बोल रहे हैं! ...**(व्यवधान)**... आजादी हम लाए, इसीलिए इन लोगों को उसका वैल्यू मालूम नहीं है। ...**(व्यवधान)**... * जो लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार-बार कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया? क्या हमें आपके घर में नौकरी करनी चाहिए? ...**(व्यवधान)**... हमने क्या किया, तो हमने इस देश के लिए किया। हमारे लोग मरे हैं, जेलों में गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

सर, ये सुनने की बात है। भारत के संविधान लागू होने के दो दिन पहले 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने यह कहा था, “The composition consisting of words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India and the song ‘Vande Mataram’, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it.” यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा है। क्या आप इसको भी नकारते हैं? जो चीजें इतिहास के पन्नों में आई हैं, तारीख लिखा है, क्या आप उस तारीख को भी मानने वाले नहीं हैं? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज को मानते हैं। *हमेशा कांग्रेस को गालियाँ देना आपकी आदत हो गई है। आप नेहरू जी को टारगेट करते हैं। अगर आप नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए बैठे हैं, तो वह नामुमकिन है, क्योंकि वे सबसे ऊंचे हैं, दुनिया में उनका नाम है। आप उतना ऊँचा कभी नहीं बन सकते, आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे।

सभापति जी, बीजेपी के लोगों को 'वंदे मातरम्' की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि 'वंदे मातरम्' की 100वीं सालगिरह के मौके पर 'वंदे मातरम्' पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैप 30 दिसंबर, 1976 को श्रीमती इंदिरा गाँधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया था। वह स्टैप भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यह भी आपके पास भेजता हूँ।...**(व्यवधान)**... आप लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए आप जरा इसको देखिए तो सही।...**(व्यवधान)**... मेरे सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैप निकाला गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उस वक्त कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, उस वक्त यह निकाला गया। हम लोग भी वहाँ पर स्टेट में इसका फंक्शन करते थे। आपकी अनुमति से मैं इस स्टैप की एक प्रति दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको अभी आपके पास भेज रहा हूँ। आप इसको जरा देख लीजिए। यह तो इतिहास की बात थी, जिसे प्रधान मंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए, जो देशवासियों को 'वंदे मातरम्' की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके।

* इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब यह संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। सभापति महोदय, यह मेरा कहना है, इसीलिए मैंने ये बातें उनके सामने रखीं।* जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी हैं, तब वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। * आपको तो मालूम होगा, क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार रहे हैं और आप प्राइम एक्जिक्यूट करने वाले नेता हैं!

श्री जयराम रमेश : चाणक्य हैं।...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : चाणक्य हैं? ठीक है। इधर भी एक चाणक्य बैठे हैं।...(व्यवधान)... *

MR. CHAIRMAN: Kharge ji, please stick to the subject. Don't deviate too much from the subject. ...*(Interruptions)*... Unnecessarily the House is getting disturbed. Please look at the subject. ...*(Interruptions)*... Come back to the subject. ...*(Interruptions)*... Don't deviate too much.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, ये भारत की बात हो रही है। हम भारत के लिए हैं। *

श्री सभापति : खरगे जी, एक मिनट, Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *

MR. CHAIRMAN: Kharge ji, the Leader of the House wants to say something. Then you can...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूंगा ...*(व्यवधान)*... *

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : सर, Leader of the Opposition को यह मालूम होना चाहिए कि डिबेट जिस सब्जेक्ट पर होती है, उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Kharge ji, let the Leader of the House speak.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, Leader of the Opposition आज उन बातों की चर्चा कर रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी से जुड़ा है, जो international relations से जुड़ा है। मैं यह बड़े स्पष्ट शब्दों में

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

कहना चाहता हूँ कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपने जिन मुद्दों के बारे में कहा, उन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिबेट का एक लेवल होता है।

MR. CHAIRMAN: They are ready to have a discussion on Foreign Policy. ...*(Interruptions)*... They want to have a full discussion. They are ready. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: You want a discussion on Foreign Policy, ठीक है। You want discussion on economy, it is allowed. लेकिन आप वंदे मातरम् के Discussion में इस तरह से करेंगे, यहां वंदे मातरम् पर Discussion हो रहा है, Leader of the Opposition बहुत experienced हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वन्दे मातरम् पर हो रही है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*... अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करनी है, तो हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट एलाउ कीजिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करनी है, तो हम तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it... *(Interruptions)*....

श्री जगत प्रकाश नड्डा: आप कीजिए, लेकिन don't deviate from the subject. The subject is Vande Mataram. जब तक आपने वन्दे मातरम् के स्टेन्जा पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ...*(व्यवधान)*... आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जब आप वहां से इकोनॉमी की बात करेंगे, वह ठीक नहीं है और इसको एक्सपंज भी किया जाए। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, you please stick to the subject. ...*(Interruptions)*.... If you want to speak on other subjects, we can take it up when the House agrees. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: *

MR. CHAIRMAN: Khargeji, please listen. You please stick to the subject. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं भारत माता की बात कर रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*... भारत माता की जय। वन्दे मातरम्। ...*(व्यवधान)*...

* Not recorded.

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Now, the Leader of the House. ...**(Interruptions)**...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, this debate cannot continue like this. डिबेट का स्तर ऐसा होना चाहिए ...**(व्यवधान)**... हमने पहले कहा कि हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुद्दे से भटक कर चर्चा करेंगे, तो चर्चा नहीं हो पाएगी। ...**(व्यवधान)**... अगर चर्चा करनी है, तो उस मुद्दे पर कीजिए, जिसके लिए समय दिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, please take note of the Leader of the House. Then, you can speak. ...**(Interruptions)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: लीडर ऑफ दि अपोजिशन को वन्दे मातरम् के लिए समय दिया गया है। ...**(व्यवधान)**... Please discuss Vande Mataram. ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. ...**(Interruptions)**...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: If you want to discuss terrorism, we are ready for that also...**(Interruptions)**... and we discussed Operation Sindoor. आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में एलाउ किया और आपने ऑपरेशन सिंदूर पर मुंह की खाई है, यह भी स्पष्ट है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, you please stick to the subject. ...**(Interruptions)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: आपने वक्फ पर चर्चा मांगी थी, हमने उस पर चर्चा की। ...**(व्यवधान)**... आपने दो दिन बाद इसी हाउस में मुंह की खाई है। इस बात का प्रमाण है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: All others please take your seats. ...**(Interruptions)**... No, no. ...**(Interruptions)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हम हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**... आज इकोनॉमी पर चर्चा हो, हम तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**... आप टाइम तय कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं ...**(व्यवधान)**... लेकिन वन्दे मातरम् की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे, तो यह नहीं हो पाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं बताना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, that is not correct. You please stick to the subject. ...(*Interruptions*)... If you want to discuss any other subject, the Government is ready. We can take up that discussion later. You please now stick to Vande Mataram. All others please take your seats. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: *...(*व्यवधान*)... मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देश के ...(*व्यवधान*)...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, again and again, you are deviating. ...(*Interruptions*)... Khargeji, deviations from the subject will not go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No; it is not. ...(*Interruptions*)... It is not unparliamentary. ...(*Interruptions*)... It is not unparliamentary.

MR. CHAIRMAN: I am only requesting you to come back to the subject. The Government is ready. ...(*Interruptions*)... You have a lot of concerns for the country. I understand but that can be discussed at some other time.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Okay, Sir. I will restrict. * ...(*व्यवधान*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. It is only your speech which has created this problem. ...(*Interruptions*)... They were listening to your speech. ...(*Interruptions*)... Your speech only created the controversy. Please stick to the subject. ...(*Interruptions*)... That is not correct. ...(*Interruptions*)... Nothing would go on record unless the House comes in order. ...(*Interruptions*)... Nothing would go on record, Khargeji. ...(*Interruptions*)... Nothing would go on record unless the House comes in order. ...(*Interruptions*)... You please sit down. I would request him not to deviate from the subject. ...(*Interruptions*)... You please sit down. ...(*Interruptions*)... I am requesting him not to deviate from the subject. You all please sit down. ...(*Interruptions*)... Khargeji, you are a very senior person. You should be an exemplary leader to all the younger Members of Parliament. ...(*Interruptions*)... I am requesting you not to deviate. The Government has already given their consent. They want to discuss the economics and security separately. ...(*Interruptions*)... You come back to *Vande Mataram* and you please speak. All others, please sit down. ...(*Interruptions*)... Hon. Leader of the House wants to say something. ...(*Interruptions*)... You listen to it. ...(*Interruptions*)...

* Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, no. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं खरगे जी से विनम्र भाव से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राज्य सभा में वंदे मातरम् पर जो चर्चा हो रही है, उस पर बहुत हाई क्वालिटी की डिबेट चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी इसी प्रकार से बनी रहे। मैं इसके लिए उनसे दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ। आपने भारत की इकोनॉमी पर चर्चा चाही है, हम करने के लिए तैयार हैं, आपने इंटरनेशनल रिलेशन्स पर चर्चा माँगी है, हम करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कहा है। आपने “ऑपरेशन सिंदूर” और उसके इम्पैक्ट के बारे में चर्चा माँगी थी, यहाँ पर चर्चा हुई, यह अलग बात है कि आपको उस पर मुँह की खानी पड़ी, आपने और भी चर्चाएँ माँगी थीं, आपने वक्फ़ बोर्ड पर चर्चा माँगी थी, वह चर्चा भी इस हाउस में हुई है, आपको उस पर भी मुँह की खानी पड़ी है, आपने अन्य विषयों पर भी चर्चा माँगी थी, आपको उन पर भी मुँह की खानी पड़ी, लेकिन आज वंदे मातरम् पर डिस्कशन चल रहा है, कृपया करके यह रिटन टैक्स्ट मत पढ़िए, आप वंदे मातरम् पर चर्चा कीजिए।

MR. CHAIRMAN: Tiwariji, you sit down. ...*(Interruptions)*... Your leader knows how to... ...*(Interruptions)*... Tiwariji, you sit down. ...*(Interruptions)*... The Government is ready.....*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: क्या आप इस तरीके से एजुकेशन पर चर्चा करेंगे, इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन्स पर चर्चा करेंगे? यह डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का एक तरीका होता है। उसमें सब्जेक्ट तय होता है, subject, you speak. मैं आपसे निवेदन करूंगा and I need your protection. ...*(Interruptions)*... To maintain the standard of the debate, anything irrelevant to the subject should be expunged from the proceedings.

MR. CHAIRMAN: Anything unparliamentary would not go on record. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... I am not saying. ...*(Interruptions)*... Anything unparliamentary would not go on record, what is your problem? ...*(Interruptions)*... What is your problem? ...*(Interruptions)*... If anything is unparliamentary, it would not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: * ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... Khargeji, when you talk about *Vande Mataram*, there is no problem in the House. ...*(Interruptions)*... When you go out of the subject, all the problems start. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *

MR. CHAIRMAN: No, no; Nothing would go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing would go on record till the House comes to an order. ...*(Interruptions)*... Nothing would go on record unless the House comes to an order. ...*(Interruptions)*... You all please sit down. ...*(Interruptions)*... All others please sit down. ...*(Interruptions)*... Khargeji, you have to stick to the subject please. It is unnecessarily creating a pandemonium in the House. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: No, that has nothing to do with this. ...*(Interruptions)*... This would not go on record. ...*(Interruptions)*... That has nothing to do with *Vande Mataram*, that would not go on record. ...*(Interruptions)*... This would not go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हम सभी वंदे मातरम् कहते हैं, और इस मातृभूमि को नमन करते हैं, *..*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: No, you have deviated from your subject and that is why all the pandemonium has started. ...*(Interruptions)*... Nothing would go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing would go on record till the House comes to an order. ...*(Interruptions)*... No, no. Nothing would go on record till the House comes to an order. प्लीज़ आप सभी बैठिए। ...*(व्यवधान)*... प्लीज़ आप सभी बैठिए। ...*(व्यवधान)*... संजय सेठ जी, प्लीज़ बैठिए। ...*(व्यवधान)*... Everyone please take your seat. ...*(Interruptions)*... One minute. ...*(Interruptions)*... Khargeji, one minute. ...*(Interruptions)*... When we are discussing about a subject, my humble request to all the Members is to please stick to the subject. If you want to discuss anything extra, the Government is ready. We can plan it in the future. We can have it and we can have a fruitful discussion on that subject. Why? Khargeji, when you are talking about 'Vande Mataram', it was alright. ...*(Interruptions)*... When you are deviating, unnecessarily, a pandemonium is getting

* Not recorded.

created. ...*(Interruptions)*... We want a fruitful discussion, that is our aim and I hope you can understand that. ...*(Interruptions)*... Kindly stick to the subject, please.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: *...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: No, no! The Government has already agreed.... ...*(Interruptions)*... The Government has already agreed for a debate and discussion on economics, security and everything. ...*(Interruptions)*... Then, what is your problem? Whatever you want to say... ...*(Interruptions)*... प्लीज़ आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... तिवारी जी, प्लीज़ बैठिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करूँगा। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Your leader is capable of handling it. प्लीज़ आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*...
श्री मल्लिकार्जुन खरगे: साहब, ये सब भारत माता के पुत्र हैं। ...*(व्यवधान)*... उनकी तकलीफों के बारे में बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: See, when you are.....*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: प्लीज़ आप सभी बैठिए। ...*(व्यवधान)*... प्लीज़ आप सभी बैठिए। ...*(व्यवधान)*... If anything has to be said by the Treasury Bench, then, the hon. Leader of the House will speak, बाकी सब प्लीज़ बैठिए। ...*(व्यवधान)*... बाकी सब प्लीज़ बैठिए। Hon. Leader of the House will speak. ...*(Interruptions)*... Now, I request the hon. Leader of the House to speak. Only one minute. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, यह नहीं चल सकता है।...*(व्यवधान)*...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I would request you that anything, other than the subject, spoken by the Leader of the Opposition, that should be expunged and that should not come on record. ...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: I have already said that high deviation from the subject will not be recorded and it will be expunged. ...*(Interruptions)*... I have already said and you don't disturb the House, please. ...*(Interruptions)*... Khargeji, you please continue with your speech.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, who said! All *Dalits* are our brothers and sisters. ...*(Interruptions)*... Nobody has said that they are different from ours. Nobody has said that. Why you are taking it... ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सभापति जी, देश जानता है कि वे भारत माता के पुत्र हैं और भारत माता के सुपुत्रों के बारे में बात करना जरूरी है। ...*(व्यवधान)*... सभापति जी, यह देश जानता है कि वंदे मातरम् पर... ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Now, again, hon. Leader of the House. ...*(Interruptions)*... Khargeji, whenever you deviate from the subject, the House will get disturbed. You have to understand it. ...*(Interruptions)*... Now, hon. Leader of the House.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, again, I would like to make it very clear that कि मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में दलितों का बहुत प्रमुख स्थान है।

MR. CHAIRMAN: All others, please go to your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हम दलित भाइयों को पूरी इज्जत देते हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please do not stand anywhere. ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह संदेश कहीं नहीं जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*... चूंकि ये सब्जेक्ट से अलग होकर बात कर रहे हैं, तो इस बात का विरोध है। ...*(व्यवधान)*... हमारे दलित भाई बहुत आदरणीय हैं। ...*(व्यवधान)*... हम सबको ध्यान में रखते हैं। ...*(व्यवधान)*... मोदी जी के नेतृत्व में दलितों का जितना भला हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है — इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*... लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि खरगे जी, अगर आपकी स्पीच का कोई पेपर बदल गया है, तो दो मिनट रुक जाइए। ...*(व्यवधान)*... सही पेपर लेकर डिस्कशन कीजिए। ...*(व्यवधान)*... आप बदली हुई स्पीच का पेपर ले आए हैं। उसे मत पढ़िए। ...*(व्यवधान)*...

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Yes, Khargeji. All others, please be seated. ...*(Interruptions)*... Khargeji, do not deviate from the subject. If you deviate from the subject, that will not go on record. Please do not deviate.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सभापति जी, यह देश जानता है ...*(व्यवधान)*... वंदे मातरम् का सच्चा सम्मान बीजेपी, आएसएस ने कभी किया ही नहीं। ...*(व्यवधान)*... इन्होंने 50 साल तक तिरंगे को टुकराया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इन्हें ही सरदार पटेल ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए बैन कर दिया था। वही हमें आज राष्ट्रभक्ति के गीत पर भाषण दे रहे हैं। देखिए, यह कैसी विडंबना है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाए, वही हमको पाठ पढा रहे हैं! इसके विपरीत वंदे मातरम् को पहली बार 1896 में कांग्रेस ने गाया, आजादी के हर चरण में इसे ध्वजवाहक बनाकर आगे बढ़ाया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया। सर, आज भी हम यह कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी और आएसएस का गीत अलग है। इनका गीत अलग ही है, यह वंदे मातरम् नहीं है। ...*(व्यवधान)*... हमारा गीत वंदे मातरम् है। आएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आएसएस की किताब मनुस्मृति है और हमारा 'संविधान' है। ...*(व्यवधान)*... यह साफ है कि आएसएस और बीजेपी भले ही आज नींद से जागी है, इसलिए यह बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम् को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा भी दिया।

सभापति जी, आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से यह कहना चाहूंगा - कम से कम यह तो सुनें - आखिर में, मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहूंगा कि असत्य फैलाकर राष्ट्रीय नायकों पर कीचड़ उछालकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम बंद कीजिए। संविधान को बनाने वाले नायकों और देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताओं का सम्मान करना सीखिए। आप जब भी इनको अपमानित करेंगे, तो यह बात भी खुलकर सामने आएगी कि देश की आजादी में आपके पुरखों की कोई भूमिका नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी और स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों की सोच से देश को आजादी मिली और दुनिया में प्रतिष्ठा मिली। इनके विवेक पर सवाल खड़ा करके आप देश और दुनिया में कहीं अपनी हंसी-मजाक न उड़ा लें। वंदे मातरम् का सम्मान करना सीखिए। विधान सभा के चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम् का सम्मान करना, समान दृष्टि से लोगों को देखना, यह काम आप सीखिए। यह मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ और आखिर में एक बात बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। ...*(व्यवधान)*... वंदे मातरम् गीत, जिसने सिर्फ लोगों को नहीं, दिलों को जोड़ा था, आज उसी गीत पर झंडे गाड़ने का दुस्साहस आप लोग कर रहे हैं। जिनका उस जोड़ी गई धड़कन में कोई हिस्सा न था, तो यह इनकी करतूत है। ये कभी लड़े नहीं, कभी देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दी। सिर्फ अधिकार में कैसे रहना है, ये सिर्फ यही करते हैं। उन्होंने एक और बात उठाई थी। 1994 में यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट में National Anthem और वंदे मातरम् के बारे में निर्णय हुआ था, उस समय हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे, वे कांग्रेस पार्टी के थे, उस वक्त ये दोनों गीत आए और इन्हीं से हम start ...*(व्यवधान)*...

सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया, लेकिन आखिर में मैं इतना कहता हूँ कि देश को मजबूत रखना है, देश एक रखना है, इसलिए वंदे मातरम् हम सबका मंत्र होना चाहिए। यही कह कर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमान सुखेंदु शेखर रॉय।

श्री सुखेंदु शेखर रॉय (पश्चिमी बंगाल): सभापति जी, वंदे मातरम् गीत के ऊपर जो चर्चा आज यहाँ राज्य सभा में शुरू हुई है, इसके बारे में मैं जरूर बोलूँगा, लेकिन मैं आज बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ। कल देर रात तक लोक सभा में वंदे मातरम् के ऊपर जो चर्चा हुई, उसे हमने सुना, तो हमें उम्मीद थी कि आज सुबह जिन बातों से वंदे मातरम् को चेयर से introduce किया गया, उसको मानते हुए हम लोग वंदे मातरम् पर चर्चा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि मेरे मन में जो कुछ भी था, वह थोड़ा तितर-बितर हो गया। यह दुख की बात है। हम अलग-अलग विचारधारा से हैं। सभी पार्टीज़ के लोग इसके बारे में बोलेंगे और अपनी विचारधारा के ऊपर निर्भर करके बोलेंगे, लेकिन हमें किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि वंदे मातरम् गीत का अपमान हो।

अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने पहले ही इत्तला दी कि मैं बांग्ला में बोलूँगा और बीच-बीच में हिन्दी में भी बोलूँगा।

&“Respected Chairman Sir, on an autumn evening in 1872, Bankim Chandra Chattopadhyay was travelling by train from Sealdah station to his ancestral home in Kanthalpara, Naihati, to spend his holidays. At that time, alongside his literary pursuits, he was a Government employee serving as a Deputy Magistrate. While looking out the window of the moving train at the open expanse, he saw the exquisite beauty of nature.

The sky was flooded with the white moonlight of the full moon, the fields were green with crops, nature was churning with the scent of blooming flowers, and the trees were swaying in the breeze. Mesmerized by this magnificent form of the motherland, the chime of music rang out in the strings of Bankim's heart. In a soft voice, he uttered, "*Vande Mataram*."

These words are my own writing. Twenty-five years ago, I wrote an essay on *Vande Mataram* which appeared in a newspaper; I am quoting from that. Upon returning home, Bankim Chandra sat down to write, still humming the tune in his mind. He wrote: "*Vande Mataram, Sujalam Suphalam Malayaja Shitalam, Shasyashyamalam Mataram...*" Sometime later, he was sitting in the office of *Bangadarshan*, the magazine he edited. The Press Manager came and said, "There is some empty space in the paper, give me something written, I will put it there."

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

Then he gave the *Vande Mataram* poem. The Press Manager said, "The poem isn't bad!" Bankim Chandra got annoyed, put the paper back in the drawer, and said, "Whether it is good or bad, you won't understand now; you will understand later. I may not be alive then." So, in 1875, in the *Bangadarshan* magazine, *Vande Mataram* was first published, as various speakers have mentioned. After this, at Bankim Chandra's request, he asked Yadu Bhatta, the famous musician of the Bishnupur Gharana from whom Rabindranath Tagore also took music lessons—to set the *Vande Mataram* poem to music. *Vande Mataram* was not a song initially; it was just a poem. Yadu Bhatta gave it a tune. The Raga of the song was Mallar, set to Kawali beat. In 1882, *Vande Mataram* was incorporated into the tenth chapter of the novel *Anandamath*. From the magazine 'Balak' published in May of that year, it is known that the song *Vande Mataram*, composed by Yadu Bhatta, was becoming popular.

In 1887, in the *Bharati* magazine, Balendranath Tagore wrote that by singing *Vande Mataram*, a song of the heart in their own tune, Bengalis would fly a triumphant flag in the world. The Congress party and the *Vande Mataram* song have been intimately connected since 1886. Many say Rabindranath sang it first; Rabindranath certainly sang it, he sang it in 1896. But in 1886, when the second Congress Session was held at Calcutta Town Hall, the song *Vande Mataram* was sung by Bankim Chandra's friend, the poet and lawyer Hemchandra Bandopadhyay. We have forgotten this history. In that session, Rabindranath sang a song, but it was not *Vande Mataram*; it was, "We have gathered today at the mother's call".

Sir, when the novel *Anandamath* came out, the *Vande Mataram* song was expanded. Initially, there were 12 lines; *Vande Mataram* was first written with 12 lines. Later, 15 more lines were added within the *Anandamath* novel itself. One must think of the context: in what context was *Anandamath* written and why was *Vande Mataram* expanded?

In 1770 (Bengali year 1176), the Famine of '76 occurred. One-third of the people of Bengal died of starvation due to the famine. Such a terrible famine had not occurred anywhere else in India. At that time, Company Rule—the East India Company—was running things. In this situation, when over ten million people died, small rebellions started happening here and there: the Sannyasi Rebellion, the Fakir Rebellion, etc. Bankim Chandra was the Deputy Magistrate in Malda at that time. Two years later, when he was writing *Vande Mataram*, the Sannyasi Rebellion had taken place in Rangpur, Dinajpur, Malda, Purnia in Bihar, and various places in Bardhaman. Based on that, he wrote *Anandamath* against the backdrop of the Sannyasi Rebellion.

Anandamath begins in the village of Padachinha. The literary journey of Bankim that started in *Anandamath* from Padachinha village ends when "Immersion came and took away Establishment." This long journey, various characters, various histories, various descriptions have been depicted in various ways. Standing in today's era, it feels bad to think that there are many parts that were not to everyone's liking. But today, we have to think that Bankim Chandra created *Anandamath* and expanded *Vande Mataram* in that specific context of that day. Many did not understand the importance of *Vande Mataram* then, but lying on his deathbed, Bankim told his eldest daughter, "One day you will see *Vande Mataram* resonating in the heart of the whole country." On April 8, 1894, Bankim died, leaving behind his priceless literary works and the rejuvenating mantra of *Vande Mataram*.

Subsequently, in the year 1900, from Sarala Devi Chaudhurani's book '*Shatagan*', it is known that Rabindranath had composed music for the first seven lines of *Vande Mataram* as early as 1885. The first composer was Yadu Bhatta; the second was Rabindranath. From the writings of Rabindranath's biographer Prabhat Mukhopadhyay, it is known—as everyone says—that in the 1896 Congress Session in Calcutta, he himself gave the tune and sang those first seven lines. In this context, he later said, "When I was singing *Vande Mataram*, a wave of electricity surged through my whole body; my entire existence was overwhelmed by a deep feeling." Who was the President of that session? Rahimtullah Sayani, a Muslim. He did not object; he did not leave the session. Therefore, it is not possible to tell this long history in such a short time.

Now, the slogan, *Vande Mataram*. Today, we all have been chanting "Vande Mataram" for ages. When and where it was first uttered as a slogan? In Kidderpore, Calcutta. At that time, the Anti-Partition movement had just begun. The Pratapaditya Festival was taking place in Kidderpore, presided over by Sir Ashutosh Mukherjee, the father of Dr. Syama Prasad Mookerjee. There, the sound of *Vande Mataram* first rose as an inspirational mantra. Then it slowly spread everywhere.

Vande Mataram Samitis and Societies were formed. Who were the leaders of the *Vande Mataram* Society? Dr. R. G. Kar, Sir S.N. Banerjee, Rabindranath Tagore, and C.R. Das. Another organization was set up named *Vande Mataram Sampradaya*. This *Sampradaya* took out morning processions (*Prabhat Pheri*) in villages, neighbourhoods, and districts to start propagating the *Vande Mataram* song among the people.

You will be surprised to hear that during this Anti-Partition movement, bangle factories for women were created named *Vande Mataram*. A match factory was created named *Vande Mataram*. And who created this match factory? A Congress

leader, Rash Behari Ghosh. In 1905, police torture began on the public in various districts including Barisal, Rangpur, and Jalpaiguri for singing *Vande Mataram*. Even for writing *Vande Mataram* on the walls of houses, homes were demolished. *Vande Mataram* was banned. But in the 1905 Benares session, Sarala Devi Chaudhurani sang the *Vande Mataram* song. Who was the President there? Gopal Krishna Gokhale.

Sir, in 1906, when the anti-partition movement had taken a massive form, the Bengal Provincial Congress Committee conference was held in Barisal. The President was Barrister Abdul Rasul from Comilla. On the first day of that two-day conference, they saw *Vande Mataram* being sung. Then what did they do? Sir, they arrested Surendranath Banerjee and fined him. A young man named Chittaranjan was beaten with sticks until his eyes were destroyed. There was a lathi charge. There were 400 women representatives; there was a lathi charge on them. And on the second day, when the session was continuing, they entered, imposed Section 144, and declared the meeting unlawful.

At this time, Ashwini Kumar Dutta's disciple, the bard (*Charon Kobi*) Mukunda Das, started a new *Vande Mataram*. Since *Vande Mataram* was banned and could not be sung, he started a new song: "*Vande Mataram bole nacho re sakole, kirpan loiya hate*" (Dance, everyone, chanting *Vande Mataram*). Through village plays (Jatra), he spread the message of *Vande Mataram* and patriotism. Mukunda Das was arrested and imprisoned in Delhi jail for three years. While he was imprisoned, his wife died. Even after returning, he could not be suppressed; he continued his practice of patriotism and *Vande Mataram*. Many did not accept this bright history back then.

Our country's first national flag was named the *Vande Mataram* Flag. It was raised on August 7, 1906, at Parsi Bagan Square, Calcutta, now named Sadhana Sarkar Udyan. Who designed the flag? Sister Nivedita designed it. She had the flag sewn by students of Bagbazar Girls' School. That is what was raised in 1906.

After that, Madam Cama, as our Honorable Home Minister mentioned, the flag she raised in Stuttgart, Germany on August 18, 1907, also had *Vande Mataram* written on it. That year, Madam Cama published a pamphlet named *Vande Mataram*. In 1909, the monthly magazine she published in Paris was also named *Vande Mataram*. In 1914, Ghadar Party leader Lala Har Dayal started editing the *Vande Mataram* magazine in Geneva, Switzerland.

From the time of the Swadeshi and Boycott movements, *Vande Mataram* was elevated from a national level to an international level. *Vande Mataram* was the mantra of Indian revolutionism. Sir, when Nehruji was studying in England at that time, Motilal Nehru wrote him a letter on November 16, 1905, stating that we are passing through a

critical juncture in the history of British India. He wrote, "Now even in Allahabad, we greet each other saying, *Vande Mataram*. If this movement continues, you will return to see a new India instead of the India you knew."

Sir, on April 16, 1907, Sri Aurobindo wrote in the *Vande Mataram* newspaper: "32 years ago when Bankim Chandra composed this song, it came to the notice of very few people. But when, after a long inertia of error, in a sudden moment of awakening, the people of the country cast their eyes in search of truth, then, in that auspicious moment, *Vande Mataram* was sounded. The British had turned the entire race into a herd of sheep; from that cowardice, timidity, foolishness, and tamasic state, only the *Vande Mataram* sound awakened a new light, courage, and vigor in the soul."

Sir, Mahatma Gandhi became President of the Congress party only once, at the Belgaum session in 1924. At the end of his speech, he said, "*Vande Mataram*." Similarly, Vithalbhai Patel, at the Karachi conference in 1931, said "*Vande Mataram*" at the end of his speech. Therefore, from 1905 until later times, *Vande Mataram* was sung at Congress sessions. Damodar Paluskar, the famous classical singer of India, sang *Vande Mataram* at every Congress session from 1915 until he was alive. M.S. Subbulakshmi recorded *Vande Mataram* in a duet with Dilip Roy. These things must be told to today's generation - the emotion, through which *Vande Mataram* was able to attract the whole country to itself.

Sir, no one ever objected to the first seven lines of *Vande Mataram* being sung. But in 1937, Muslim League leader Jinnah raised allegations of anti-Muslim activities against the Congress. As long as Jinnah was in the Congress, he never raised even a strong objection regarding *Vande Mataram*. Suddenly, why did he raise it in 1937? I am a student of Political Science; I started digging into history. I saw that after the Government of India Act 1935, when elections were held in 11 provinces of India in 1936 and 1937 to form provincial governments, the Congress party won the maximum number of seats in that election. Out of 11, seven states went into the hands of the Congress party. The remaining states went to the Muslim League. This time, Jinnah got scared. There were reserved seats separately for Muslims. Despite this, he thought that the mass base the Congress party had, needed to be weakened. For that, he raised this objection that *Vande Mataram* should not be the National Anthem as the Congress Working Committee decided. He was in the Muslim League then — and the Congress said, "You have a separate resolution in your party." He said, "No; *Vande Mataram* cannot be kept at all." And the Hindu Mahasabha and RSS said, "The entire *Vande Mataram* must be kept." That is, the British 'Divide and Rule' policy that was applied to Bengal in 1905, which we had stopped, was now brought

back afresh. A Plan-2 to divide and rule. That is why the seeds of Partition were created anew in this 1937, where Muslim communalism and Hindu communalism raised their heads in the same way.

Sir, it is being said that *Vande Mataram* has been truncated. The people do not think it has been amputated. In various countries of the world, amputation of National Anthems has occurred. *Jana Gana Mana* has five stanzas; out of them, one stanza is the National Anthem, four were left out. No one objected; there is nothing to object to. It has to be sung in 52 seconds; in no country in the world is the National Anthem sung for 5 minutes. This was the main reason. It has been said repeatedly by Mr. Nehru. The British National Anthem, American National Anthem, Russian National Anthem, French National Anthem, German National Anthem, compared to the original, only one stanza or two stanzas are sung. This "truncation" was done consciously because of the time factor I mentioned. Thirdly, Denmark and New Zealand still have two separate national anthems."

MR. CHAIRMAN: Try to conclude.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am concluding. A poll was conducted online by BBC World Service. The survey was done in November, 2002. The poll received over 1,50,000 votes for around 7,000 different songs from listeners in 155 countries and the result was Vande Mataram came in second place. सर, हम आज डेढ़ सौ साल के बाद भी वंदे मातरम् को लेकर एक तर्क छेड़ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री सुखेंदु शेखर राँय: हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है, यह नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम् का उस ढंग से honour किया जाए, जिस ढंग से हमारे क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम् बोलते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। वंदे मातरम्!

3.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri H.D. Devegowda.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, I would like to start my speech with Vande Mataram. Yesterday the debate was in Lok Sabha. I heard the marathon speech of hon. Prime Minister. I also went through the newspapers. ...(*Interruptions*)... I do not want to make any lengthy speech.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, why is DMK not called? ...(*Interruptions*)... DMK is a larger Party.

MR. CHAIRMAN: Keeping his age in mind, I called him. Devegowdaji, you please continue.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: If there is any objection...

MR. CHAIRMAN: No; I do not think there will be any objection. They were just thinking like that. You please continue.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, I would like to start again. '*Vande Mataram*' is a song that has inspired many generations of Indians. Even to this day, 150 years after it was first published, it moves us greatly. Bankim Chandra Chatterjee wrote the song in Bengali, but since it had so much of Sanskrit in it, it could be followed in the rest of India. But more than the actual words, and the music it has been set to, it is the sacred spirit of the song, its *atma* and its soul, that has united Indians in the past and continues to unite them today.

I often ask myself as to why when so much literature has been written, only a few songs, like *Vande Mataram*, live forever in our hearts. The reason for this is not just the power of the words and meaning, but it is pure *atma*. Like the soul never dies in Hindu culture, it is the *atma* of this song that makes it eternal. I am similarly moved when I hear the Kannada State song, "Victory to you, Mother Karnataka, Daughter of Mother India!!" It was a song composed by the great Kuvempu that was adopted as the State song in Karnataka. Again, it is the rich soul of this song that has made it very special in the hearts of Kannadigas.

Bengali nationalism came to greatly influence Indian nationalism, and *Vande Mataram* was a powerful component of that nationalism that inspired the rest of India. Each State of India now has a State song which draws its spirit from *Vande Mataram*. Bharat Mata and Bhuvaneshwari became mother and daughter, or sisters, through this great song. That spirit united India and continues to unite India. I came to learn that *Vande Mataram* was made popular by Gurudev Rabindranath Tagore, who gave us our National Anthem. He himself sang it first at a Congress session in 1896 even before Mahatma Gandhi was part of the Congress and Nehru was only an eight-year-old boy. The fact that Tagore gave this song to the nation is another special blessing.

Sir, *Vande Mataram* has been sung in many different ways over many years. I heard Tagore's rendition on Internet yesterday. It is so different from the way it has been sung now. If I can make a recommendation to the hon. Prime Minister and the Government of India, I would suggest that in the 150th year of the song, we should record 150 ways of singing *Vande Mataram* in 150 different music traditions of this very rich and diverse nation. That will be a great tribute to Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore and our freedom fighters who kept the spirit of India's Independence alive through this song and passed it on to all of us. Thank you very much, Sir. *Jai Hind. Jai Bharat.*

MR. CHAIRMAN: Jairam ji, have you heard his speech?

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Tiruchi Siva. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, why do you have a doubt? I sit here from morning till night.

MR. CHAIRMAN: No, no. I know that. Do you have any objection to his speech?

SHRI JAIRAM RAMESH: No.

MR. CHAIRMAN: That is why, I asked. He is an elderly person. I just asked you. Nothing else.

SHRI JAIRAM RAMESH: For once, he did not attack the Congress.

MR. CHAIRMAN: He has not attacked anyone.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, if there is any mistake, I am ready to rectify. ...(*Interruptions*)... Sir, if anything I have said is not true, please tell me, I am ready to rectify the same. But, Jairam ji, please do not intervene unnecessarily. Mr. Jairam, I know you for very long period.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): &“ Hon. Chairman, Sir, Vanakkam. This is a very important discussion. With a strong sense of duty, and as a proud member of Dravida MunnetraKalagam(DMK), I am standing in front of you. This discussion is being held in both Houses of Parliament to commemorate the 150th anniversary of the song ‘Vande Mataram’. Everyone has spoken about the significance of this song. Members from the Treasury gave much importance to have this discussion. But Sir, please look at their sincerity. Hon. Minister, Shri. Pralhad Joshi is the only leader present here. It may be because of roster duty. Hon. Leader of the House is not present. Hon. Minister of Parliamentary Affairs is not present. Hon. Minister of State for Parliamentary Affairs is also not present. Responsibility lies not only in bringing a discussion, but also in participating in the Business of the House.

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PRALHAD JOSHI): Please look behind.

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Pralhad Joshi, I am very happy that you are here. You always remain here. That is your duty. It is your party which was interested in having a discussion on this subject. But they are not present.

Only you were very particular in bringing the debate first, than anything else. When you have spoken so much at length in the Lok Sabha and here, you should prove it by way of your actions. ..(Interruptions).. I request you to stop criticising the Members in the opposition. When opposition parties are requesting to have discussion on various issues, the ruling party gave importance only to this discussion.

MR. CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, please come to the subject.

SHRI TIRUCHI SIVA: *We have a great responsibility and a sense of duty. I consider this time of discussion as very very important. I would like to mention a few things which are not known to this place and to the world.

Sir, this song was written in the year 1876 by Bankim Chandra Chattopadhyaya and in the year 1882, it was published in his novel “Anand Matt”. The novel was published as a series in the magazine “Bangla Darshan”. This song became very popular. As told by hon. Minister of Home Affairs, and as mentioned by hon. Leader of Opposition, the music to this song was composed and sung by Guru

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

* Not recorded.

Rabindranath Tagore in the Congress conference held at Calcutta in 1896. The song did not stop there.

These two words, “Vande Matharam” echoed throughout the country. It kindled the spirit of the freedom movement. None cared about the language of this song. Be it the National Anthem , ‘Jana Gana Mana’ or the national song, “Vande Matharam”, both are written in Bengali language. They kindle the spirit throughout the country and unite everyone. The emotions that arose that day, emanated from Kashmir to Kanyakumari. None worried about the language of this song and of the anthem. Everyone had the same feeling that the nation should be freed. Mahakavi Bharathiyar had written many poems about the freedom spirit. In one of his poems, he says :

*“This is the country in which my father and mother
had been living happily and socialising.*

*This is the country in which their ancestors have lived and completed their lives for the
previous thousand years.*

*This is the country that has prospered with the thoughts
that arose from their knowledge.*

*Wouldn't I praise this heartily by paying homage
as well as by remembering them with reverence ?*

*Wouldn't I salute this by singing
Vande Mataram, Vande Mataram ? !”*

That song echoed in all directions. Sir, I would like to mention certain details. Sir, you know much about history. An image has been created that the freedom spirit arose only in late 19th century and early 20th century. Sir, history is understood through the way it was written. How the historians portray different personalities! Alexander is appreciated as a valiant hero. He is known as Alexander the Great. But Genghis Khan is described as a tyrant. Did Alexander conquer countries by giving bouquet of flowers? He too massacred people, he too beheaded masses, he too waged war. Genghis Khan also did the same. But the historians described Alexander as a valiant hero and Genghis Khan as a tyrant. My point is that we have not forgotten the participation of many freedom fighters of the country even to the slightest extent. Mr. Chairman Sir, you know that we have a stadium in Tamil Nadu in the name of Mr. Tilak. We have roads named after Netaji Subash Chandra Bose. We have a hospital named after Kasturba Gandhi. We have a Garden named after Kamla Nehru. But Sir, have you seen any road named as V.O. Chidambaranar Road in the North? Do we have Bharathiyar street in the North? Do the North Indians know about

Veerapandiya Kattabomman. These details are known only to us. Why are we neglected? Who is going to question? It is none other than us. Our party, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) may be a regional party. But we have never forsaken and forgotten the real freedom fighters of this country.

I am very happy to mention here that we never failed to identify the real martyrs. A fighter by name Puli thevan, belonging to Nerkattumseval village in Tirunelveli Palayam District, was the first person to oppose the Britishers. It was he who first raised the slogan 'Quit India' against the Britishers. He was the real forerunner of Quit India Movement that arose in the year 1942. But do the friends in North know about Pulithevan? Before Pulithevan, we had Veerapandiya Kattabomman. He was the one who initiated the tax denying movement which later developed into Civil Disobedience Movement. Even during his last moment at gallows at the age of thirty nine, he worshipped the motherland. He was born in the year 1760 and died in the year 1799. He did not worry about losing his life. Do the friends in North know about Veerapandiya Kattabomman? Does our hon. Minister, Mr. Pralhad Joshi, who is from the State of Karnataka know about Veerapandiya Kattabomman? Does anyone present here know about Veerapandiya Kattabomman and Puli thevan? Does anyone know about Velu Nachiyar who ruled the Sethu country? Velu Nachiyar was the only ruler who reclaimed her kingdom from the Britishers. She had expertise in multiple languages. With the assistance of Tipu Sultan and Hyder Ali, she fought against the Britishers and retrieved her kingdom. How many times she had fought against the Britishers? How many of us know about Velu Nachiyar? It is known to my HON. brother Mr. Murugan. Sir, you would have known about her. But how many members in this House know about Velu Nachiyar? During the course of her war, she faced a setback. She could not face the military tactics, British weapons and their modern technological warfare. At that juncture, one of her commandants, Ms. Kuyili made a sacrifice. She was a young girl in her twenties. If we trace her origin, she was identified as a Dalit. That brave girl infiltrated the battlefield in the guise of a dance troupe. She applied ghee over her body, set herself ablaze and jumped into the British armoury to destroy their weapons. Her act of self immolation helped Rani Velu Nachiyar to win the war and to reclaim her kingdom.

Sir, we speak about Rani Lakshmi Bai. But do we speak about Velu Nachiyar and Kuyili? Mahakavi Bharathiyar lived in poverty. But his poems reverberated in all directions. Hon. Prime Minister mentions about V.O.Chidambaranar. He mentions a few more names. What have you done for them? It is not for criticising. Don't we need to protect our heritage and conventions? Hon. President of India was hosting a banquet for a foreign dignitary who had visited our country. The Leaders of

Opposition in both the Houses were not invited for that banquet. As per article 79 of the Constitution of India, Parliament consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, headed by the hon. President of India. But in a banquet hosted for a foreign dignitary, Leader of opposition in Lok Sabha and Leader of opposition in Rajya Sabha are not invited. Can't we complain about it here? When we attained independence, we decided to make the country a republic. The purpose is to establish this democratic country as a republic. This song is also one such gesture. Just because it was sung throughout the country, it didn't become a national song. On 24th of January, 1950, the Constituent Assembly adopted them as national song and national anthem. What I would like to ask now is that you are mentioning about V.O. Chidambaranar, what do you know about him? The Britishers entered this country through business. V.O. Chidambaranar thought that they could be driven away by business only. He bought the Swadeshi shipping company against the Britishers. He named it as Vande Mataram. He came to the North to collect donations. During that period, he received a message that his son had passed away. But he did not rush to his son's funeral. He said, "Nothing is going to happen by visiting my son's funeral. Buying a Swadeshi Ship is more important to me than making a visit for the funeral of my son".

Such was the patriotic zest of V.O.C. Cases were filed against him for his patriotic activities. He was given double life sentences, which was unprecedented in history. He was tortured at the prison. He was forced to churn oil from the wooden oil mill. In place of bulls, he was yoked to the oil press. All his energies were extracted due to that hard labour and when he was released from prison, he was like a residue. His friend Subramaniya Siva welcomed him when he was released from the prison. Subramaniya Siva was also a freedom fighter who contracted leprosy during his imprisonment. Sir, you have spoken widely about V.O.Chidambaranar. How many Members know about them? We have respected leaders from the North. But have you included lessons about the freedom fighters of the South in your textbooks? Please include their life lessons in your CBSE textbooks. There was Rani Abbakka in Karnataka. How many of you know about her? How many sacrifices they have made in their lives! There was a freedom fighter by name Padmasini. She was born in Sholavandan region of Madurai District. She married Srinivasan, a patriot. She was propagating the songs of Bharathiyar from street to street. She was spreading the message of Jalianwala Bagh massacre from street to street. When Lala Lajpat Rai was attacked and died of injuries, she spread the message from street to street. She did not see Lala Lajpat Rai as a Punjabi. She saw him as a freedom fighter. She was pregnant when she was imprisoned. She gave birth to a stillborn baby. Even then,

she continued her fight after her release from prison. Who knows about Padmasini? Does brother Murugan know about her?

Sir, unfortunately, I have to repeatedly ask whether people know about these facts. I would like to mention about Shenbagaraman Pillai who was born in Trivandrum, near Kanyakumari. You know about him. Brother Chidambaram would have known about him. Shenbagaraman Pillai was an ardent freedom fighter. A German spy who understood the astuteness of Shenbagaraman Pillai encouraged him to migrate to abroad. It was he, Shenbagaraman Pillai, who first coined the salutation and slogan 'Jai Hind'. He had the spirit of freedom since his youthhood. He went to Italy and learnt many languages. When he visited Germany, he became a close confidant of German Emperor Kaiser. Later he became closer to Hitler also. He was the commander of Emden ship that bombed St. George Fort of Madras. As he was a close friend of Hitler, he negotiated with Hitler about the freedom of India. Hitler said that Indians were not fit for self-rule. But Shenbagaraman Pillai criticised Hitler for this comment and demanded a written apology from him. Shenbagaraman Pillai had a great influence among the people. Therefore, Hitler had no other way except giving a written apology to Shenbagaraman. Hitler wrote a written apology for the first time in his life to a Tamilian, that is Shenbagaraman. Why had he written a letter of apology? One of the greatest dictators of a foreign land could be questioned by a Tamilian. Later, Nazi Hitler wanted to retrieve the letter from Shenbagaraman. In this attempt, Shenbagaraman was given slow poison through food. He lost his life slowly and slowly as he was poisoned. Hon. Member, Shri Sukhendu Sekhar Ray, who spoke ahead of me, hon. Prime Minister, hon. Minister of Home Affairs, mentioned about a Maharashtrian freedom fighter. If my sister, Shrimati Rajani Patil was present here, she would have been proud of this detail.

I would like to mention about Madam Bhikaji Cama, a Parsi woman from Maharashtra. She participated in World Socialist conference held at Germany in 1907. She was the first person to show the tricoloured flag to the world. She had taken the flag that was hidden in her saree and showed the flag at that conference and said, "This is the national flag of my country and I request you to salute it". In that conference were present Vladimir Lenin of Russia and writer Maxim Gorky. She was politically associated with them. All the members in the conference were persuaded by Madam Bhikaji Cama to salute the tricoloured flag. Madam Bhikaji Cama's adopted daughter was Lakshmi Bai who married Shenbagaraman. This tragic story is not merely a personal story. It should be mentioned to the public. An individual, a Tamilian had lived such a brave life to the extent of being commandant of a warship,

to the extent of threatening one of greatest dictators of the world, is not mentioned in history.

Sir, when Netaji Subash Chandra Bose met Shenbagaraman, he carried the slogan 'Jai Hind' which was coined by Shenbagaraman. Slow poison was given to Shenbagaraman. As his life was in danger, he was advised by his friends to leave Germany. On the way, he was attacked by Nazis. When he was taken to the hospital, when he knew that his life was going to end, he made a statement which is very very important. He said, "I had wished that my ashes should be taken in a warship of independent India and should be immersed in the independent India. But I had to die at this moment." Lakshmi Bai, daughter of Madam Bhikaji Cama and wife of Shenbagaraman, escaped to India with the ashes of her husband Shenbagaraman. Lakshmi bai lived with him only for three years. But do you know how long she waited! She had waited for 32 years. She had preserved his ashes for more than 32 years, to make his dream come true. Did anyone understand the suffering of others? Did anyone understand the sacrifices of freedom fighters? Did anyone understand the pains of others? Who has the heart to acknowledge and appreciate the sacrifices of martyrs? Lakshmi bai was explaining about the sacrifices of Shenbagaraman to many. She was waiting with the urn carrying the ashes of Shenbagaraman. But none lent their ear to her. Somehow, her pleas had reached the ears of Mrs. Indira Gandhi, then Prime Minister of India. She made arrangements to carry the ashes of Shenbagaraman through Indian ship INS Delhi from Mumbai to Kanyakumari and to immerse his ashes at Karamana river in Trivandrum with full State honours. That was Congress party. That was done by Mrs. Indira Gandhi who acknowledged the sacrifices of Shenbagaraman. When was a martyr, that is Shenbagaraman, a martyr of great stature, appreciated by the State? How many years have passed to received the appreciation? Now, I would like to ask my brother Mr. Murugan whether he knows about Shenbagaraman. He is a Tamilian who had lived such a brave life to the extent of being commandant of a warship, to the extent of threatening one of greatest dictators of the world, he is not mentioned in history. His name is not mentioned in the annals of Indian history. That is why Sir, I say that history has hidden many facts. Many such unsung heroes and heroines of history are hidden by historians. They are not forgotten. History has to be rewritten. I don't speak about altering history. I ask for rectification of certain mistakes, to bring to light the legacies of unsung heroes of freedom movement. Here after, don't apply the same colour to everything. Don't claim ownership for everything. If your nationalism is true, treat everyone equally from Kashmir to Kanyakumari. Treat all the languages equally. Acknowledge and appreciate the sacrifices of all sections of people. Who are we? You are criticising

that we speak about Dravidam. Yes, we speak about Dravidam. It is our ideology. Do you know what have we done? We searched the “Oil press” that was used to torture V.O.C. and found it at Coimbatore Prison. Our leader Dr. Kalaignar brought it to Chennai and built a memorial for that. It is we who built manimandapam, a memorial, for Maruthu Pandiyar Brothers. Our brother Mr. M.K.Stalin, hon. Chief Minister of Tamil nadu, had built a flyover at an estimated cost of Rs.150 crore in Madurai in the name of Rani Velu Nachiyar. Sir, I would like to speak about Dheeran Chinnamalai who belonged to your region.

MR. CHAIRMAN: He did not belong to my region only. He belonged to our region, our country.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, he belonged to the region you lived and where you are living now.

MR. CHAIRMAN: All of us are living in this country. It is wrong to claim ownership only to a particular region.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, now you are owned by the entire country. You know about Dheeran Chinnamalai. All are celebrating Dheeran Chinnamalai. But Does Delhi know about Dheeran Chinnamalai? Does Patna know about Dheeran Chinnamalai? Does Allahabad know about Dheeran Chinnamalai? Every Indian should know about him. When Dheeran Chinnamalai was at prison, he was sent certain hints through chappals by a person named Pollan. Those hints were about the ways of escaping from prison.” ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Mr. Chairman Sir, Pollan was a commandant. He was not a cobbler.* ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... You please. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

DR. L. MURUGAN: Didn't you have a responsibility? You did not take that responsibility. It is our hon. Prime Minister, Narendra Modiji, who honoured Mahakavi Bharathiyar at Banaras Hindu University. He celebrated Puli Thevan and Velu Nachiyar at Kashi Tamil Sangamam. They mention about Rani Abbakka. It is we who acknowledged Rani Abbakka in the 75th year of Azadi ka Amrit Mahotsav. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No! What he is shouting will not go on record. He is very disrespectively.....*(Interruptions)*... You have no right to disrespect somebody. ...*(Interruptions)*... कृपया आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... कृपया आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI TIRUCHI SIVA:* Brother, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

DR. L. MURUGAN: *

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am not yielding. When you said that the hon. Home Minister is not yielding to the LoP, I am not yielding. How can you allow him to speak?

MR. CHAIRMAN: You please continue.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I do not understand.

MR. CHAIRMAN: You please continue.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, you allowed him to speak and everything has gone on record. See. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No running commentary, please. ...*(Interruptions)*... No running commentary please. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Murugan, you do not argue with me. You cannot...
...*(Interruptions)*...

* Not Recorded

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... All these un-parliamentary words will not go on record. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Tiruchi Sivaji, you continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Chairman, the rules should apply to both sides. I submit to you. The rules should apply to both sides. When they spoke, when the Leader of Opposition himself intervened, you said, 'No, he is not yielding.'

MR. CHAIRMAN: I have said the same thing... ...*(Interruptions)*... When they were interfering, I have said the same thing. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Now, Sir, what is he doing? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You are deviating from the subject, then what do I have to do? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Now, what is he doing? ...*(Interruptions)*... Have I spoken out of the subject? Have I ever spoken unparliamentary? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No; he was not speaking out of the subject. ...*(Interruptions)*... He is making a subject. As long as he was on the subject, I allowed him. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: He is not speaking on the subject. He is taking political mileage out of it. ...*(Interruptions)*... You allowed him. You cannot. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you please take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister, you please take your seat. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You please take your seat. ...*(Interruptions)*... We will rectify if anything is against the fact. ...*(Interruptions)*... If anything is against the fact, we will expunge it. ...*(Interruptions)*... You please take your seat. ...*(Interruptions)*... If anything is against the fact, then,... ...*(Interruptions)*... I am telling you now...

...*(Interruptions)*... You please take your seat. ...*(Interruptions)*... Do not shout.
 ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. Shouting will not go on record.
 ...*(Interruptions)*... It will not go on the record. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister,
 you please take your seat. ...*(Interruptions)*... You please take your seat.
 ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... For some time,
 nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... You please take your seat. Nothing will
 go on record. ...*(Interruptions)*... You all please take your seats. ...*(Interruptions)*...
 Shri Tiruchi Siva, please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am prepared to continue provided... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Otherwise, I will have to call the next speaker. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: No; how can you? ...*(Interruptions)*... Had he not interrupted
 me... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Then, you have to continue. ...*(Interruptions)*... I have given my
 ruling. ...*(Interruptions)*... You have to continue. Otherwise, I have to call the next
 speaker. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, please be impartial. ...*(Interruptions)*... Please be impartial.
 ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Then, you continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: My time is interrupted.

MR. CHAIRMAN: Am I not impartial? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: My time is interrupted.

MR. CHAIRMAN: You cannot question the Chair. ...*(Interruptions)*... You continue
 your speech. You are not speaking. What do I have to do? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: I should have my say, please. ...*(Interruptions)*... I should have
 my say. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I understand that. ...*(Interruptions)*... I understand. I requested him to continue. If he is not continuing, then, I will call the next speaker. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Kindly allow me to speak, Sir. I spoke in Tamil. Let me continue in Tamil. “Sir, there are many ways of sending messages. Some will send a message through doves. Some will send through an emissary. Some will send through food. Doctors may carry it through prescription. I have also been imprisoned for an year. So, we know about certain tactics of sending messages. Similarly, Mr. Pollan, who was a commandant of Dheeran Chinnamalai, sent him messages through chappals. He was a was a commandant. His brain and technology were different. ...*(Interruptions)*...

I have not underestimated Pollan. Don't take it in the wrong way. Dear brother, I don't give wrong facts. You can verify them. Sir, I would like to place a request through you. I urge the Government to name a warship in the name of Shenbagaraman. Please name the next warship as INS Shenbagaraman. I will appreciate you. We will appreciate it. Nobody is going to object. He was a person who went abroad, organised people to participate in the freedom struggle of our country. He desired that his ashes should be brought in a warship of Independent India. If you are really concerned about Shenbagaraman, hon. Minister Muruganji, name a warship in the name of Shenbagaraman. If you do so, I will also express my gratitude. ...*(Interruptions)*... The learned Leader of the House, who is very seasoned and listens to good things, I would appeal to him, I urge him, do that.

MR. CHAIRMAN: You continue. Your time is over, but still I am giving you two-three minutes to conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: We will all be grateful. We, the Tamils, have been neglected in the freedom history. That is what I narrated here. Our role is in no way inferior to anyone. It was forgotten in history, hidden in history. We speak about Bhagat Singh and Udham Singh. We appreciate their sacrifice. Fine! How many martyrs have been unsung heroes and heroines of the freedom movement. It is our duty to bring them back to life. It is your duty as well as our duty. It is the feeling of the entire country. It is not about party differences. Therefore, I request you to include the history of our martyrs mentioned by me, in the CBSE textbooks of history. Teach the younger generation about their sacrifices. If you are really celebrating the 150th anniversary of our national song, please acknowledge our views. We are also participating in the same spirit. Freedom fighters of South India, freedom fighters from Tamil nadu,

Kerala, and Karnataka should also be glorified. Acknowledge their sacrifices and appreciate their martyrdom. Let us teach our children about their sacrifices. Thank you. Vanakkam.”

MR. CHAIRMAN: Thank you Sivaji. I hope you will take the same national spirit to Tamil Nadu also. Now Shri Sanjay Singh.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने वंदे मातरम् जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम् के बारे में, उसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह चर्चा सरकार द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है? यह तो अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो।

[THE VICE-CHAIRMAN (Dr. Sasmit Patra) *in the Chair.*]

वंदे मातरम् के महत्व को देश के लोग समझें, नौजवान समझें, किसान समझें, मजदूर समझें, पढ़ा-लिखा व्यक्ति समझे और गैर पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी समझे, यह अच्छी पहल है। सर, मुझे उत्तर प्रदेश की एक घटना याद आई। हमारे एक मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी, जो ऊर्जा मंत्री हैं। उनके पास व्यापारी लोग पहुंचे और कहा कि 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमें गर्मी में बिजली दे दो, तो मंत्री जी ने कहा, ‘जय श्रीराम, बजरंग बली की जय’, फिर गाड़ी में बैठकर चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान श्रीराम ने आपसे कहा है कि आप [£] हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, उन्हें बिजली न दीजिए। क्या यह भगवान श्रीराम ने आपको कहा है? ...(व्यवधान)... क्या यह शिक्षा आपको भगवान श्रीराम ने दी है? ...(व्यवधान)... मान्यवर, आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे ज़ोर-ज़ोर से लगाए जाते हैं। यदि किसी दिन आपको भी लगाने का मन हो, तो हमारी पार्टी के कार्यक्रम में आ जाइएगा। आपसे ज़्यादा तेज़ी के साथ से वहाँ वंदे मातरम् के नारे लगाएंगे, सदन में भी लगाना चाहते हैं, तो लगाइए। ...(व्यवधान)... ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हैं। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये नारे नहीं होते। यह मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छुपाना चाहते हैं। वंदे मातरम् का मतलब क्या है? वंदे मातरम् का मतलब है मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? एक रुपये में तो एक आम नहीं मिलता - * ...(व्यवधान)... यह मातृभूमि की वंदना है? क्या यह आपकी मातृभूमि की वंदना क्या है? ...(व्यवधान)... आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं।

[£] Exupnged as ordered by the Chair.

...(व्यवधान)... सर, आज वंदे मातरम् पर ही बात करूंगा।*...(व्यवधान)... आप मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please speak on the topic. ...(Interruptions)... Please speak on the topic. Otherwise, it will not go... ...(Interruptions)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, वंदे मातरम् के ऊपर ही बात सुनिए, मैं आज वंदे मातरम् के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मातृभूमि की वंदना पर जब यहां Leader of the Opposition बोल रहे थे...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. LoH wants to say something.

SHRI SANJAY SINGH: I am not yielding, Sir. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let him just speak in response.

SHRI SANJAY SINGH: I am not yielding, Sir. ...(Interruptions)... जब Leader of the Opposition बोल रहे थे...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Would you authenticate it please?

SHRI SANJAY SINGH: Sir, I am not yielding. जब यहां Leader of the Opposition खरगे हब बोल रहे थे...

SHRI RAM CHANDER JANGRA: Sir, point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No point of order.

श्री संजय सिंह: खरगे साहब के मुंह से दलित शब्द निकल गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी सदन में खड़ी होकर विरोध करने लगी। आपको दलितों से इतनी चिढ़ है। क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं हैं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं हैं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं हैं? अगर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात होगी ...(व्यवधान)... तो आप विरोध करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have to give it to hon. LoH. ...*(Interruptions)*... I will have to give it to hon. LoH. You are not on the topic. Hon. LoH. Please sit down. ...*(Interruptions)*..The Leader of the House is on his legs.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, दो बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि healthy debate हो, तर्क के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों के विषय पर बीजेपी वाले हल्ला करने लगे। यह ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने दलितों के विषय में कहा है कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं। यह ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के sweeping statements न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को [‡] न करें। पहली बात यह है। दूसरी बात, आपने कहा कि यह बेच दिया, वह बेच दिया, I say, please authenticate on the Floor of the House whatever you have charged.

श्री संजय सिंह: सर, आज बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह कर गए और लीडर ऑफ दि हाउस भी कह रहे हैं, जो कुछ भी मैं बोलूँ, उसको authenticate करूँ। सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर मैं authenticate न करूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं एक-एक चीज़ authenticate करूँगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, तो उसको authenticate करूँगा।

दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई। कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वन्दे मातरम् का नारा लगाया। शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेन्द्र लाहिड़ी, शहीद अशफाकउल्ला, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, जब हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा, तो शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु सबने वन्दे मातरम् का नारा लगाया। शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, लेकिन मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूँ। मेरी संस्था का नाम शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। शहीद खुदीराम बोस, हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली, उसको बंगाल की माताओं ने तावीज बनाकर अपने बच्चों को पहनाया और कहा कि ऐसे ही हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी बनना। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके पुरखे उस वक्त क्या कर रहे थे, जब शहीद-ए-आज़म भगत सिंह वन्दे मातरम् का नारा लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वन्दे मातरम् का नारा लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वन्दे मातरम् का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वन्दे मातरम् का नारा लगा रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? वन्दे मातरम् का नारा लगाकर लोग जेल गए, उनको लाठियां पड़ी। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस के चार लोगों का नाम बताओ, जो वन्दे मातरम् का नारा लगाकर जेल गए। अपने चार पुरखों का नाम बताओ। आप उनके नाम नहीं बता सकते, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आज़ादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं है, यही आपकी कुंठा है। इसलिए कभी आप कहते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल

[‡] Exupnged as ordered by the Chair.

आपके हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था। यह रिकॉर्डिड हिस्ट्री है।[‡] यह है आपकी असलियत! आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, तो वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हैं। वे हमारी निगाह में सच्चे सपूत नहीं हैं।

सर, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में 28 दिसंबर, 1949 का ऑर्गेनाइज़र पत्र है। मैं इसको भी रखूंगा, क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ दि हाउस, दोनों ने कहा है कि रिकॉर्ड पर सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसको रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। देश को इतिहास पता चलना चाहिए कि किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया और किन लोगों ने राष्ट्र गान का विरोध किया। मैं आपको यह पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह 'Organiser' है और वह लिख रहा है - 'What is the moral sanction behind Government's choice of *Jan Gan Man* except that it can be made an item of entertainment...?' आप राष्ट्र गान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्र गान का विरोध कर रहे हैं! आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्र गान का विरोध लिखा गया है। * सर, मैं यह रिकॉर्ड पर लाऊंगा, आप इसको रख लीजिएगा। यह रिकॉर्ड पर रखा जाए।

मान्यवर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 28 दिसंबर, 1949 को ऑर्गेनाइज़र अखबार, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, इस आरएसएस के मुख्य पत्र में - मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 'What is the moral sanction behind Government's choice of *Jan Gan Man* except that it can be made an item of entertainment...?'

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Unnecessarily they would get provoked again. ...(*Interruptions*)... Unnecessarily they would get provoked. Please continue. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह: इसमें यह लिखा हुआ है। सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्र गान का विरोध किया, आपने वंदे मातरम् कभी लगाया नहीं, आपका कोई व्यक्ति देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल नहीं गया, आपने देश के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि याद किया जाए - हमारे यहाँ पर अवधी भाषा में एक कहावत है - 'नाखून कटाय के शहीद ना बना भईया।' तू तो नाखूनों नहीं कटाय भैया, बिना नाखून कटाय शहीद बनना चाहता है, ऐसे काम नहीं चलेगा।

महोदय, दूसरे सदन में जिन्ना का भी जिक्र हुआ, प्रधान मंत्री ने उसका जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को यह पता है? उन्हें नहीं पता है, इसलिए मैं बताता हूँ। महोदय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। Shyama Prasad followed this and told Governor Herbert, "The

[‡] Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India Movement will fail.” उन्होंने यह चिट्ठी लिखी है। भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आज़ादी का आंदोलन था, वह आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यह आपकी रिकॉर्डिड हिस्ट्री है। यह आपके बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। मैं इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा।

जिन्ना और आपके कितने मधुर रिश्ते थे? मान्यवर, इन्होंने एक राज्य में सरकार नहीं बनाई, बल्कि नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट — महोदय, फजलुल हक वह शख्स था, जो पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे - यह देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण-पत्र बाँटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम् लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को चार साल के अग्निवीर पर लेकर आ गए। जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम् का नारा लगाते हैं, हमारे वे जवान, हमारे सैनिक, जो माइनस 50 डिग्री टेम्पेचर में सियाचिन में और प्लस 50 डिग्री टेम्पेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं, आपने उन अग्निवीरों की नौकरी चार साल की कर दी है। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं! * आप यह कर रहे हैं। क्या आप ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे मातृभूमि की वंदना करेंगे?

4.00 P.M.

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने फिल्मों में सीन देखे हैं, जिनमें डाकू आते हैं। वे जय भवानी, जय भवानी कहकर गाँव का गाँव लूटकर चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम् और भारत माता की जय का नारा लगाकर * वंदे मातरम् कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे, जय हिन्द भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी गाएँगे, वंदे मातरम् भी गाएँगे - *आपको यह नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं। *

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दूसरी बात पूछना चाहता हूँ। इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं - इन सब में अनपढ़ हैं, सब में ऐसे लोगों की भारी संख्या है, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो वंदे मातरम् नहीं पढ़ सकते। तो आप उन्हें कह रहे हैं कि वे देशभक्त नहीं हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ * वे अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं। वे अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं और देश की सेवा भी करते हैं। वे आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। आप

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

उनकी देशभक्ति को इससे चेक करने का काम मत कीजिए, उनकी परीक्षा लेने का काम मत कीजिए।

मान्यवर, एक और बयान आया। अंत में, मैं उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूँगा। *...(व्यवधान)... वंदे मातरम् देश भक्ति का नारा है।...(व्यवधान)... भारत माता की जय देश भक्ति का नारा है।...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर: अभी दिल्ली में भी वोट काटेंगे।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: हाँ, आप दिल्ली में वोट काटेंगे ही। आप ठीक ही कह रहे हैं। आपने पहले से ही नीयत बता दी है। आपने दिल्ली की यह हालत तो कर ही दी है।...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर: आप ऑब्जेक्शन करिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: इसमें क्या लिखा है – सुजलाम, सुफलाम......(व्यवधान)... शुद्ध जल, शुद्ध फल और मधुर वाणी, मधुर वाणी... मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधान मंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(Interruptions)... आपके 40 सेकंड्स ही रह गए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ।

श्री संजय सिंह: सर, मैं वंदे मातरम् की ही बात कर रहा हूँ। हमारे पास और टाइम है।

सर, मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी......(व्यवधान)... सर, जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(Interruptions)...

श्री संजय सिंह: सर, पार्टी टाइम में से टाइम काट लीजिएगा।...(व्यवधान)... पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा।...(व्यवधान)... सर, हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है।...(व्यवधान)... आपने दिल्ली को......(व्यवधान)... अभी दस महीने......(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One minute, Sanjayji. ...(Interruptions)... माननीय सदस्य, संजय जी, आप कन्क्लूड करिए।...(व्यवधान)... आपका समय खत्म हो रहा है।...(व्यवधान)...

* Not recorded.

श्री संजय सिंह: मेरी पार्टी का टाइम 24 मिनट है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, Neeraj Shekharji, he is concluding. ...(*Interruptions*)... Please conclude. You have ten seconds. आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री संजय सिंह: सर, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आपके कोई और स्पीकर नहीं हैं?

श्री संजय सिंह: हमारी पार्टी से एक और स्पीकर हैं। आप उनके समय में से समय काट लीजिए, यह मैं कह रहा हूँ। यह हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। मान्यवर, आपने 10 महीने में दिल्ली की ऐसी हालत कर दी कि यहां पर जहरीली हवा आने लगी है। ...(**व्यवधान**)... आपने दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह: सर, इन्होंने एक मुख्य मंत्री बनाया है। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): प्लीज़, कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: वे टेम्परेचर बता रही हैं। यह हालत है! ...(**व्यवधान**)... मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ:

“पहले यह तय करो कि वफादार कौन है,
यह वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है।”

वंदे मातरम्! वंदे मातरम्! वंदे मातरम्! ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Can we have order in the House? Sanjay ji, please sit down. ...(*Interruptions*)... May I request all the Members to sit down? ...(*Interruptions*)... We will move on. Now, we will go to the next speaker. The next speaker is Shri Yerram Venkata Subba Reddy.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the historic discussion to commemorate the 150th Anniversary of 'Vande Mataram'. Sir, 'Vande Mataram' is not just words or a poem by Bankim Chandra Chatterjee *ji*, it is a *mantra* that ignited the hearts of millions during the freedom struggle. When the British bullets, lathis and hangings struck our freedom fighters, it was 'Vande Mataram' on their lips that gave them courage. It is more than inspiration. It awakens patriotic fervour, unites the masses and salutes Mother India. This sacred chant is a silent communicator of devotion, pride and sacrifice. Its melody has resonated for over 150 years. Echoing through spaces of patriotism and hope, even today it continues to inspire and stir hearts with passion and courage. Truly, 'Vande Mataram' is eternal, a flame of India's spirit that will never fade. Millions fought for our country from the British rule in their own ways. Bhagat Singh *ji*, Chandra Shekhar Azad *ji*, Alluri Sita Rama Raju, chose armed struggles; Subhash Chandra Bose led with courage, Mahatma Gandhi championed non-violence and Sardar Vallabhbhai Patel inspired fearless movements like Bardoli and Quit India with his great leadership skills. As I said, everybody fought for Independence in their own way and people from combined Andhra Pradesh State were also not behind. We have great freedom fighters like Alluri Sita Rama Raju, Pingali Venkayya, Tanguturi Prakasam Pantulu, Potti Sreeramulu, Durgabai Deshmukh, Uyyalawada Narsimha Reddy, Sarojini Naidu and list goes on. I pay my tributes to all those great sons and daughters of Telugu on this historic occasion. Despite different paths, they shared one burning goal to liberate India. The very spirit of 'Vande Mataram', united the people, turning love for the motherland into unstoppable action. The cry of 'Vande Mataram' once united freedom fighters, inspiring courage, sacrifice and devotion to the motherland. Today, that same spirit calls on us to protect those who sustain our nation, that is, our farmers. In Andhra Pradesh, cyclone Montha destroyed 1.61 lakh acres of crops, yet the State Government's slow and inadequate response [£]the very essence of 'Vande Mataram'.

With 30 per cent of cotton lost and banana prices crashing to Rs.0.50 per kg, the farmers were forced into distress sales and stripped of dignity and hope. Repeated disasters over eighteen months, missing compensation, weak procurement and neglected storage facilities have left them to bear the burden alone. Many are now ploughing back their crops, a painful symbol of abandonment. If *Vande Mataram* embodies love and duty to the Motherland, then failing these farmers is failing Bharat

[£] *Exupnged as ordered by the chair.*

itself. I urge the august House to rise and uphold the spirit of *Vande Mataram* by safeguarding the honour, livelihood and hope of those who feed our nation.

Throughout India's struggle for freedom, there are some great personalities who chose a different path of moral, cultural and intellectual awakening by writings and songs in promoting the spirit of *Vande Mataram* during the struggle for Independence. Rabindranath Tagore with his National Anthem, Bankim Chandra Chatterjee with his National Song and Pingali Venkaiah with his National Flag have all earned their place in the heart and soul of every Indian.

India is no longer a 'developing back-water'. It has emerged as a major global economic power, with size, growth and a youthful demographic dividend that rivals many traditional economies. India has risen to become the fourth largest economy in the world by nominal GDP in 2025, trailing only the United States, China and Germany, is on track to move boldly towards becoming the third largest global economy.

With these words, I am confident, my party is confident, the people of Andhra Pradesh are confident and the country is confident that *Vande Mataram* will continue to inspire us. Just as the call of *Vande Mataram* inspired generations to rise for the Motherland, today India rises under the leadership of Modiji to honour and serve the nation - not with arms, but with innovation, reforms and self-reliance. As we step into the Amrit Kaal, we are witnessing the birth of a Viksit Bharat - a strong, proud and globally-respected nation. The spirit of *Vande Mataram* lives on in every citizen contributing to India's growth, and together, we march confidently. With these submissions, I conclude my speech. *Vande Mataram!*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Muzibulla Khan.

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका मिला। हमारी देशभक्ति का जो गाना है, जो स्लोगन है, उसके बारे में मैं दो शब्द कह सकूँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शुरू करने के पहले एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ:

*"भाग-भाग में बांट सके, ऐसा कोई औजार नहीं,
हमको इस मिट्टी से दूर कर सके, किसी की ऐसी औकात नहीं।"*

यह देश हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने लोग हैं, सबका है। इस देश के जो स्वाधीनता सेनानी थे, सब धर्म, सब वर्ग के लोग थे। सब लोग इस वंदे मातरम के स्लोगन को, इस गाने को गाकर, जो बंगाल से शुरू हुआ था, सारे देश में यह स्लोगन पहुंचा और हमारे देश के स्वाधीनता

सेनानी लोगों ने आगे बढ़ कर अपनी जान की कुर्बानी दी। उपसभाध्यक्ष महोदय, ओडिशा से भी ऐसे स्वाधीनता सेनानी बहुत थे। उनमें से कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। बख्शी जगबंधु ने एक विद्रोह किया, जिसको पाइका विद्रोह कहा जाता है। यह कहा जाता है कि सिपाही विद्रोह के पहले ही बख्शी जगबंधु ने ओडिशा में पाइका विद्रोह किया था। उत्कलमणि गोपबंधु दास, गंगाधर मेहेर, ये सब स्वाधीनता सेनानी थे। बहुत से स्वाधीनता सेनानी थे, जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इन सबने हमारे देश को स्वाधीन करने में ओडिशा का भी नाम रोशन किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देशभक्ति के गाने को किसी धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है, यह देशभक्ति का गाना है। सोच लीजिए कि अगर कोई आतंकवादी कहीं गोली चलाएगा और कहेगा वंदे मातरम्, तो क्या हम आतंकवादी को accept कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा देश एक है। हमारे देश के सभी लोग, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक हैं।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसको पहले 'काला पानी' कहा जाता था, जिसे आजकल 'सेल्यूलर जेल' बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बचपन में सुना था कि जो आदमी एक बार 'काला पानी' जाता था, वह वापस नहीं आता था। उस 'काला पानी' में शेर अली नामक एक कैदी थे, जो स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए, 8 फरवरी, 1872 को ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड मेयो की गला काट कर उसका कत्ल कर दिया और हमारे देश का बदला लिया। ये वही शेर अली थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक है, हम सब एक हैं। वंदे मातरम् के साथ-साथ है - मेरा देश महान और फिर है - सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद!

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, सदन में जिस किसी ने इस पर चर्चा की शुरुआत की, उनके इस आईडिया को भी सलाम, प्रणाम। मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का जो पहला खंड है, उसका शीर्षक है — "क्या भूलूं, क्या याद करूं।" तो मेरे लिए यह अवसर इस खूबसूरत गीत की 150वीं वर्षगांठ या सालगिरह, आकलन करने का एक अवसर भी है।

माननीय वाइस चेयरमैन साहब, यह बिला वजह नहीं है कि वर्षगांठ में एक शब्द है - 'गांठ' और सालगिरह में एक शब्द है — 'गिरह'। तो इस 'गिरह' और 'गांठ' को समझे बगैर इस 150वीं साल का उत्सव मनाना, मैं समझता हूँ कि आधा-अधूरा होगा। यह हम सबके बिहाफ पर बेईमानी होगी। मैं क्रमशः कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से किसी को कष्ट नहीं हो। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे पास कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि कष्ट पहुंचाने में ही इस देश की ऊर्जा जा रही है। जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए, वे नमक की बोरी लेकर जख्मों पर छिड़कते हैं। इस परिपाटी को बंद करने की चेष्टा होनी चाहिए।

सर, मुझे स्मरण है कि कई साथियों से जब बात होती है, जिनमें सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, वे भी ऐसा ही विचार रखते हैं। यह गर्व की बात है, क्योंकि यह गीत हमारी सांस्कृतिक और

भावनात्मक एकता की पहचान का प्रतीक है। यह बंगाल में लिखी गयी, लेकिन सरहद पार कर गयी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इसके बोल बहुत अच्छे थे। इस गीत के स्फिरिट को देखिए। इस गीत का स्फिरिट बंगाल से पंजाब पहुंचता है, जहां इसको जानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन वे इसके शब्दार्थ को, इसके भावार्थ को समझ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विविधताओं के बावजूद, बहुलवादी संस्कृति इस देश का हिस्सा रही है। हम ऐसे ही पले बढ़े हैं। कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव ऐसा नहीं है, जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक न देखे हों। आजादी की लड़ाई में इन सबका योगदान है - हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं भी नास्तिक रहा और जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा - "मैं नास्तिक क्यों हूँ", तो मुझे गर्व होता था कि यह भगत सिंह वाली परंपरा है।

सर, इससे पहले कि एक चीज कहूँ, मैं एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूँ। मैंने इस सदन में जितनी बार बोला है, जवाहरलाल नेहरू जी यहां चर्चा में जरूर आते हैं। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूँ, गांधीवादी मानता हूँ, अंबेडकरवादी मानता हूँ और कोई परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आज कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो जब ये पृथ्वी पर आएंगे, तो आज की हकीकत के संदर्भ में, ये एक साथ मिल कर एक मोर्चा बना लेंगे।

सर, मैं यह क्यों कह रहा हूँ? आजकल चिट्ठियाँ पढ़ी जा रही हैं, लेकिन चिट्ठियाँ पढ़ने में लोग थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं, सेमीकॉलन के बाद का हिस्सा पढ़ते हैं, पूरा पत्र नहीं पढ़ते हैं। एक छोटी चिट्ठी है, जिसमें अमृता शेरगिल जी जवाहरलाल नेहरू जी को लिख रही हैं। यह 6 नवम्बर, 1937 की चिट्ठी है। सर, गौर कीजिएगा, यह बहुत प्यारी, खूबसूरत चिट्ठी है। उनकी किताब 'आत्मकथा' मिली थी। यह चिट्ठी कहती है, "My dear Jawahar, as a rule, I dislike biographies and autobiographies. They ring false pomposity and exhibitionism. But I think I will like yours. You are able to discard your halo. You are capable of saying, 'when I saw the sea for the first time', when others would say, 'when the sea saw me for the first time'."

सर, आजकल ऐसे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, जो यह कहते हैं कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा, यह नहीं कि मैंने समंदर को पहली बार देखा। यह एक एक महत्वपूर्ण चीज है। सर, ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी? उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देशहित में टुकड़ों में बँट जाएगा पार्टिशन से ज्यादा। अभी मैंने चंद्र महीनों पहले देखा। इस देश में 'I Love Mahakal' और 'I Love Mohammad' में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. यह रवायत क्यों खत्म हो रही है?

सर, येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीत जाएँ, मैं बधाई देता हूँ, चुनाव जितना एक कला है, हो सकता है कि इस कला में आप निष्णात हों,...(व्यवधान)... - सर, मैंने कहा था कि मैं चोट नहीं पहुँचाऊँगा, - लेकिन चुनाव जीत जाएँ और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बँट जाएँ, गलियों-गलियों में नफरत की फसल हो।...(व्यवधान)... यह कौन-सा 'वंदे मातरम्' है? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने की कई पद्धतियाँ हैं, कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं

पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन तक छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज, जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर, मैं जानता हूँ कि जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइफ छोड़ कर जाएँगे, मैं भी पब्लिक लाइफ छोड़ कर जाऊँगा, लेकिन मूल्यांकन करूँगा कि मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुँचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दीं, कितने गांव में तक्सीम जैसे हालात कर दिए। मैं 'वंदे मातरम्' के माध्यम से कश्मीर पर बोलूँगा, तो शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी, तो क्या मैं नहीं बोलूँ? क्या मैं इस भय से, डर से चुप हो जाऊँ। सर, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी पार्टी से दूसरे स्पीकर भी हैं, वे बोलेंगे। मुझे सिर्फ एक मिनट का वक्त दीजिए। मेरी बातें अधूरी रह गई हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है। सालगिरह जरूर मनाएँ, गिरह का ध्यान रखें, वर्षगांठ जरूर मनाएँ, गांठों का ध्यान रखें और अगर वह न कर पाएँ, तो इतना जरूर करें कि इन महापुरुषों को, इनकी रचना को अपनी राजनीति का अवसर न बनाएँ, औजार न बनाएँ। मैं एक आखिरी टिप्पणी करूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ।

सर, इस सदन में पक्ष, विपक्ष, दोनों तरफ महापुरुषों को याद करने वाले लोग हैं। सर, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। न जाने उस कुर्सी में क्या है, जो बैठते हैं...(व्यवधान)...सर, मुझे बस 30 सेकंड दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़, प्लीज़।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि प्रधान मंत्री जी को, बीजेपी के लोगों को एक्चुअली नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए। वे पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेहरू जी पॉलिटिकल लाइफ जैकेट हैं, इसलिए कल सदन में एक नेता ने जो कहा, उसको आज मैं यहाँ दोहराता हूँ। एक दिन तय कीजिए और तय कीजिए कि मुकदमा हो। आप भी जिरह कीजिए, हम भी जिरह करें। मैं इतिहास का छात्र हूँ और दिल्ली एमए (हिस्ट्री) करने आया था, धारा थोड़ी बदल गई, लेकिन मैं आज भी इतिहास को संदर्भ में देखता हूँ। 1937, 1905, 1915 की बातें पढ़ूँगा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ूँगा, सेमी कॉलन के बाद नहीं पढ़ूँगा। मेरा इतिहास बोध 2014 से पहले का है, 2014 के बाद का नहीं है। जय हिन्द! वन्दे मातरम्!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Dr. M. Thambidurai. He will be speaking in Tamil in between.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I rise today with heartfelt pride to speak on this historic occasion — 150 years of our national song, Vande Mataram. At the very outset, on behalf of our AIADMK Party General Secretary, Thiru Edappadi K. Palaniswami, I express our full and wholehearted support for this national celebration that honours the soul of our motherland.

Sir, you know very well when Bankim Chandra Chattopadhyay composed Vande Mataram in 1875, it was not merely a poem; it was a spark that lit nationwide fire of patriotism. When Gurudev Rabindranath Tagore sang it in 1896, a wave of unity swept the nation. Its melody stirred the same emotion that we, the people of Tamil Nadu, feel when we stand for Tamil *Thaai Vaazhthu*. We feel the same pride when we sing Tamil *Thaai Vaazhthu* which is like Vande Mataram. We are proud of our language, culture and prestige. The song inspired the giants of our freedom movement — Tilak, Lajpat Rai, Bhagat Singh and Netaji Subhas Chandra Bose. They maintained a special bond with Tamil Nadu through leaders like Pasumpon Muthuramalinga Thevar. In 1950, Dr. Rajendra Prasad accorded Vande Mataram the honour of being India's national song. But much before that, Tamil Nadu had already embraced patriotism as its way of life. The spirit of Vande Mataram resides in the courage of V.O. Chidambaram Pillai, as Shri Tiruchi Siva said, in the verses of Mahakavi Bharathiyar, in the valour of Maruthu Pandiyar brothers and in the sacrifices of Dheeran Chinnamalai, Veerapandiya Kattabomman and Velu Nachiyar. These were our leaders who inspired nationalism among our freedom fighters.

Yesterday, our hon. Prime Minister not only sang Vande Mataram but also frequently quoted Mahakavi Subramaniya Bharathiyar who penned similar songs in praise of Mother India and told how we are united by culture, tradition, spirituality, food habits, family practices and many more things from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Assam and other boundaries. Sir, I want to quote Bharathi; he sang this in Tamil.

&“ Mahakavi Bharthiar said:

*“Let us chant Vande Mataram
Let us Salute our Motherland
We will not bother about caste and religion
If one's born in this country, all are equal
Whether he belongs to Brahmin community
Or any other community, all are equal.
Unity is strength; It is unity that gives us life
Together we fall if we don't have unity
This should be understood clearly
And that understanding is wisdom
Whatelse we need if we have wisdom.
Sir, I would like to repeat once again,*

& English translation of the original Tamil portion.

*“Let us chant Vande Mataram
 Let us Salute our Motherland
 We will not bother about caste and religion
 If one’s born in this country, all are equal
 Whether he belongs to Brahmin community
 Or any other community, all are equal.
 Unity is strength; It is unity that gives us life
 Together we fall if we don’t have unity
 This should be understood clearly
 And that understanding is wisdom
 What else we need if we have wisdom.”*

Sir, in Vande Mataram, it is not only said about worshipping the motherland. He also mentioned about social justice, which is inscribed in that. We have to have social justice. There should be no difference between upper caste and lower caste. He said that that must be the spirit of our freedom movement. That is the spirit of our Dravidian Party also. Dravidian Party was part of Justice Party at that time; it was called Justice Party. That Party brought a magazine with the name ‘Justice’. It was to get social justice. We respect our country. At the same time, after freedom, there must not be any discrimination on the basis of caste. Caste must be abolished. That is the motive of our Dravidian movement. Periyar also fought for that. He was a Congressman; he also fought for freedom. At the same time, he said that we are for social justice which is very important. He also wanted freedom. That was the slogan. For every Dravidian Party, that aspect still continues. That is why, there is no differentiation; we are always for freedom. Unity in diversity, accepting every one as brothers and sisters, progress through oneness and nation first attitude are the biggest wisdom we all should aspire, said the great Tamil poet. He said that. That is the spirit. Vande Mataram is the spirit to respect mother India. At the same time, freedom and social justice are important; Bharathiyar said that; he quoted that. Often our hon. Prime Minister quotes Bharathiyar. That is why, I quoted the poem.

Sir, special programmes are planned in West Bengal — the birthplace of the song — such as events at Vande Mataram Bhavan and memorial sites and other things, which will reinforce the significance. Media and outreach plan — podcasts, social media engagement, youth reel competitions, branding at airports and railway stations — will ensure that this 150-year celebration becomes a national movement, especially among the younger generation. I appreciate the BJP Government, especially hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, who took special interest to see

that the 150-year celebrations are celebrated to give impetus to youth to think about national spirit. It has to come. Then only there will be development and unity. India must come up at the global world. That is the aspiration of Shri Narendra Modi. That is why this subject was taken up in both the Houses and everybody is participating. At the same time, I felt that some kind of emotion took over and both sides got into unavoidable things. What happened from both sides should be avoided. This is a time when we unitedly and respectably participate in this debate. There should not be any difference of opinion.

Sir, this is not about politics; this is about pride and patriotism. It is about teaching our children the meaning of sacrifice. It is about reminding every Indian that unity and devotion to the motherland are the foundations of our freedom. On behalf of our AIADMK Party, once again, I am happy to participate in this memorial and historical event on the 150-year of Vande Mataram. Therefore, once again, I thank our hon. Prime Minister and other parties, including opposition parties, who accepted, when we discussed it in the Business Advisory Committee, to take up this subject first. Other subjects can be taken up later. In that respect, I also honour and thank the Vice-President and Chairman of the House, who conducted it very peacefully, adjusting all the parties. That shows the good spirit of our historical fight for freedom. Indian democracy is one of the biggest democracies in the world.

And we are following that. Finally, I let the powerful words “*Vande Mataram*” echo once again across our nation carrying the same spirit that guided our freedom fighters and I also say, patriotism. Patriotism will come when social justice is there. That is why our Madam Jayalalithaa*ji* during her period made reservation which our MGR did it to 69 per cent reservation for OBC and SCs. She also brought it to the Parliament, to the Eighth Schedule, to make the rule and approve it by the Parliament to save social justice. Social justice is one of the pillars for democracy, the unity of the country and development of the country. Therefore, our Dravidian party, especially A.I.A.D.M.K., always stands for that. I also thank the Government for bringing this kind of historical event to see that we express our views on patriotism. Thank you very much, Sir, for the opportunity and *Vande Mataram!*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Dr. Meenakshi Jain; it is her maiden speech today, so, congratulations on that.

DR. MEENAKSHI JAIN (Nominated): Sir, since it is my maiden speech, I crave the indulgence of the House for any errors and omissions that I may make. We celebrate 150 years of *Vande Mataram*, Ode to the Motherland. At this important juncture, it is

important to ask why *Vande Mataram* captured the imagination of this country when it was first composed one-and-a-half centuries ago. Bankim voiced the legacy of countless Indians who had fervently venerated the Motherland through the millennia. It is from the earliest times that reverence for the land has been expressed in countless verses in our most ancient texts. India is perhaps a unique case in the world where we can trace the expression of veneration of the Motherland from sacred texts going back to thousands of years. The *Nadi Sukta* of the *Rig Veda*, that is so many centuries before Common Era, is the earliest expression of veneration for the land. It says that we venerate the rivers to which we owe so much. The *Nadi Sukta* refers to the rivers in the Punjab region and North India. Soon after that, in the *Prithvi Sukta*, we have what is called the first national song in the world. The *Prithvi Sukta* is part of the *Atharva Veda*. And what does it say? This is described as the first national song in the world. It is a perfect fusion of patriotism, that is, love for the land, cultural awareness and a historical tradition rooted in unity in diversity. The *Prithvi Sukta* refers to the Himalayas and the Sindhu, the seven seasons, the flora and fauna, the agriculture and crafts of its land. It praises the natural beauty, resources and wealth and it evokes a deep sense of gratitude and bonding, which like a mother sustains and feeds her offspring. Enunciating the philosophy of Indian nationalism, the *Prithvi Sukta* took notice of the diversity of the inhabitants of this land, their varying dialect and behavioral norms, all of whom the mother nurtured without distinction. Its opening verses recount the values that sustained this land - Truth, Cosmic Law, Initiation, Penance, *Vedas* and the Sacrifice. After that we have the Epics and *Puranic* literature. They contain so many *Bharata Prasastis* (hymns of Glory), in gratefulness to the motherland. The *Virata-Deha* of India, in all its “majesty and magnificence”, was mediated upon in the preliminary purificatory mantra, “O ye Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri, come ye and enter into this water of my offering.” The *Vishnu Puran* has been described *Bharatavarsa* as the chosen land. It is only after many births and the aggregation of much merit, that living beings are sometimes born in *Bharata* as men. The subsequent literature attested that for its inhabitants, India remained the land of par excellence. The *Bhagavata Purana*, which was composed in the Tamil region, articulated this sentiment.

“Lo! How glorious deeds were those which won the favour of God Hari himself. By his favour they obtained birth among the people of Bharata.” I can go on, but in modern times the ancient spirit of nationalism was proudly articulated in Bengal. Eminent Indians of the 19th century like, Rajnarayan Basu, Nabagopal Mitra, Surendranath Banerjee all stressed the antiquity of nationalism in India. In the early

20th Century, Swami Vivekananda, Aurobindo Ghosh, among a host of others, reiterated the ancient spiritual and cultural moorings of the India's upsurge. Bipin Chandra Pal argued that nationalism in India stood for 'the utmost possible development and perfection of the ideas, of the genius and character of the people, our culture and civilization. It stood for God, humanity and the motherland.' They argued that it is indeed possible to guard against denationalization. Among the pioneers who argued this was Rajnarayan Basu. He has been proclaimed as the first prophet of Indian nationalism. He said, "No reform is accepted by a nation unless it comes in its national shape." In 1861, he prepared a prospectus for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. It was a most remarkable proposal by a nationalist Indian of that time.

A blueprint for the regeneration of the youth, it included physical training to restore the manliness of Bengali youth who had long lost their military prowess. It envisaged the setting up of a school of Hindu music with composition of songs for moral, patriotic and martial enthusiasm, the founding of a school of medicine to revive our own medical sciences and encouragement of Indian antiquities to illuminate the glory of ancient India. In his final testament, *The Hopes of an old Hindu*, Rajnarayan Basu expressed the wish that the countrymen would all work together to help build a glorious future for their common motherland. The *National Paper*, commissioned by Debendranath Tagore in 1865, was in the forefront of promoting nationalist ideology. Dwijendranath Tagore, elder brother of Rabindranath Nath, wrote a series of articles in the newspapers in the early years. He held that modernizers had to first identify with their culture and then work from within to revitalize it. Rejecting the Western model of nation building, he argued, 'Each nation holds a distinct nationality and for so holding it, it is more entitled to the appellation of a civilized nation. Our countrymen rush madly to the degeneration of their own culture, acting under the impulse of imitating Western civilization instead of making national institutions as the basis of all progress.'

Bankim Chandra Chatterjee occupies a pivotal position in the history of Indian literature and nationalist thought. He demonstrated an affinity with the ancient culture of this land. In his work *Sitaram*, he says, "Who polished the stones with such delicacy?" Then I recollect the *Upanishads*, *Gita*, *Ramayana*, *Mahabharata*, *Shakuntala*, *Panini*. What to say of these figures? I thought, blessed I am to be born a Hindu. Patriotism for the land was the running theme of Bankim's work. Embodied in the Mother Goddess, it was for him the highest religion. In his work *Anandamath*, Bhavananda explained to Mahendra, "We think the land of birth to be no other than our mother herself. We have no mother, no father, no brother, no wife, no child, no

hearth or home; we have only got the mother.” Shri Aurobindo wrote a book on Bankim Chandra Chatterjee. It was called *‘Rishi Bankim Chandra’*. He described Bankim, Bankim’s religion of patriotism.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member...

AN HON. MEMBER: It is her maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I understand.

DR. MEENAKSHI JAIN: He said, “Bankim gave us the vision of our mother. It was not until the motherland reveals herself to the eye of the mind as something more than a stretch of earth or a mass of individuals, it is not until she takes shape as a great Divine and Maternal Power in a form of beauty that can dominate the mind and seize the heart that these petty fears and hopes vanish into an all absorbing passion for our mother and her service, and the patriotism that works miracles and saves doomed nation is born.” Shri Aurobindo translated Bankim’s *Vande Mataram* into English. Can I read one para?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Madam, you can read one para and then conclude, please.

DR. MEENAKSHI JAIN: Just two sentences. The first sentence begins, “I bow to thee, Mother, richly watered, richly fruited, cool with the winds of the south, The mother!” I will skip that. At some point in our journey of civilizational reclamation, there was a disruption and as Bankim’s song got truncated, India was also cut into pieces. Now India makes a bold move to reclaim her ancient heritage under Prime Minister, Narendra Modi. It is fitting that we claim the entire vedic mantra as unabashedly as we shed our colonial and historical baggage; the entire song and the entire heritage. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Congratulations on your maiden speech. Now, hon. Member, Shri K.R. Suresh Reddy.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, at the outset, I appreciate the initiative taken by the Leader of the House, very highly supported by the Leader of the Opposition and all the floor leaders, who are bringing in this discussion. I take this

opportunity to thank the hon. Chairman for allowing a discussion on this. It is an honour for me to rise today to commemorate the celebration of our nationhood and the nationalistic spirit that unites the diverse cultures, languages and religions that form the soul of our country. *Vande Mataram* is a song that has been instrumental in shaping the revolutionary spirit of our freedom struggle. Bankim Chandra Chattopadhyay in the verses of *Vande Mataram* envisioned the spirit of a sovereign and independent motherland that was both, fierce and nurturing. This song, however, became a revolutionary hymn during the protest resisting the partition of Bengal in 1905. The British banned the song but this further ignited the spirit of emancipation.

This visionary hymn that lives on even today, in our hearts and minds, serves as a reminder of the sacrifices and patriotic spirit that built our Republic and granted us the freedom that we now enjoy. Sir, the British Government recognized the power of *Vande Mataram* to unite, ignite and bring together people across provinces to bring to life the vision of a unified free motherland. Afraid of the powers of this song, in 1938, its prohibition sparked the *Vande Mataram* movement in Hyderabad-Karnataka region. Osmania University and also students from across the State -- I happen to be alma mater of Osmania University. -- all united to sing *Vande Mataram* as a form of protest against the British for banning the song and the commitment to a free India that it represented. The officials refused to let the students leave the hostel buildings where they were protesting or attending their classes, only releasing them upon signing a declaration marking their presence. Among these students, Sir, there was this young man, Shri P.V. Narasimha Rao, who later on became the Prime Minister of our country. And, there were other similar leaders, young leaders, filled with enthusiasm, fighting for the freedom. And to quote a few from the university, at that point of time, included Mr. Hayagrivachary, Arutla Ramchandra Reddy, Devulapalli Venkateswara Rao and, of course, many others who participated and were expelled at that point of time. These protests sparked by the spirit of *Vande Mataram*, were an assertion of youth committed to a free India and were an assertion of our cultural and democratic identity.

Sir, while I salute all the leaders who contributed to our struggle, but being a Council of States, I would like to point out more of the Telugu leaders who contributed to the struggle of India's independence. And, in this regard, another great contribution to our freedom struggle arose in the form of the Indian National Flag, a visionary symbol of a sovereign Indian motherland, free from the control of the empire. What has now evolved into the tricolor, we all salute to was first designed by Pingali Venkayya Garu who was just 19 while serving British Indian Army realized that

Indian soldiers saluted a flag that did not represent them. This movement planted the seed of revolution. Pingali Venkayyaji realized the need for a symbol of independence they were fighting to achieve. He resolved to design a flag that would unite the people of a land divided into over 500 plus princely States, vast linguistic regions, caste hierarchies and religious differences. His Tricolour, which was adopted by the Constituent Assembly, became the symbol of India that refused to be broken with one flag, one union and one shared destiny. I would also like to use this opportunity to celebrate the contribution of Telugu people to the fight for India's independence from the hands that designed our National Flag to the hearts that marched and fought beneath it. Telugu contributions shaped the soul of India's freedom struggle. When we see contributions, the name of Alluri Sita Rama Raju, the 'Manyam Veerudu', as we used to call him, hero of the forest, led the Ramppa Rebellion of the 1920s, when the tribal communities were stripped of their forests, their land, and their dignity through the Madras Forest Act. The British wanted timber for their ships and railways, while our tribal families wanted only to farm and breathe freely on the land that belonged to them. The Forest Act, however, banned them from living in the forests, using the natural resources that they worshipped and practicing the shifting cultivation that sustained their lives. Alluri Sitarama Raju led them in an extraordinary guerrilla struggle. His rebellion shook the foundations of Colonial Rule and reminded India that freedom must belong to the poorest, not just the powerful. Komaram Bheem, the Gond revolutionary of Telangana, coined the call of *Jal, Jangal, Zameen*, a slogan that resonates even today, forming the spirit of Adivasi movements for justice across the country. Standing against oppressive forces, he became the voice of the tribal communities, long denied recognition and respect, and mobilized them to fight for their rights to swarajya over forests. His struggle continues to inspire every tribal movement in our country.

We must also honour the contribution of the forgotten women leaders. I would like to stand to commemorate the contribution of the fearless leaders like Mallu Swarajyam, the highly revered, a grassroot leader, Chakali Ailamma, who fought against caste discrimination, and, of course, the Nightingale of India, Sarojini Naidu, who became the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and the Governor. These stories remind us of the spirit that brought to life the vision of an independent India. India did not emerge as a monolith. It emerged from the countless struggles --, tribals, peasants, students that brought the song to life. *Vande Mataram* itself symbolizes this federal spirit. Although born in Bengal, it was adopted by freedom fighters across the country, sung in the forests of Rampa, shouted in the streets of Hyderabad, whispered in the prisons of Chennai,

Aurangabad, and banned by the British because it united what they sought to divide. This, probably, is a classic example of the best viral song which went when, as the Home Minister rightly said, communication was a big challenge, when there was no IT and WhatsApp those days, Sir. We should also realize, as one freedom struggle leader, Captain Bhau, from Maharashtra, Satara, said, “We fought for two things, freedom and Independence. We attained Independence.” But freedom is a fight and a responsibility that we continue to fight for every single day. As we honour *Vande Mataram*, let us honour its promise: that freedom is not complete until every Indian is free from poverty, caste oppression, gender discrimination and feudal violence. As representatives of a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic, we must ensure that the ideals expressed in Vande Mataram, the protection of our land, the upliftment of our people and the celebration of our federal unity guide our decisions in this House.

May we honour that legacy not only in words, but also in governance that strengthens federalism, protects diversity and ensures that the mother we hail as *Mataram* is a mother to all our children, equally, justly and with dignity. We attained independence in 1947.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Just one minute more, Sir. Seven-and-a-half decades have passed, and in each decade in a free India, we witnessed major movements. The struggle for freedom still continues. To quote a few, each decade had one, 1947 to 1957, we had the federal struggle, where people fought for creation of States. From 1957 to 1967, we had the formation of various States, again, through struggle. From 1967 to 1977, we had the All India strike where people were fighting, the labourers were fighting and the workers were fighting for their rights. From 1977 to 1987, there were the Gorkhaland Movement, the Khalistan Movement and the Great Bombay Textile strike.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You will have to conclude.

SHRI K.R. SURESH REDDY: From 1987 to 1997, there was Babri Masjid demolition and Kashmir militancy. Then, from 1997 to 2007, we had the creation of Chhattisgarh and Uttarakhand. And, then, came the Right to Information Movement.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K.R. SURESH REDDY: I am concluding, Sir. From 2007 to 2017, there was Telangana Statehood Movement. *Jaya, Jaya Hey Telangana* was what we got inspired from *Vande Mataram*. The struggle of Telangana which has really a very good example of how *Vande Mataram* inspired our struggle, how *Vande Matram* inspired our leaders and how *Jai Jai Hey Telangana* has become a State song. With this, Sir, I thank you for giving me the time to speak. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. V. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Chair, *Vande Mataram* reminds us the history of the great national movement. The stanza of the poem is not only to salute the soil of the nation but also to salute the fighting spirit of the masses. *Vande Mataram* is our national song, *Vande Mataram* is a salute to mother. Who is the mother? There is a story written by a famous Malayalam writer, Vaikom Muhammad Basheer. It is a story of an artist and his wife. The artist who is a painter is painting a picture of *Bharat Mata*, the model of *Bharat Mata* is his wife.

5.00 P.M.

He finishes his painting and shows it proudly to his wife, but she says that he should change the picture and depict the poor woman as the '*Bharat Mata*,' the poor woman who come begging at the home. They, '*Bharat Mata*,' are the millions of mothers who struggled to feed proper food to their children in Gujarat and Madhya Pradesh; the mothers who walk kilometres to bring drinking water to their homes in Maharashtra and Rajasthan; the '*Mother India*' who walked barefoot to participate in the struggle from Amritsar to Delhi, from Nashik to Mumbai, as part of the great *Kisan* struggle; the mother who forced to give birth on the street in UP; the mother who is forced to sleep on the pavement with her children on a winter night because their house was demolished by the bulldozer in this '*Bulldozer Raj*.' Sir, they are the mothers. The mothers in India are in the factories; is in the coal mines; is in the wheat and paddy fields. This is the '*Mother India*.' Jawaharlal Nehru told us about '*Mother India*.' We, the people of India, are the '*Mother India*.'

Sir, the great freedom fighters had a dream. It is reflected in the stanza of the poem:

सुजलाम्, सुफलाम् मलयज-शीतलाम्!
शस्यश्यामलाम् मातरम् !वन्दे मातरम्!

But where is *Sujal*, clean water? Here, in the name of cleaning Ganga project, crores of rupees were plundered. The great river Yamuna is crying, not because of the venom of *Kaliya*, but because of the 'venom.' Yes, a venom is there. It exposes the inefficiency of the Government, extreme inefficiency of the Government.

Where is *Sufal*? Farmers are cultivating *Sufal*, but they are not getting proper remuneration. The apple farmers in Himachal and Kashmir and Anna farmers in Maharashtra are struggling, but, in the market, the prices are very high. There is a very little chance to get *Sufal* in the market. Only fruits, extremely polluted by harmful chemicals are getting into the market, are available in the market. Where is the greenery? Where are the cool winds?

मलयज-शीतलाम्! शस्यश्यामलाम् !

In Andaman-Nicobar, they are on the way to cut 10 million trees in an ecologically-fragile area. Sir, the people of Delhi are inhaling the most polluted air in the world. Where are the cool winds, Sir? Delhi has become a gas chamber. Sir, in *Vande Mataram*, we hear, 'सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्', but the disciples of Nathuram are making hate speeches like their British colonial masters. Gauri Lankesh, Dabholkar and Govind Pansare were killed by the disciples of Nathuram. Sir, people have been killed in the name of their writings, in the name of their food, in the name of their religion. People were killed by the disciples of Nathuram. Sir, people have been sent to jail because of their writings. Persons like Anand Teltumbde, Prabir Purkayastha, Stan Swamy, Teesta Setalvad and Munawar Faruqui were in jail. How many are in jail, Sir? The people were sent to jail by them.

Sir, we have great respect for *Vande Mataram*. *Vande Mataram* is our National Song. It is the song of ours, not the song of the disciples of Nathuram. Sir, we have great respect for the song, सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। But, Sir, the disciples of Nathuram are trying to pit *Vande Mataram* against 'सारे जहां से अच्छा।' They are trying to pit Urdu against Hindi; they are trying to pit Sanskrit against Tamil; they are trying to create issues between the society, between the people.

Sir, the great Freedom fighter, Shaheed Bhagat Singh, on the way to the gallows of Lahore, sung the song in Urdu 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है'। Sir, our legacy is the legacy of the great Freedom fighter, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Our legacy is the legacy of Harkishan Singh Surjeet, who hoisted the Tricolour in March, 1938 at the District Court in Hoshiarpur at the age of 16. Our

legacy is the legacy of 'Kakababu' Muzaffar Ahmad, who was in jail for long years and continued his uncompromised struggle. Our legacy is the legacy of the great Freedom fighter, A.K. Gopalan, who was in jail when India got Freedom. When India got Freedom, comrade A.K. Gopalan was in the jail. *Our legacy is not the legacy of those who told the Hindus that fighting against the British is a waste of time. Who said that? Everybody knows the answer to that question. Now, they are trying to pit Hindus against the Muslims. *This is the month of December. On 6th December, 23 years ago, the disciples of Nathuram demolished the great symbol of the secular legacy of our nation. The Congress was in power at that time. The Congress did not learn anything from history. That is why one of the Congress Party MPs has been continuously praising them and joined the dinner party of the Prime Minister. The Muslim League continued to support the Congress. Some of them thought that power will cover the shame. That is why they are joining hands with Maududi's organization. Maududi's disciple, Abdul Wahab is here. We should raise the slogan of humanity, irrespective of caste and religion. *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

DR. V. SIVADASAN: Unity is the strength of the nation. The father of our National Anthem, Rabindranath Tagore, has written in the first stanza 'जन-गण-मन अधिनायक जय हे'. There, he has described the beauty of region; he has described the sweet sound of rivers. In the second stanza of the poem he sung 'हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसिक, मुसलमान ख्रिस्तानी। पूरब, पश्चिम आसे। तव सिंहासन पासे। प्रेमहार हय गाथा।'

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you will have to conclude in 30 seconds, please.

DR. V. SIVADASAN: Then he added 'जन गण ऐक्यविधायक जय हे भारत-भाग्य विधाता।' That means, only 'जन गण ऐक्यविधायक' can be 'जन-गण अधिनायक'. Those who are standing against the unity of the people...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on.

DR. V. SIVADASAN: Give me one minute, Sir

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, I cannot give you one minute. Last ten seconds, please.

DR. V. SIVADASAN: Those who are standing against the unity of the people don't have the right to rule the people. That is what Tagore had taught us. That means the existing Government has no moral right to rule the people of the country. Tagore has spoken in the sharpest of sharp words about importance of unity of the people and harmony of the society.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on.

DR. V. SIVADASAN: One minute, Sir...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Sanjay Kumar Jha.

श्री संजय कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित ऐतिहासिक गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बंगला और संस्कृत के सुंदर समन्वय से बना यह गीत जब 1905 के बंग-बंग विरोधी आंदोलन के दौरान सड़कों पर गूँजा, तो यह केवल एक गीत ही नहीं रहा, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की हुँकार बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य ने इसी के ऊपर एक किताब लिखी है। उनकी किताब है - 'Story of the Song of Vande Mataram.' इसमें उन्होंने बताया है कि जब महात्मा गाँधी साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने भी यह कहा था कि इसने राष्ट्रगान का रूप ले लिया है।

महोदय, यह गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता है, बल्कि यह अपनी सुजलां-सुफलां धरती, यानी अपने जल, अपने फल और अपनी प्राकृतिक संपदा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। इस गीत के मूल में किसी समुदाय का विरोध नहीं है, बल्कि यह अपनी मातृभूमि के प्रति निःस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा है।

महोदय, पहले हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। 1905 में आपका स्टेट ओडिशा और बिहार एक साथ थे और उसके बाद ही हम लोग अलग हुए। इस वंदे मातरम् का जुड़ाव बिहार से भी रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर की उस घटना को हम लोग नहीं भूल सकते, जब 18 साल के युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने वंदे मातरम् बोलकर हँसते-हँसते फाँसी के फंदे को गले लगा लिया था। यह मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। इतिहास गवाह है कि जब खुदीराम बोस शहादत दे रहे थे, तब बिहार का पूरा मुजफ्फरपुर शहर वंदे मातरम् के नारों से गूँज उठा था। यह शब्द उस समय बिहार के युवाओं के लिए मृत्यु-भय को जीतने का मंत्र बन गया था। देश के पहले राष्ट्रपति,

* Not recorded.

राजेन्द्र बाबू बिहार से ही थे। उन्होंने भी 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा में यह घोषणा की थी कि वंदे मातरम् को जन-गण-मन के समान ही दर्जा और सम्मान प्राप्त होगा। बिहार ने इस गीत को केवल गाया ही नहीं, बल्कि इसे जीया है और इसे संवैधानिक सम्मान भी दिलवाया है। 100 वर्षों के बाद, 1975 में जब आपातकाल लगा, तो उसी बिहार में उस आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने वहाँ के गाँधी मैदान से "संपूर्ण क्रांति" का नारा दिया। इस प्रकार, वहाँ से इतनी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत हुई।

महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूँ, उसकी एक बड़ी legacy है। पहले पाटलिपुत्र seat of power होता था। तब पाटलिपुत्र से लेकर कंधार तक राज्य चलता था। चाहे मौर्य वंश हो या गुप्त वंश हो, इन सबका राज्य पाटलिपुत्र से ही चलता था। बिहार की इतनी बड़ी legacy रही है, लेकिन बाद में आक्रमण होते रहे, विभिन्न लोग आते रहे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जो best governed State बिहार था, जिसने freedom struggle में भी काफी बड़ा योगदान दिया, वह पिछड़ता चला गया। पहले हमारे साथ झारखंड भी था, जहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स थीं। तब भारत सरकार की freight equalization policy थी, जो ऐसी पॉलिसी थी कि उसके कारण बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी और बिहार गरीब होता चला गया। स्थिति यह हो गई कि मैं जिस नॉर्थ बिहार के मिथिला एरिया से आता हूँ, वहाँ नेपाल से पूरा बाढ़ का पानी आता है। वहाँ के लिए कभी भी कोई initiative नहीं लिया गया। पूरा नॉर्थ बिहार, बिहार का दो-तिहाई पार्ट है। जब नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी पहली बार सरकार बनी, तो उन्होंने एक लाइन दी। 20 साल के बाद अगर आप आज भी बिहार में किसी से बात करेंगे, तो वह उस लाइन के बारे में बता देगा और वह लाइन थी - न्याय के साथ विकास, यानी development with justice और इसी लाइन पर बिहार में 20 साल से काम हुआ है। लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर बिहार में इतने बड़े मैडेट से सरकार चुनकर आती है, तो यही development with justice का परिणाम है। बिहार ने 20 साल से जो development with justice किया है, उसमें गाँवों में नीचे तक, गरीब तक development का काम पहुँचा। इसी का रिजल्ट है कि बिहार में 20 साल के बाद भी आज हम 200 से ज्यादा सीट्स जीतकर आए हैं।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार "पूर्वोदय" शब्द का यूज किया। सर, पूरब को लोग भूल जाते थे, जिसमें आपका स्टेट भी आता है। पहले डेवलपमेंट एक ही एरिया में होता था। बिहार, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा कभी भी दिल्ली के राडार में नहीं रहा। प्रधान मंत्री जी ने पहली बार "पूर्वोदय" शब्द का यूज किया कि पूरब में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि पिछले दो बजट में बिहार के लिए जो विशेष सहायता दी गई, उससे अब कम से कम फलड को लेकर काम चल रहा है। भारत सरकार नेपाल से बात करके चीजों को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है।

हम यह भी देख रहे हैं कि बिहार को जो मदद मिली है, तो बिहार भी आज डेवलपमेंट के ट्रैक पर है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार ने 20 सालों में जो test डेवलपमेंट का किया, जो काम ग्राउंड पर हुआ। आप बिहार में कोई भी यात्रा कर लीजिए - बहुत से लोग बिहार में SAR पर यात्रा करने गए थे, उस यात्रा के बाद उसका mandate इस चुनाव में दिखाई पड़ गया। हम लोग उस पर भी डिबेट करेंगे, लेकिन SAR तो केवल बिहार में हुआ, देश में कहीं और नहीं हुआ था, वह सही हुआ, गलत हुआ, उसका रिजल्ट सामने आ गया। महोदय, बिहार में जो पूर्वोदय की बात की

गई है, क्योंकि अब समय आ गया है कि बिहार का पूर्वी भाग भी अगले 5-10 साल में वह growth का इंजन बने। मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी का ध्यान उस तरफ ज़रूर गया है और उन्होंने कहा भी है कि बिहार का यह रिज़ल्ट पूर्वी भारत के लिए एक बहुत बड़ा foundation होगा। अभी बिहार में हुआ है, आने वाले समय में बंगाल और ओडिशा है, निश्चित रूप से यह पूरा एरिया डेवलप करेगा और वहाँ जब तक जस्टिस नीचे तक नहीं जाएगा, जब तक डेवलपमेंट का fruit नीचे नहीं जाएगा, तो 2047 में हम जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वह विकसित भारत कहां से हो जाएगा। अगर पूर्वी भारत पीछे रह गया, अगर इतना बड़ा भू-भाग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पीछे रह गई, तो कहां से डेवलपमेंट का fruit या 2047 में विकसित भारत का प्रधान मंत्री जी का सपना है, वह पूरा हो जाएगा। अब समय आ गया है कि हमारा एरिया भी डेवलप हो। मैंने आपको कहा है कि जिस तरह से freight equalization में बिहार के साथ उस समय अन्याय किया गया। आज भी बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि investors का ध्यान बिहार की तरफ गया है, लेकिन जब झारखंड साथ में था, तब वहाँ के मिनिस्टर्स से अन्य जगह उद्योग लग गए, लेकिन वहाँ बिहार में अन्य सरकारें चलती रहीं, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी थी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस देश का जो पूर्वी भाग है, वह भी main growth से जुड़े और निश्चित रूप से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव है। यह उन्होंने कहा भी है और मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वी भारत विकास के growth का इंजन बनेगा, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Ramji Lal Suman.

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का गीत है। उस पर चर्चा कराने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद मुझे समझ में आता है। देश की संविधान सभा ने इस गीत को स्वीकार किया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रेरणा से और 14 अगस्त, 1947 को रात 11 बजे डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें के.एम. मुंशी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से सलाह-मशविरा किया गया, तब जाकर इस राष्ट्रीय गीत को अंतिम रूप दिया गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बहस का मतलब यह है कि इसके शुरू के दो छंद हैं - 'सुजलाम् सुफलाम्'...(व्यवधान)... क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री रामजी लाल सुमन: उपसभाध्यक्ष महोदय, इनके दिमाग में हर समय हिंदू-मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं रहता। हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, उसके चलते संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। सभापति जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में यह गीत गाया जाता था। सुचेता कृपलानी जी ने इस गीत को गाया। 1905 में सरला देवी चौधरी ने कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया। 1905 में लाला लाजपत राय ने वन्दे मातरम् नाम से एक अखबार

शुरू किया था। मैं यहां सभी को बताना चाहता हूं कि वह अखबार उर्दू में था। सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं जानते हैं। लाला लाजपत राय ने वह समाचार पत्र शुरू किया था।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि शुरू के पांच वर्षों में इन्होंने वन्दे मातरम् नहीं गाया था। आज आप वन्दे मातरम् के इतने पक्ष में हैं, तो आरएसएस के गाने से पहले उसी गाने को स्वीकार कर लेते। इनका सही मायनों में राष्ट्रीय आंदोलन से, सामाजिक सद्भाव से कोई लेना-देना नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair. ...(*Interruptions*)... आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रामजी लाल सुमन: सर, आप मुझे संरक्षण दीजिए। ...(*व्यवधान*)... ये जानते हैं कि इनका वन्दे मातरम् और देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ...(*व्यवधान*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आप बोलिए। आप डायवर्ट मत होईए। You just respond to me. please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

श्री रामजी लाल सुमन: इनकी समाज को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Do not address them. Please address the Chair. ...(*Interruptions*)... आप बोल नहीं रहे हैं। आपका समय जा रहा है।

श्री रामजी लाल सुमन: सर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दीं। जो चाहते थे कि हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बरकरार रहे, उन लोगों ने इस राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। अब तो मुझे यह लगता है कि इस देश में यह तय हो जाना चाहिए था कि गांधी के विचार, सुभाष के विचार, नेहरू के विचार, लोहिया के विचार, जयप्रकाश जी के विचार ठीक थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, सावरकर के विचार, एमएस गोलवलकर के विचार और नए अवतार नरेन्द्र मोदी और अमित शाह पैदा हो गए हैं, उनके विचार ठीक हैं। ...(*व्यवधान*)... ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनका सामाजिक सद्भाव से कोई रिश्ता नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

श्री रामजी लाल सुमन: ये जानबूझकर देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये हर चीज की परिभाषा अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं। मुसलमानों के नाम से इन्हें बुखार आ जाता है। आपको जानकारी है कि आज़ादी से पहले इस देश में जो विधान सभाओं के चुनाव हुए

थे, उन तीन प्रांतों- बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत और 1925 में शुरुआती दौर में था ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair.

श्री रामजी लाल सुमन: हिंदू महासभा थी, तो मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बंगाल की जिस सरकार के मुख्य मंत्री ए.के. फजलुल हक थे, उसमें इनके सम्माननीय नेता श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी उप मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यह किस मुंह से कह सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, आप इनको रोकिए, वरना मुश्किल हो जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री रामजी लाल सुमन: उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है कि आपके पुरखे ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): please address the Chair. आपका समय जा रहा है। Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री रामजी लाल सुमन: जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई, तो इन लोगों ने मना किया कि उस फौज में भर्ती न हों। जहां तक इनका सवाल है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं है। जब संविधान बन रहा था, तो इनके लोग फरमा रहे थे कि देश में जब मनु जी का संविधान विद्यमान है, तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। जब डा. अम्बेडकर जिंदा थे, तो इसी रामलीला के मैदान में इन्होंने 1949 में उनका पुतला जलाया। यह हालत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सही मायने में 52-53 सालों तक इन्होंने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया, ये नागपुर में भगवा झंडा लगाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2001 में, नागपुर में तीन नौजवानों ने जब भगवा झंडे की जगह राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था, तब आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। 2001 में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वह 2013 में जाकर खत्म हुआ। इनका झंडे से कोई लगाव नहीं है, इनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई मतलब नहीं है और संविधान को ये मानते नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर ये लोग जाति और मजहब के नाम पर इस देश को तोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं जानते हैं। यही इनका असली चरित्र है।

महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। इन्हें देश के बँटवारे की बड़ी चिंता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिन्ना की तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या देश के बँटवारे के लिए अकेले

जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे? 1937 में, जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तब 1937 में इनका जो भाषण हुआ था, उसमें सावरकर ने यह कहा था कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं – यह सावरकर ने कहा था। जिन्ना ने तो 1940 में मुस्लिम लीग की कांफ्रेंस में लाहौर में कहा था, बँटवारे की बात की थी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा, 'वैचारिक दृष्टि से अलगाव हो सकता है जिन्ना और सावरकर में, लेकिन देश के बँटवारे के सवाल पर दोनों एक हैं।'

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री रामजी लाल सुमन : उपसभाध्यक्ष जी, जब आप रोज मिलते हैं, तब तो ठीक-ठाक बात करते हैं, वहाँ जाते ही गड़बड़ हो जाती है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. समय की पाबंदी है।

श्री रामजी लाल सुमन : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लगाऊंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no; please finish in 30 seconds.

श्री रामजी लाल सुमन : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। पूरे उत्तर प्रदेश में- भाजपा-सरदार पटेल को याद कर रही हैं सरदार पटेल से इनका क्या मतलब था? आरएसएस पर बैन तो सरदार पटेल ने लगाया था। आप बताइए? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कोई आदर्श नहीं है। एक आदर्श थे बेचारे, वे भी छह वार माफी माँगकर आए, अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कोई आदर्श नहीं है। इसलिए ये जान-बूझकर उल्टे-सीधे हाथ-पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा। कोई भी बहस हो, जन-जीवन से जुड़े हुए मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये हर मामले पर देश को बाँटने की कोशिश करते हैं। हम मुहब्बत करने वाले लोग हैं, ये नफरत करने वाले लोग हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे एक लायक दोस्त हैं, के. के. सिंहमयंक जी, उन्होंने चार लाइनें लिखी हैं:

*‘यूँ तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए
शर्त लेकिन है कि वह इंसान होना चाहिए।
और हो जहाँ शिव की अजाने और खुदा की आरती
वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए।’*

उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई कुछ भी कहे, इस देश में मुहब्बत जीतेगी नफरत हारेगी। महोदय, सदन में अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Praful Patel.

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सदन के नेता एवं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छी और सकारात्मक चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज इस चर्चा को जारी किया है। इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम होते हैं, जिनमें से एक यह घटनाक्रम भी जरूर गिना जाएगा कि आज वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम यह चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कहावते हैं, नारे भी लगते हैं कि *जब तक सूरज, चाँद रहेगा, तब तक हमारा भारत रहेगा और जब तक भारत रहेगा, तब तक वंदे मातरम् रहेगा*। यह हम सभी के लिए एक सच्चाई है, यथार्थ है। हम लोगों को अपने आपको इस बात के लिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारा राष्ट्र गान जन-गण-मन है और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् है। यह भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में उसी दर्जे की दो चीजें – एक राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत है, जो अपने आप में भी एक अभिनव बात है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लम्बी चली। 1857 में जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई, उसमें हमें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ से देश को आज़ादी प्राप्त करने की दिशा मिली। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में वंदे मातरम् की रचना की। 1857 में जो हमारी भूमिका थी, देश का जो जज़्बा था, एक प्रकार से उन्होंने उसे जाग्रत करने और एक सुंदर कविता के माध्यम से देश के कोने-कोने तक पहुँचाने का काम किया।

सर, यह बात भी सही है, इसका इतिहास भी गवाह है, इसे लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग तारीखें भी दी हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में हम इस नारे की गूँज सुनते थे। खैर, यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, वे उस समय नहीं थे, लेकिन आजकल कई फिल्में बनी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, उनसे हमें समझ में आता है कि उस जमाने में देश की क्या भावना थी। हमारे इस देश को एक जमाने में 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। आप यह समझिए कि डेढ़ दो हजार सालों तक हमारे देश पर कई लोगों ने आक्रमण किया। हमारे देश को कई लोगों ने लूटने का काम किया, बाद में अंग्रेज़ों ने आकर इसका बंटवारा किया और बँटते-बँटते हमारा देश गुलामी की दलदल में फँसता गया। हमारे देश में कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दीं। उनकी वजह से आज हम इस देश के खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह देश भारत के एक सशक्त संविधान की वजह से टिका है। जब देश को आज़ादी मिली, तब इसे एक संग रखना, to keep the country united, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमारे देश का यह भी सौभाग्य था कि विद्वत लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असंबली में... महोदय, इसे लेकर कई बार ओनरशिप लेने की बातें होती हैं कि "हमने किया, हमने किया", जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी विचारधाराओं के लोग, सभी मज़हबों के लोग, जो देशभक्त थे, उन लोगों ने मिलकर इस देश की नींव रखने का काम किया, इसलिए जब हमारे भारत का संविधान बना, वह बहुत ही सुंदर संविधान बना। आज हम सब लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान के तहत जो काम कर रहे हैं, उसी की वजह से आज यह सदन भी है, दूसरा सदन भी है और देश के हर नागरिक को इस सदन में अपनी आवाज़ प्रकट करने का मौका मिल रहा है। हमारे देश के संविधान की जो ताकत है, उससे हमारे लोकतंत्र की

ताकत भी बनी। आज कोई कुछ भी कहे - सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन लोग अपनी पसंद प्रकट करने का काम करते हैं।

सर, हमारे संविधान का गला घोटने का भी काम हुआ। इस देश में आपातकालीन स्थिति भी आई। हमें ऐसा लगता नहीं था। हम उस समय ज़रा कम उम्र के थे, लेकिन जिस तरह से देश में गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, नसबंदियाँ होती थीं; लोग खेतों में जाते थे, पेड़ों पर जाकर छुप जाते थे और एक खौफ का वातावरण था, हम उसे देखते थे। हमें नहीं लगता था कि लोग इसे लेकर कुछ रिएक्ट कर पाएँगे। लेकिन जब वोट डालने का समय आया, तब इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने भी यह बता दिया कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वह देश की दिशा बदल सकता है, राह बदल सकता है। मैं समझता हूँ कि यही वंदे मातरम् की ताकत है। हमारे देश के हर नागरिक के मन में वंदे मातरम् को लेकर जो एक जज़्बा है, वह बहुत ही सशक्त है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व और फ़ख्र की बात है।

महोदय, अभी मैंने बताया कि हमारे देश की बहुत लड़ाइयाँ हुईं। हम लोगों को कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर देखने का मौका मिला। उससे पहले कारगिल का युद्ध हुआ, भारत - पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, 1965 का युद्ध, 1962 का युद्ध - ऐसे अलग-अलग युद्ध हुए। लेकिन एक बात है कि एक बार आज़ादी प्राप्त करने के बाद, यह मुल्क कभी दोबारा गुलामी की ओर नहीं गया, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों ने वंदे मातरम् के लिए जान कुर्बान की और इस देश को वापिस गुलामी की ओर नहीं जाने दिया।

यह हम सभी के लिए सीखने की बात है। प्रधान मंत्री जी का भाषण हुआ और सुबह गृह मंत्री जी का भी भाषण हुआ, तो 2047 जो विकसित भारत की बात है, कई बार इस बात को, इस जज़्बे को हम लोग राजनीति में बांट लेते हैं। इसमें क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा देश 2047 में विकसित भारत बने?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेल: क्या कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश में जो थोड़ी-बहुत गरीबी बची है, वह दूर हो जाए? क्या कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान एक अच्छी जिंदगी जी सके? हमारा देश एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके, इस इच्छा से कौन भारतीय दूर रह सकता है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you will have to conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। राजनीतिक बातें हो रही हैं। आज़ादी की लड़ाई की बात भी कही गई। हम भी एक समय कांग्रेस पार्टी में थे। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज़ादी की कांग्रेस एक मूवमेंट थी। वह पूरे देश का एक जज़्बा था। वह उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी बनी है। आज़ादी से पहले उसी में सभी विचारधारा, सभी धर्म, मजहब के लोग थे। वंदे मातरम् का मजहब से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे देश के लिए,

देश के हर नागरिक के लिए यह बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि आज हम पूरे देश में खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में वंदे मातरम् की वजह से जी रहे हैं।

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, today, as we commemorate 150 years of the immortal cry "Vande Mataram", we are not merely marking an anniversary, we are honouring the very soul of India, the battle-call that once shook an empire and today must shake us out of complacency. When Bankim Chandra Chatterjee wrote Vande Mataram in 1875, he did not compose a mere poem. He lit a revolution, he carved a cultural declaration, and he gave a colonised nation the courage to stand up. Sri Aurobindo called it a *mantra*, not a song--because it awakened a sleeping civilisation. Vande Mataram terrified the British.

Let us recall that it was not rifles or armies that first frightened the British Raj, it was the thunder of the masses chanting Vande Mataram in the streets of Bengal, in the bylanes of Calcutta, in the courtyards of Pune and in the public squares of Lahore. This slogan was so powerful that the British Government tried to ban its public recitation. Lala Lajpat Rai wrote that it had the power to electrify the atmosphere while Bipin Chandra Pal called it the religion of patriotism. This was not music; this was fire. It inspired Khudiram Bose, Chandrashekhar Azad, Bhagat Singh and the brave heroes of the Swadeshi and Quit India Movements. It was the marching chant of Netaji Subhas Chandra Bose. Gandhiji himself said, "Its magic cannot be described. It has inspired millions." When the nation faced humiliation, Vande Mataram gave us dignity. When Indians were divided, Vande Mataram gave us unity. When fear spread, Vande Mataram gave us courage. And, today, on its 150th anniversary, we must ask ourselves: Are we living up to the ideals for which our ancestors chanted Vande Mataram? Are we defending the nation with the same passion? Are we promoting unity with the same devotion? Are we committed to national upliftment with the same resolve? Because, Vande Mataram is not an artefact of history; it is a mirror before our present. Vande Mataram springs from a civilisation that has always regarded the land as a mother. From the Rig Vedic prayer — " 'माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्याः' -The Earth is my Mother; I am Her child — to Bankim Chandra's majestic verse "*Sujalam, suphalam, malayaja-shitalam...*", the idea of India, as a mother, runs deep in our philosophy and identity. This slogan represents our rivers, our fields, our languages, our temples, our freedoms, our sacrifices. It is a reminder that we belong to this land and this land belongs to us.

Before conclusion, I rise to place on record a very important clarification because, today, a systematic attempt is being made to rewrite history and appropriate national symbols that belong to the entire country. Let us be absolutely

clear. *Vande Mataram* was not created by the BJP, not carried forward by the BJP and not sanctified by the BJP.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI A. D. SINGH: It was given to the nation by Bankim Chandra Chatterjee in 1875 and brought into the bloodstream of our freedom struggle by Congress-led national movements and by revolutionaries across India decades before the BJP or its ideological predecessors ever existed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI A. D. SINGH: Yet today, we see repeated attempts by the Treasury Benches to speak as if *Vande Mataram* is their exclusive ideological property. This is not homage, this is political appropriation. Why this sudden claim? Why this narrative that patriotism begins with one party and ends with one party?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You will have to conclude, hon. Member.

SHRI A. D. SINGH: Why this attempt to monopolize a slogan that belongs to every Indian, irrespective of political belief? The truth is uncomfortable for them.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, you will have to conclude now.

SHRI A. D. SINGH: It was the Congress, the freedom movement and the collective national struggle that turned *Vande Mataram* into the battle cry of India. It was sung in Congress sessions, carried in Congress-led processions, defended by...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on, last sentence please.

SHRI A. D. SINGH: Sir, let me finish. It was defended by the Congress leaders in jail and echoed in freedom marches led by Gandhi, Nehru, Patel, Subhas and countless others.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am sorry; I will have to move on.

SHRI A. D. SINGH: It was adopted in 1905 as the anthem of the Swadeshi movement, which was spearheaded by the national leadership, not by any modern party...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, hon. Member. Now, Shri Chowdry Mohammad Ramzan. It is your maiden speech, congratulations for that.

SHRI CHOWDRY MOHAMMAD RAMZAN (Jammu & Kashmir): Thank you, hon. Vice-Chairman, Sir, for the opportunity. ऑनरेबल वाइस-चेयरमैन सर, वंदे मातरम् की जो अहमियत है और हिन्दुस्तान के लोगों को जगाने में उसका जो रोल रहा है, उस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस वंदे मातरम् ने लोगों में जो national spirit जगाई, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस हाउस में उन लाखों-करोड़ों लोगों की बात करना चाहता हूँ, जिनको आर्इन के तहत बराबर के हुकूक हैं, वे बराबर के शहरी हैं, लेकिन उनके जज़्बात और एहसासात की न कोई कद्र होती है, न उनको सुना जाता है। मैंने कल भी सुना और आज भी सुना, यहाँ पर इस हाउस में किसी ने भी यह बात नहीं की कि हिन्दुस्तान में जो करीब more than two hundred million मुस्लिम लोग रहते हैं, क्या उन्होंने इस मुल्क की आजादी में कोई कम कुर्बानी दी है! मुझे आज भी याद है - अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, डा. जाकिर हुसैन साहब, बदरुद्दीन तैयब जी, poet हसरत मोहानी साहब और बेगम हज़रत महल। जब बेगम हज़रत महल के husband को, ruler को कैद किया गया, तो वे अवध की जंग में खुद उतर गईं और अंग्रेजों के साथ लड़ीं। मैं यहाँ पर यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि मुल्क की आजादी में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है? क्या यह सही नहीं है कि मुसलमानों ने अपने गर्म-गर्म खून से इस धरती को सींचा है? क्या यह सही नहीं है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाज़त की है? क्या यह भी सही नहीं है कि institutions को बनाने में मुसलमानों ने एक रोल अदा किया है? और क्या यह भी सही नहीं है कि यहाँ का जो culture है, सक्राफत है, तमद्दुन है, तहज़ीब है, उसको परवान चढ़ाने में, उसको enrich करने में मुसलमानों का एक रोल रहा है?

इस हाउस में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के लोग कभी भी अंग्रेजों के direct rule में नहीं थे। जब हिन्दुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर के लोग उस वक्त शेर-ए-कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में और National Conference के हल वाले झंडे के तले एक autocratic rule के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त उनका एक गीत था - "लहरा ए कश्मीर के झंडे, हरसों लहरा, हरदम लहरा।" हर जगह लहरा। यह हमने उस वक्त के रूल के खिलाफ गाया। जब महाराजा की हुकूमत गई और उन्होंने जाते-जाते फिर accession किया, उस वक्त भी रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर के लोगों को option दिया गया था कि आप muslim dominated State हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिन्दुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उस कौमी नजरिया को रियासत-ए-जम्मू-

कश्मीर के लोगों ने टुकराया और हमारा इलहाक इंडियन यूनियन के साथ रहा। बड़ी तव्वकात थी। वह इलहाक जो हुआ, वह कई शर्तों पर हुआ था। उसमें यह भी था, उसमें Constitutional guarantees दी गई थीं और बजात खुद आईन ने वे Constitutional guarantees दी थीं। कांस्टीट्यूशन में हमें जो गारंटी दी गई थी, उसको इस हुकूमत ने यकसर खत्म किया। इसने न सिर्फ 35ए को खत्म किया, बल्कि हमारे स्टेट को इतना खत्म किया कि आज उसकी अहमियत एक म्युनिसिपालिटी से ज्यादा नहीं है। वह एक बहुत बड़ी स्टेट थी, एक बहुत बड़ी ताकत थी। हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट, रियासते जम्मू-कश्मीर की स्टेट थी। 2019 तक यह एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। हमारे यहाँ इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून डायरेक्टली नहीं लगता था, जब तक वहां की असेंबली उसको ratify करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज वह सारा कुछ खत्म हो गया है, सारे पावर्स कहीं और चले गए हैं और रियासते जम्मू-कश्मीर के लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है। ...**(व्यवधान)**... हालांकि एक मैसिव मैनडेट से वहां पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन वह इख्तियार के बगैर है।

जनाब, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जहां तक 'वंदे मातरम्' का ताल्लुक है, तो जिस वक्त 'वंदे मातरम्' को नेशनल सॉन्ग करार दिया गया, उसी वक्त 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा' को भी एक नेशनल स्टेटस दिया गया था। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों के बीच आते थे और वे नेशनल सॉन्ग गाते थे - 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।' आज इस नेशनल सॉन्ग की अहमियत यकसर ही खत्म की गई, जो थी - 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।'

सर, मुझे आज भी वे लफज़ याद आते हैं, जब एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी स्पेस में गए थे, जब वे खला में थे और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आप यह बताइए कि आपको भारत ऊपर से कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा - 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।' आज सब लोग एक तराने की बातें करते हैं, लेकिन जिसको पूरा स्टेटस दिया गया था, उसे ये यकसर भूल गए हैं। ऐसा इसलिए कि इसे एक मुसलमान ने लिखा था, एक मुफक्कीर ने लिखा था, एक फलसफी ने लिखा था। इसे अल्लामा-ए-मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, इस वजह से और यह उर्दू में है, तो उर्दू की वजह से और एक मुसलमान के द्वारा लिखे जाने की वजह से उसको खत्म किया गया और उसको हिस्ट्री से ही निकाला गया। ...**(व्यवधान)**... जनाबेआला, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): It is his maiden speech. ...*(Interruptions)*...

श्री चौधरी मोहम्मद रमजान: सर, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**... सर, मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जहां तक 'वंदे मातरम्' का ताल्लुक है, इसे जिसको गाना है, वह गाए, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। ...**(व्यवधान)**... हमें कोई एतराज नहीं है, वह शौक से इसे गाए। जिसको गाना है, वह गाए,

इसके ऊपर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इस्लाम रिलीजन है, it does not permit idol worship. ...**(व्यवधान)**... हमारे रिलीजन में इसकी परमिट नहीं है और कोई भी मुसलमान अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। ...**(व्यवधान)**... जहां तक इसके दो स्टेंजा का ताल्लुक है, जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में, रवींद्रनाथ टैगोर के वक्त में, जिसको नेशनल सॉन्ग करार दिया गया था, उन दो स्टेंजा में कोई आपत्ति नहीं है और हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक उनके झुकने का ताल्लुक है, इस पर हर मुसलमान को ऐतराज है। इसीलिए उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, जब वे प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके बारे में यहां पर कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा, इसी वजह से बाकी हिस्से को अलग किया गया। हम हरेक मजहब की इज्जत करते हैं। हम हिन्दू मजहब की इज्जत करते हैं। ...**(व्यवधान)**... आप नहीं सुनना चाहते हैं कि हम हिन्दू मजहब की इज्जत करते हैं? हम क्रिश्चियंस की इज्जत करते हैं, हम सरदार भाइयों की इज्जत करते हैं, हम गीता की इज्जत करते हैं, हम बाइबल की इज्जत करते हैं और यहूदियों का जो हिब्रू बाइबल है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मजहब की भी इज्जत की जाए और हमारे जो मजहबी scriptures हैं, उनकी भी इज्जत उसी तरह होनी चाहिए, तब यह भारत सेक्युलर रहेगा।

यह याद रखना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में more than 200 million लोग मुसलमान हैं। ये जो 200 million लोग मुसलमान हैं, इसकी आबादी देश में जो बहुत सारे मुमालिक हैं, उनसे बड़ी है। लिहाजा मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जज़्बात की भी कद्र की जानी चाहिए। बाकी हम खड़े भी हो जाएँगे, जिस वक्त आप गाएँगे, लेकिन हम यह बोल नहीं सकते हैं।...**(व्यवधान)**...
एक माननीय सदस्य: क्यों?

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: मैं यह बताऊँगा कि ऐसा क्यों है।...**(व्यवधान)**... हमारा ईमान जो है, वह सिर्फ एक अल्लाह है।...**(व्यवधान)**... इस्लाम में एक ही चीज है, जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वह है, 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदूर रसूल अल्लाह'। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है, लेकिन एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वह अपने Prophet के सामने झुके। वे Prophet के सामने नहीं झुक सकते हैं। हमारा prostrate होना सिर्फ एक अल्लाह के पास है। हम और किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं।...**(व्यवधान)**... किसी deity के सामने, किसी भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता है, लेकिन हम इज्जत करते हैं। हम दिल से आपकी इज्जत करते हैं। कौमी तराणे की भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम गा नहीं सकते हैं।...**(व्यवधान)**... जनाबेआला, मैं यह गुजारिश करना चाहूँगा।...**(व्यवधान)**... मैं फिर उसी बात पर आऊँगा।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have to conclude. I know it is his maiden speech, but there is a time allocation. So you will have to conclude.

SHRI CHOWDRY MOHAMMAD RAMZAN: Yes, I am just concluding. जनाबेआला, लास्ट में मेरी एक गुजारिश होगी, वह यह है कि जम्मू-कश्मीर के जो लोग हैं, वे इस हुकूमत से

बहुत नाराज हैं।...**(व्यवधान)**... वे बहुत नाराज हैं।...**(व्यवधान)**... क्योंकि एक तो हमारा स्पेशल स्टेटस गया, वह तो अलग बात है, लेकिन हमारे स्टेट को भी उन्होंने खत्म किया है।...**(व्यवधान)**... एक आदमी बावजूद इसके कि लोगों ने mandate एक सरकार को दिया, 60 MLAs out of 90 is not a joke, रियासत जम्मू-कश्मीर की हिस्ट्री में इतनी ताकत किसी भी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन अख्तियारात के बगैर।...**(व्यवधान)**... हम चाहेंगे कि गवर्नर रूल जल्द-से-जल्द खत्म हो जाए और रियासत के लोगों को वे अख्तियार दिये जाएँ, जिनके लिए उन्होंने इस हुकूमत को मंडेट दिया है। रियासत जम्मू-कश्मीर के लोगों ने 2019 के 5 अगस्त के फैसले को इस इलेक्शन में रद्द किया है, उसको टुकराया है और नेशनल कांफ्रेंस की पार्टी का जो स्लोगन था, जो मेनिफेस्टो था, उसको वोट दिया है।...**(व्यवधान)** ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...**(Interruptions)**... You will have to conclude. ...**(Interruptions)**... Shri Milind Murli Deora.

श्री मिलिंद मुरली देवरा (महाराष्ट्र): सर, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी और महाराष्ट्र के लोगों की ओर से 'वंदे मातरम्' की 150th एनिवर्सरी पर अपने दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) पीठासीन हुए।**]

इसके साथ-साथ, इस डिबेट की शुरुआत में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा, मैं उस बात पर बिल्कुल सहमत हूँ कि that *Vande Mataram* is not just our National Song, it is truly a symbol of India's cultural and religious diversity. हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने भाषण में जो कहा, उस बात पर भी मैं सहमत हूँ कि *Vande Mataram* was written by a Bengali, Bankim Chandra Chattopadhyay. It was later set to music by Gurudev Rabindranath Tagore. But the impact of this song has travelled far beyond West Bengal; not just to the North-East of India, not just to the South of India, not just to the West of India, but as the Home Minister rightly pointed out, way beyond our borders also. सर, बहुत से माननीय सांसदों ने अपने-अपने राज्यों के केंद्रीयब्यूशन के बारे में सदन को एक प्रकार से जागरूक करने की कोशिश की। महाराष्ट्र का जो केंद्रीयब्यूशन था, मैं उसका कुछ उदाहरण सदन के सामने मैं रखना चाहता हूँ।

महोदय, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि महाराष्ट्र ने वंदे मातरम् को लिटरेचर से लेकर आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर, 1908 में जब लोकमान्य तिलक को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार किया, तब जनता ने बहुत ही spontaneously उस समय के बॉम्बे कोर्ट के बाहर इकट्ठे होकर इसके विरोध में वंदे मातरम् गाया। उसके बाद, 1946 में जब रॉयल इंडियन नेवी के जो रेटिंग्स हैं, जो सेलर्स हैं, जिनको कैडेट्स कहते हैं, जब उन्होंने विद्रोह, यानी रिबेल किया, तब तक वंदे मातरम् महाराष्ट्र की पॉलिटिकल vocabulary का एक बहुत ही integral हिस्सा बन चुका था।

सर, आदरणीय गजेन्द्र जी, जो कि देश के कल्चर मंत्री भी हैं, उनको मैं अभी बता रहा था कि मैं एक पोलिटिशियन होने के साथ-साथ एक म्यूजिशियन भी हूँ। And, it is important to talk about the music behind Vande Mataram. I don't think anyone in this House has spoken about it. गुरुदेव टैगोर ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस poem को जिस म्यूजिक में सेट किया, वह मैं बताता हूँ। वंदे मातरम् राग देश पर आधारित है। राग देश का बैकग्राउंड क्या है? राग देश बहुत ही अपलिफ्टिंग मॉनसून राग है। जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक लवर्स हैं, उनको खमाज स्केल के बारे में जानकारी होगी। It sets in Khamaj scale. इस राग का जो पैट्रियोटिक कैरेक्टर है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे पैट्रियोटिक साँग्स हैं, जो राग देश में सेट हुए हैं। जैसे- "बजे सरगम हर तरफ से....," जिसे बहुत सारे कलाकारों को अपने-अपने रेंडीशंस में गाने का अवसर मिला। इसके साथ-साथ, "सरफरोशी की तमन्ना" भी है। इस तरह, ए.आर. रहमान से लेकर सोनू निगम तक ने इन गानों को राग देश में गाया है। So, the soul of Vande Mataram is the same as the soul of many patriotic songs which have, for a long time, defined how classical traditions and classical arts have defined through music, the cultural, political identity of India.

सर, यह बात कई लोगों ने कही कि वंदे मातरम् के अब केवल दो ही स्टैनज़ाज़ हैं। लोग जानते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। And, this is unfortunate because with all Vande Mataram's literary depth, the entire Vande Mataram is only heard during commemorative, sometimes, Government's events. एक पीढ़ी के लिए वंदे मातरम् पहली बार 1952 में गाया गया। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। हमारे देश की रत्न, लता मंगेशकर जी का जो वर्जन है, इसे तब उनकी वॉइस के माध्यम से सुना गया था। काफी लोगों के लिए उसके बाद, 1997 में वंदे मातरम् का पहला परिचय ए.आर. रहमान के वर्जन से होता है, जो कि एक तमिल म्यूजिशियन हैं और जिन्होंने क्लासिकल रूट्स को कंटेंपरेरी साउंड के साथ मिक्स किया।

सर, मेरे भाषण के पहले नेशनल कांफ्रेंस के सांसद ने एक प्रकार से वंदे मातरम् को मज़हब के आधार पर एक रिलिजियस फ्लेवर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। As I said, to introduce new generations to the power, the political, the cultural, the national identity behind Vande Mataram, different people have played a role, from Lata Mangeshkar to A.R. Rahman. But, today, I would like to tell the hon. Member of the National Conference that A.R. Rahman's version was a rendition by a proud Indian who also happens to be a Muslim. And, A.R. Rahman, actually, as an Indian Muslim, not just proves people like him wrong but also proves those who tried to truncate the song almost 88 years ago.

Sir, with these words, I am very happy that 150 years after Vande Mataram was written, after it was composed, it continues to reverberate across our country, across the world. It was, it is and it will always transcend religion, caste and language to unite our country. Thank you very much.

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Thank you, Milindji. Hon. Members, as decided in the Business Advisory Committee meeting held on 3rd December, 2025, and also announced in the House on 4th of December, 2025, the House may sit up to 7.00 p.m. today to enable wider participation of Members. The next speaker is Dr. Radha Mohan Das Agrawal. You have 30 minutes.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी मोहम्मद रमजान का आभारी हूँ और इन्होंने इस बहस का औचित्य सिद्ध कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी लगातार पूछती रही है कि आखिर वंदे मातरम् की ज़रूरत क्या है? मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बड़ी साफगोई से जो कहना था, आपने कहा और आपका कहना यह भी बताता है कि इस देश में वंदे मातरम् पर बहस की ज़रूरत क्या है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, जो यहां से अधिकांशतः चले गए हैं, जो यहां बैठकर वंदे मातरम् का गान गा रहे थे। मोहम्मद रमजान का भाषण उनके गाल पर एक तमाचा है। यह बता रहा है कि ये कांग्रेस के लोग, आप पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, डीएमके के लोग और ये पूरा इंडी टगबंधन आज की इस बहस के साथ एक बड़ा [£] कर रहा था। मैं इन सांसद जी की हिम्मत के लिए उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने खुलकर कहा कि हम वंदे मातरम् नहीं गाएंगे और यही इस चर्चा का मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SANDOSH KUMAR P.: Sir, I have a point of order.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, जितना ये डिस्टर्ब करें, सब मेरे समय में से बचाया जाए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : आप बोलिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उन्होंने रामायण का जिक्र किया, भगवान श्रीराम का उल्लेख किया और कहा :-

“अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।”

[£] Expunged as ordered by the Chair.

हे लक्ष्मण! यह जननी और यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बेहतर है। जब भगवान श्रीराम की चर्चा हो रही थी, तब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहुअलैहिवसल्लम साहब को याद कर रहा था हज़रत मोहम्मद साहब ने क्या कहा? मैं इसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर कहें कि मैं हज़रत मोहम्मद साहब को गलत वोट कर रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी, वे मदीना चले गए। उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था। मक्का के लोग उनको आने नहीं देते थे। फिर 630 ईस्वी में वे लौटकर मक्का आए और उन्होंने कहा, “तुम कितनी प्यारी ज़मीन हो” – एक-एक शब्द पर गौर करिएगा - तुम कितनी प्यारी ज़मीन हो यानी की धरती माता और मुझे कितनी प्यारी हो यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूँ। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। यह धरती के लिए प्यार है, जो राम जी में भी था और सललल्लाहुअलैही वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। ...**(व्यवधान)**... मैं आगे बताता हूँ। मैं आपको आगे समझाता हूँ, उपसभाध्यक्ष महोदय, एक देश है उज्बेकिस्तान, वह पहले रूस का हिस्सा था।

रूस का हिस्सा रहते हुए ताशकंद में मदरलैंड ऑफ रशिया की एक मूर्ति लगी हुई थी। वह रूस से आज़ाद हो गया। 2010 में उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और ये कहते हैं कि हम बुद्धपरस्ती नहीं चाहते हैं। वे बड़ा भाषण दे रहे थे। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दी। वे भी मुसलमान ही थे। ये अकेले धरती के मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने ओथ ऑफ मदरलैंड की स्थापना की। यह क्या था? एक सैनिक घुटनों के बल झुककर अपने देश के झंडे को चूम रहा था और उनके पीछे उज्बेकिस्तान के प्रतीक के रूप में एक मां उसे आशीर्वाद दे रही थी। वह मूर्ति आज भी उज्बेकिस्तान में है। वे भी मुसलमान हैं। उन्होंने एक मूर्ति हटाई और अपने देश में अपने देश की मां की दूसरी मूर्ति लगाई, उस देश का झंडा चूमा, घुटनों के बल झुक कर प्रणाम किया। उनका इस्लाम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं सीखा। आपको मालूम है कि तीन देश ऐसे हैं, जहां मदरलैंड पार्टी है। ईरान में मदरलैंड पार्टी है, तुर्की में मदरलैंड पार्टी है और अज़रबैजान में मदरलैंड पार्टी है। मातृभूमि के नाम पर जो लोग राजनैतिक दल चलाते हैं, उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। 1983 में मदरलैंड पार्टी सरकार में आती है और उनका प्रधान मंत्री बनता है, उस पार्टी का नाम मदरलैंड है। वे मुसलमान नहीं है क्या? एक तीसरा देश अल्बानिया है। रमजान साहब, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप दिल से अच्छे मुसलमान हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। जिस सच को आप जानते हैं, आप उस सच पर खड़े हैं। ...**(व्यवधान)**... मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप नाम लेने लायक बनिए। आप तो बच्चों पर जाते हैं, तो अतीक अहमद की प्रशंसा भी करते हैं और मुख्तार अंसारी की भी प्रशंसा करते हैं। वे असली हैं। ...**(व्यवधान)**... आपका नाम क्यों लिया जाएगा ? वे असली हैं। ...**(व्यवधान)**... जी, मैं तय करूंगा, यह देश तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, मैं एक तीसरे देश अल्बानिया का नाम बताता हूँ। अल्बानिया ने 1972 में अपने देश में एक मूर्ति की स्थापना की और उस मूर्ति का नाम मदर अल्बानिया था। अल्बानिया की मूर्ति अल्बानिया के मुसलमान लोगों ने 1972 में मदर अल्बानिया के नाम पर स्थापित कर दी। यह क्या था? क्या अल्बानिया के लोग इस्लाम नहीं, अज़रबैजान के नहीं, ईरान के नहीं, उज्बेकिस्तान के नहीं, इंडोनेशिया के नहीं। इंडोनेशिया में 'इबू पार्तिवी' एक शब्द है। इबू पार्तिवी का अर्थ धरती माता है। आपने अच्छा किया, जो जिक्र कर दिया। इंडोनेशिया - वे सब मुसलमान नहीं हैं, वे सब काफिर हैं। अगर इस धरती पर कहीं मुसलमान पैदा हुआ है, तो सिर्फ भारतवर्ष में पैदा हुआ है। क्या मिस्र अपने देश के अंदर गाजा और फिलिस्तीन के सैनिकों को आने से रोकता नहीं! क्यों रोकता है, अगर मिस्र को अपने देश से प्यार नहीं। क्या सऊदी अरब, तुर्की से लड़ता नहीं। क्यों लड़ता है, अगर उसे अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं। क्या ईरान और ईराक आपस में लड़ते नहीं। क्यों लड़ते हैं, अगर उन्हें अपने देश से प्यार नहीं।

क्या पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से लड़कर अपने देश को आज़ाद नहीं कराया? अगर उन्हें अपने देश से प्यार नहीं था, तो उन्होंने आज़ाद क्यों कराया? मातृभूमि — ठीक कहा हमारे सदस्यों ने। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस बहस की जरूरत है कि हमारे मुस्लिम मित्र, जो अच्छे हैं, उन्हें गलतफहमी है और उस गलतफहमी को दूर किया जाए। कहते हैं कि जो सोए हों, उन्हें जगाया जा सकता है, like रमजान साहब, लोकिन जो सोने का नाटक कर रहे हों, like anybody else, उन्हें कैसे जगाया जाए? मैं उसमें मुसलमानों को बाद में रखूंगा, लेकिन मुसलमानों की ओट की तिजारत करने वाले, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले ये कांग्रेसी और सारे दल के लोग बहुत आगे आएंगे, मुसलमान बहुत पीछे आएंगे। मैं बताता हूँ - क्यों? क्या आपने किसी मुसलमान से सुना है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा यह? * महोदय, समस्या यहाँ है।

उपसभाध्यक्ष जी, इसी संसद के, दूसरे सदन के फ्लोर पर एक नेता ने कहा कि जो हिंदू होते हैं, वे 24 घंटे हिंसा-हिंसा-हिंसा, नफरत-नफरत-नफरत, † बोलते हैं। महोदय, यह जो भारत देश है, यह मज़हबी आधार पर बँटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बँटवारा किया, वह पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास रखती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इनके नेता का एक और बयान याद है, जो उन्होंने अपने कार्यालय के उद्घाटन के समय पर कहा था। उन्होंने कहा था, 'हम सिर्फ भाजपा से नहीं, भारतीय स्टेट्स से लड़ रहे हैं।' इनकी पार्टी भाजपा से कम और भारत के राज्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिक लड़ती है। ये इसको चुनौती के साथ कह रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ये टुकड़े-टुकड़े गैंगवाले लोग भारत के गाल पर तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, बल्कि Union of States है। आपको उन नेता जी का बयान याद होगा। मैं उस नेता जी का नाम लेकर अपनी ज़बान को गंदा नहीं करूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, शर्म आती है, इस देश में विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद

* Not recorded.

† Expunged as ordered by the Chair.

को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत है कि ये इस देश के अंदर दूसरी बाबर मस्जिद बनाने का दावा करते हैं। इसीलिए इस बहस की बहुत बड़ी जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अब कुछ तथ्यों पर आऊंगा। जो तथ्य इन्होंने नहीं बताए हैं, उनके बारे में इस सदन को जानना चाहिए। 1923 में काकीनाडा में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की थी, वह व्यक्ति 1908 में मुस्लिम लीग का संस्थापक था। जब 1919 में तुर्की में खिलाफत खत्म की गई — उसको अंग्रेजों ने खत्म नहीं किया था, बल्कि तुर्की के एक आधुनिक मुसलमान, जो पढ़े-लिखे, शिक्षित थे, उन्होंने खत्म किया था। जिस मुसलमान ने खिलाफत खत्म की थी, उस मुसलमान का नाम कमाल अतातुर्क पाशा था। वह व्यक्ति, जो 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया - कांग्रेसवालों को इतिहास बहुत याद रहता है और सबसे पहले तो पीछे बैठे ही हैं, जिनको इनके अध्यक्ष जी ने इस सदन के अंदर ऑफिशियली राष्ट्रीय चाणक्य की संज्ञा दे दी है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो जवाब दे दूँगा। उस व्यक्ति ने अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान को आमंत्रित किया और कहा कि, “भारत पर आक्रमण कर दो। हम भारत के मुसलमान, सैनिक हों या असैनिक, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ेंगे।” महोदय, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने 1923 में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया।

आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ? उपसभाध्यक्ष महोदय, विष्णु दिगम्बर पलुस्कर - ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम् का गाना गाते हैं। मैं बताता हूँ कि 1923 में क्या हुआ। विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने सबसे पहले वंदे मातरम् गाना शुरू किया। उपसभाध्यक्ष महोदय, उनका नाम मोहम्मद अली जौहर था, जिन्होंने भाषण देकर कहा था कि एक अच्छा और आदर्श से आदर्श महात्मा गाँधी, एक नीच से नीच और चरित्रहीन मुसलमान से भी चरित्रहीन है - मेरा इस्लाम यह मानता है। अगर न कहा हो, तो जवाब देना। इन लोगों ने उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया और उस व्यक्ति ने विष्णु दिगम्बर पलुस्कर को गीत गाने से रोक दिया। यह देश उस विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का आभारी है, जिसने खुलेआम चुनौती दी और कहा कि हे अध्यक्ष, यह मस्जिद नहीं है, यह मुस्लिम लीग की बैठक नहीं हो रही है, यह काँग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है और मैं पूरा वंदे मातरम् गाऊँगा। विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने पूरा वंदे मातरम् गाया। मोहम्मद अली जौहर विरोध करते हुए सदन से उठकर चले गए। काँग्रेस पार्टी ने क्या किया? ...**(व्यवधान)**... आप एक मिनट रुकिए। जिस जगह पर सभा हो रही थी, काँग्रेस पार्टी ने उस जगह पर आने वाली मुख्य सड़क का नाम रख दिया - मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग। यह है काँग्रेस की असलियत। जो उस समय काँग्रेस का अध्यक्ष होकर विरोध कर रहा था, ये उसकी स्मृति में मार्ग बना रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं टीडीपी के माननीय सदस्य साना सतीश बाबू जी का आभारी हूँ। सचमुच भारतीय जनता पार्टी आपका दिल से आभार प्रकट करती है। सात नवंबर 2025 को पार्टी ने मुझे काकीनाडा भेजा। मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मुझसे कहा गया कि आप वहीं जाइए, वहीं सबसे पहले सम्मेलन हुआ था। वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है। माननीय सदस्य, मैं आपका आभारी हूँ। काकीनाडा नगर निगम समिति ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि यह मौलाना मोहम्मद अली मार्ग भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है। हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने उसे तोड़कर फेंक दिया। मैं माननीय सदस्य को पुनः आभार देकर गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उसकी जगह पर वंदे मातरम् मार्ग का उद्घाटन किया है।

सर, 1923 में एक काम और हुआ था। जब से पिछले एक साल से इन लोगों का दिमाग थोड़ा ढीला हुआ है, तब से ये सुबह-शाम सावरकर, सावरकर कहते हैं। हर बात पर सावरकर को घुसड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1923 में काँग्रेस कमिटी ने सावरकर के समर्थन में क्या प्रस्ताव पारित किया था। मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं - नौकरशाही ने श्री सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा दी है। आप एक-एक शब्द सुनिएगा। समझे भाषणवीर लोग? इस बेचारे को अत्यंत प्रतिशोधात्मक तरीके से जेल में रखा जा रहा है, जबकि यह रिहा होने का अधिकारी है। हम इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कितनी नीच और प्रतिशोधात्मक भावना से सरकार सावरकर के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए हम एक कैदी के संदर्भ में सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से काँग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ और एक महिला सरस्वती बाई जी ने उठकर सावरकर की प्रशंसा में गीत गाए। इसमें थोड़ा विषयांतर है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप लोग अक्सर इस बात को कहते हैं, इसलिए इसकी चर्चा जरूरी थी।

अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष, खरगे जी एक भाषण देकर गए। उन्होंने 24 जनवरी, 1950 में संविधान सभा के राजेन्द्र प्रसाद जी द्वारा दिए हुए भाषण का उल्लेख किया। यहां अभी कोई सदस्य कह रहे थे, वे किस पार्टी के थे, मुझे नहीं मालूम, उस समय आप मंच पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि यहां पर इतिहास के पन्नों को टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़-तोड़कर अपने स्वार्थ के हिसाब से पढ़ा जाता है। ...**(व्यवधान)**... हां, मनोज झा जी। कहां चले गए महाज्ञानी? ...**(व्यवधान)**... मैं पूरा पत्र पढ़ देता हूँ। मैं राजेन्द्र प्रसाद जी का पूरे बयान को पढ़ देता हूँ। ...**(व्यवधान)**... माननीय जयराम रमेश जी, राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा, यह एक विषय है, जो चर्चा ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: अग्रवाल जी, मुझे पूरा याद है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: इसीलिए आप शांति से बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**... याद है, तो जब आपके नेता जी असत्य बोल रहे थे, तो आप करेक्ट कर देते। याद होने से क्या करेंगे? यह कौन सा चाणक्य है? ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: आप बोलिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: मैं तो बोल ही रहा हूँ। एक विषय है, जो चर्चा के लिए बचा हुआ है और विषय है - राष्ट्रगान का। ऐसा सोचा गया था कि इस चर्चा के लिए संविधान सभा में विषय लाया जाएगा। मित्रो, ध्यान से समझिएगा कि कितना बड़ा [£] इस देश के साथ हुआ है, इस देश के नागरिकों के साथ हुआ है। इस बात को एक-एक कार्यकर्ता को समझने की जरूरत है। इस विषय को चर्चा के लिए संविधान में लाया जाएगा, ऐसा सोचा गया था और प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा महसूस किया गया कि इस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित न किया जाए और बेहतर होगा कि राष्ट्रगान पर एक बयान जारी कर दिया जाए। 2 साल, 11 महीने, 28 या 29 दिन

[£] Expunged as ordered by the Chair.

संविधान सभा की बैठकें हुईं। देश में कई स्थानों पर छोटी-छोटी बैठकें न जाने कितने विषयों पर चलती रहीं और जब वंदे मातरम् का विषय आया, तो इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में एक सेकंड के लिए भी वंदे मातरम् पर बहस तक नहीं की। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सर, ये गलत बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: पूरा पढ़िए।...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: मैं पढ़ रहा हूँ। आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप सीधे चेयर को संबोधित कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: आप इनको बैठाइए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): वे पढ़ रहे हैं, आप उनको सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: इन्होंने मुझे कांग्रेसी समझ लिया है ...**व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: आप पूरा पढ़िए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: अभी मैं बताता हूँ कि आपके अध्यक्ष जी ने क्या छिपाया है। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: मैं बताता हूँ। आप परेशान क्यों हैं? मैं बचन देता हूँ, मैं बयान देता हूँ, जन, गण, मन की रचना, इसके शब्दों और संगीत के साथ भारत का राष्ट्रगान होगा। यह आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं मानता हूँ। अगली लाइन उन्होंने बड़ी चतुराई से हटा दी और मैं चाहूँगा कि उस पर भी कूदें और बताएं कि इनके नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कहा या नहीं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): ऐसे शब्द नहीं बोलिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: जब जैसी परिस्थितियां होंगी, तत्कालीन सरकार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकेगी। आज तक भारत को आजादी के 75 सालों के बाद इस देश को बताया नहीं गया कि संविधान सभा में उसके चेयरमैन ने यह निर्णय लिया था कि देश की आने वाली कोई भी सरकार जब जैसा महसूस करेगी, जन, गण, मन अधिनायक में परिवर्तन कर सकेगी। यह कहा था न!

श्री जयराम रमेश : जन गण मन के बाद ...(व्यवधान)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : बैठो महाराज, बैठो महाराज, बैठिए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : माननीय जयराम जी, आपका नम्बर है, आप अपने समय पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : बैठिए चाणक्य साहब। मैं अभी और बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश : ये गलत बता रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : अगर गलत है, तो आप बोलिएगा। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : इसके बाद ही आपका नम्बर है। ...(व्यवधान).... आप अपनी बात को रखिएगा। ...(व्यवधान).... आप लोग सीधे चेयर को संबोधित कीजिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : मैं चुनौती देता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, तो मैं सदस्यता छोड़ दूंगा और मैं सही हूँ, तो ये सदस्यता छोड़ देंगे।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप एक दूसरे को संबोधित न करें।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : चलिए मैं चुनौती देता हूँ, ले लो। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: सर, एक मिनट ...(व्यवधान)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, वंदे मातरम् का गाना ...(व्यवधान)....आप बैठिए, मैं यील्ड नहीं करता हूँ, मैं नहीं बोलने दूंगा ...(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप उनकी बात सुनिए। ...(व्यवधान)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: मैं बोलूंगा। I will not yield. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अभी आपका नम्बर आएगा। ...(व्यवधान)...

DR. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL: Let him sit. I will not yield. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अभी आपका नम्बर आएगा, तब आप अपनी बात कहिएगा। ...**(व्यवधान)**... आप एक-दूसरे को संबोधित न करें। ...**(व्यवधान)**... आप अपनी बात कहें।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: "वंदे मातरम का गाना, जिसने आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया, इसे जन गण मन की तरह सम्मान किया जाएगा और इसका स्टेटस" -- यह शब्द ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये फिर से तुरंत से खड़े हो जाएंगे। -- "इसका स्टेटस जन गण मन की तरह होगा।" अब उपसभाध्यक्ष जी, गौर करिए। राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि 'जन गण मन अधिनायक' में परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी सरकार को होगा। और होना भी चाहिए था। "पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग", इसमें राजपूताना कहां है? इसमें मध्य भारत कहां है? वे रमजान साहब कहां चले गए, बेचारे गीत गा रहे थे जन गण मन का, इनके जम्मू-कश्मीर का उल्लेख इसमें कहां है? नॉर्थ- ईस्ट इंडिया की सारी आठ अष्ट मूर्तियां, वे कहां हैं? क्योंकि जिस समय यह गाना गाया गया, उस समय ये प्रांत ब्रिटिश इंडिया के हिस्से नहीं थे, जबकि आज हैं। दूसरी बात, ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज डांगी: इसमें आपके गांव का नाम भी जोड़ दिया जाना चाहिए था!

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: जी हां, अभी आपको जवाब देता हूँ, my dear.

श्री नीरज डांगी: इसमें गांव का नाम भी जोड़ देते!

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: आप राजपूतों का, क्षत्रियों का कितना अपमान कर रहे हैं! शेखावत साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये पूरे के पूरे राजपूताना को गांव कह रहे हैं। ये महाशय वहीं से आए भी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वहीं के सांसद हैं और राजस्थान को गांव कह रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, उन्होंने 'जन गण मन अधिनायक' में परिवर्तन करने का अधिकार दिया और 'वंदे मातरम्' लिखते समय 'वंदे मातरम्' के दो छंद गाए जाएंगे, इसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का गाना, जिसने आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया, उसका सम्मान, यानी 'वंदे मातरम्' मायने क्या! ...**(व्यवधान)**... राजेन्द्र प्रसाद जी अगर चाहते, तो वंदे मातरम् की दो लाइनों की चर्चा नहीं कर सकते थे! लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यह संविधान सभा की बैठक थी, यह देश का कानून बना रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि 1937 में कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी में सारा [‡] किया है, इस [‡] को हम संविधान सभा में लागू नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने वंदे मातरम् की दो लाइनों का जिक्र नहीं किया, पूरे वंदे मातरम् का जिक्र कर डाला।

[‡] Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कितना बड़ा भ्रम था! इस भ्रम को दूर किया जाना इस देश के लिए जरूरी इसलिए है कि यह किताब, एक तो फर्जी वाली, बिना कागज की, बिना उसमें कुछ लिखे हुए ये लाल किताब लेकर चलते हैं, ये कभी उसको पढ़ते तो हैं नहीं, तो इन्होंने संविधान सभा की उस अंतिम दिन की बहस को भी नहीं पढ़ा होगा, तो इनको मालूम क्या है? जब मालूम नहीं है, तो 1937, कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस, आज के दिन भी ये उसी धुन में रहते हैं। कांग्रेस और संविधान सभा, दो अलग चीजें हैं। संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, बहुत से और भी लोग थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं संविधान सभा के एक व्यक्ति की चर्चा करना चाहूंगा, जो कांग्रेसी था और मैं चाहूंगा कि यह सदन नोट करे कि उस व्यक्ति ने सदन की बैठक में क्या कहा। उस व्यक्ति का नाम था - सेठ गोविंद दास। मध्य प्रदेश के लोग जानते होंगे, वे तीन बार कांग्रेस के जबलपुर से सांसद रहे हैं। वे संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने वंदे मातरम् के बारे में क्या कहा? हम तो गुरुदेव की बड़ी इज्जत करते हैं। ये क्या करते हैं, मैं अभी बताता हूँ। अभी बताऊंगा, पढ़ कर बताऊंगा और चाहूंगा कि ये चिल्ला-चिल्ला कर बताएं कि गलत है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : आपके पास समय कम बचा है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सेठ गोविंद दास ने कहा। सर, थोड़ा समय दीजिए, फिर तो नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : वह तो आपके ऊपर होगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : चलिए, अभी हमारी पार्टी का टाइम है। सेठ गोविंद दास ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, "जहां तक राष्ट्रगान का प्रश्न है, मैं कहूंगा कि वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। हमारे देश की स्वतंत्रता का इतिहास वंदे मातरम् से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कहा जाता है कि इसकी धुन का वाद्य यंत्रों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह समस्या संगीत विशेषज्ञों की मदद से दूर की जा सकती है। मीराबाई और सूरदास के भजन सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई धुनों में गाए जा सकते हैं। इसलिए यह सोचना गलत है कि 'वंदे मातरम्' को संगीतबद्ध नहीं किया जा सकता।

महोदय, अब एक लाइन और है, जो मैं वस्तुतः पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उधर से माननीय खरगे जी ने लगातार गृह मंत्री को चुनौती दी और कहा कि आप क्या टैगोर को नहीं मानते हैं? आप क्या टैगोर की इज्जत नहीं करते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप टैगोर की कितनी इज्जत करते हैं। सेठ गोविंद दास ने जो कुछ रबीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा, उसको सुन कर उधर के लोगों के सर शर्म से झुक जाएंगे। सेठ गोविंद दास ने रबीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो कहा, उसे सुन कर आप कूदिएगा नहीं। वे आप ही के सांसद थे। दया करिएगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : आपका बस एक मिनट ही बचा है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सर, ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): पांच मिनट और...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, पांच मिनट नहीं, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आधा घंटा दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): पांच मिनट। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, आधा घंटा दीजिए। ...**(व्यवधान)**... सब लोग मुझे समय दे देंगे। ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं। सब मुझे बोलने देंगे। ...**(व्यवधान)**... मुझे बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... हमारी पार्टी के पास समय है। ...**(व्यवधान)**...

सर, सेठ गोविंद दास ने कहा — "रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 'जन गण मन अधिनायक..' की रचना की है।" अब आगे पढ़िए। इसमें जॉर्ज पंचम ...**(व्यवधान)**... यह मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी रबीन्द्रनाथ टैगोर को भारत का सर्वोत्तम व्यक्तित्व मानती है। प्रश्न यह है कि यह आप मानते हैं या नहीं? आप अभी जिनके कंधे पर रख कर बंदूक चला रहे थे, वह कंधा कितना कमजोर था, आपके सदस्य ने खोला था। उन्होंने कहा — "1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आने पर इसकी रचना की गई।" यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर मत चिल्लाइएगा कि भाजपा उनको अपमानित कर रही है। वह आपका सदस्य था। "इस कविता के द्वारा भारत मां का नहीं, बल्कि ब्रिटेन के किंग, एम्परा का सम्मान किया गया है। 'भारत भाग्य विधाता' शायद यह स्पष्ट करता था कि यह संबोधन अंग्रेजी राजा के लिए था।" उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इनको सेठ गोविंद दास की रचना बुरी लग रही थी, तो क्यों आजादी के बाद इन्होंने उन्हें तीन बार लोकसभा का टिकट दिया? पूरे देश को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1961 में इन्होंने सेठ गोविंद दास को भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार 'पद्म विभूषण' भी दे दिया।*

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं तीसरी बात पर आता हूँ। यहां नेहरू जी की चर्चा बड़ी तगड़ी-तगड़ी आई है। मैं उसको भी पढ़ देता हूँ। आप देखिए कि ये लोग कितना दोहरा आचरण करते हैं। सुभाष चन्द्र बोस, सुभाष चन्द्र बोस - 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर कहते हैं। मैं 1 सितंबर, 1937 का एक पत्र पढ़ता हूँ, अर्थात् वह 20 अक्टूबर के ठीक डेढ़ महीने पहले का पत्र है। यह अली सरदार जाफ़री का पत्र है। अगर आप कहेंगे, तो मैं इसे टेबल पर रख दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): दो मिनट में खत्म कर दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, अली सरदार जाफ़री — यह सब इतिहास के पन्ने में है। उनकी हिम्मत भी नहीं है कि वे इसे मांगें, कहें कि इसे ऑथेंटिकेट करिए।

* Not recorded.

एक माननीय सदस्य: एक बार पढ़ दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: ठीक है। ...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा — "कांग्रेस के किसी गीत को अभी तक राष्ट्रगान नहीं माना है।" यह सही बात थी। उन्होंने सच ही लिखा है। "लेकिन यह सच है कि व्यवहार में राष्ट्र की बैठकों में 'वंदे मातरम्' गाया जाता है।" फिर लिखा — "30 साल के संघर्ष के दौरान, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ चुनौती बनकर के उभरा है।" फिर लिखा — "हजारों लोगों ने देश में इस गीत को गाने का दंड सहा है।" फिर लिखा, यह भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुका है। फिर लिखा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा और मुझे चुनौती दीजिएगा। उन्होंने फिर लिखा कि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा मानता है कि इसमें एक भी शब्द का देवी से कोई मतलब है। माननीय रमजान साहब, मैं दोहराता हूँ, आपके प्रिय नेहरू जी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उनका यह पत्र है अली सरदार जाफ़री को। उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं नहीं मानता हूँ कि देवी का कोई मतलब है, ऐसा मतलब निकालना, उन्होंने अंग्रेजी शब्द, [£] का प्रयोग किया है यानी * है और हम यह नहीं मानते।...**(समय की घंटी)**... प्लीज़। इस किताब को लिखने से दिल में कहीं कोई बात पैदा होगी। मैं यह मानता हूँ कि यह पूरा गाना पूरे शब्द के साथ पूरी तरह से नुकसानरहित है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई। नेक्स्ट, राघव चड्ढा जी। आपके तीन मिनट हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, थोड़ा शोर हो रहा है। कृपया उनको थोड़ा शांत कराइए। मैं कैसे बात करूँ?...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप बैठ जाएँ। ...**(व्यवधान)**... आप बात नहीं करिए। राघव जी, आप शुरू करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राघव चड्ढा: सर, मेरा टाइम जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): मैंने आपके टाइम को रोक रखा है। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): ठीक है, आप केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। ...**(व्यवधान)**... राघव जी, कृपया आप एक मिनट बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, 1971 में इस देश में एक कानून पारित किया गया। ...**(व्यवधान)**... 1971 में इस देश में एक कानून पारित किया गया। उस समय इनकी ही सरकार थी। कानून का नाम था, 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971'. आपको मालूम है कि इन्होंने क्या षड्यंत्र किया? संविधान सभा ने कहा था कि राष्ट्रगीत का वही

[£] Expunged as ordered by the Chair.

स्टेटस रहेगा, जो राष्ट्रगान का रहेगा और उसे बराबर सम्मान दिया जाएगा। अगर संविधान सभा और देश के संविधान के प्रति इनके मन में इतना भर भी सम्मान रहा होता, तो जब यह 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' पास कर रहा था, तब जहाँ ये राष्ट्रगान लिख रहे थे, वहाँ इन्हें राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रगीत भी लिखना चाहिए था। महोदय, ये अपने चालों में कितने कुटिल हैं, यह मैं बताता हूँ। इनको हिम्मत होगी, तो ये खड़े होकर जवाब देंगे। ये अपने चालों में इतने कुटिल हैं कि इन्होंने जब कानून पारित किया, तो यह लिखा कि अगर कोई जान-बूझ कर राष्ट्रगान का विरोध करता है, सिर्फ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं, यह इनका आचरण समझिए, इस देश में आज जो हो रहा है, उसके जड़ में यही लोग हैं, अगर कोई जान-बूझ कर राष्ट्रगान का गाना बाधित करता है और ऐसे गाने के लिए एकत्रित सभा को डिस्टर्ब करता है, तो उसे 3 साल की सजा होगी। देश में कानून बना और उस कानून में एक बार भी यह नहीं लिखा गया कि 1937 में कांग्रेस ने तय किया था कि दो लाइन का 'वंदे मातरम्' गाना गाया जाएगा। देश की संविधान सभा में बहस हुई और यह तय किया गया कि राष्ट्रगीत को उतना ही सम्मान मिलेगा और वही स्टेटस मिलेगा, जो राष्ट्रगान को मिलेगा। इन्होंने कानून बनाया और पीछे के हाथों से जान करके राष्ट्रगीत का गला घोट दिया। ये हत्यारे हैं राष्ट्रगीत के। इन्हें कहना तो यह चाहिए था कि जब राष्ट्रगान गाया जाएगा, तब हर आदमी खड़ा होकर के इस गाने को गाएगा। इन्होंने उसमें यह नहीं लिखा। आज उसी का फल है कि कोई कहता है कि हम नहीं गाएँगे। महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप यह जितना भी समय ले रहे हैं, वह आपकी पार्टी के समय से कटेगा। सर, अब मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। मुरुगन साहब, ...(व्यवधान)... 26 नवंबर, 2025 को सेंट्रल हॉल में "संविधान दिवस" मनाया गया। तब मंच पर 9 लोग थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम तो आप लोग निकाल लेंगे। मैं सभापति महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे एक जांच कमेटी बिठाएँ। जब कार्यक्रम शुरू हुआ और राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम् गाया गया, तो उस मंच पर खड़े 9 लोगों में से वह नेता कौन था, जिसने राष्ट्रगान और वंदे मातरम् को गाने का काम नहीं किया? मैं नाम नहीं बताऊँगा।...(व्यवधान)... वह गर्दन घुमाता रहा, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया। जब आपका इतना बड़ा नेता नहीं गा रहा, तो उस बेचारे की क्या गलती है? इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे माँग है कि उस वीडियो को देखकर, उसकी रिपोर्ट बनाकर इस सभा के पटल पर ऑफिशियली रखी जानी चाहिए। वंदे मातरम्!

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपने जितना ज्यादा समय लिया है, वह आपकी पार्टी के समय में से कटेगा। श्री राघव चड्ढा जी।

श्री राघव चड्ढा: सर, मेरा टाइम देख लीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): जब से आप शुरू करेंगे, तब से हम आपको 3 मिनट देंगे।

श्री राघव चड्ढा: सर, मेरे 3.30 मिनट बचे हुए थे, लेकिन अब उसको तीन मिनट कर दिया गया है और अब आधा मिनट और चला गया है। सर, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका अभी से समय तीन मिनट है।

SHRI RAGHAV CHADHA (Punjab): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the 150th Anniversary of the National Song "Vande Mataram." सर, कई बड़े लोगों ने, बड़े-बड़े नेताओं ने बड़े-बड़े वक्तव्य दिए। मैं सदन का सबसे छोटा सदस्य हूँ और छोटा-सा वक्तव्य देता हूँ। मैंने एक कविता लिखी है, उसके माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, चूंकि मेरे केवल तीन मिनट्स ही हैं, इसलिए मैं एक छोटी-सी कविता सुनाऊँगा, जिसके माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुँचाऊँगा:

"वंदे मातरम् सिर्फ भारत का राष्ट्रगीत नहीं है,
 ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक,
 भारतवासियों की आत्मा का गान है।
 ये हमारी आजादी के आंदोलन का मान है,
 ये हमारे वीर क्रांतिकारियों का स्वाभिमान है।
 ये भारत माता की आन-बान और शान है,
 जिस शान पर देश का बच्चा-बच्चा कुर्बान है।
 वंदे मातरम् मां भारती की स्तुति है,
 भारत की शक्ति, संपदा और बलिदानों की प्रस्तुति है।
 अगर आजादी हुगली की लहर है,
 तो वंदे मातरम् गुलामी पर सतलुज का कहर है।
 अगर जन-गण-मन भारत का सौरभ है,
 तो वंदे मातरम् भारत का गौरव है।
 ये देश-प्रेम की खुशबू है, अपनी माटी का स्वाद है,
 ये शब्दों का गीत नहीं, ये भारत की बुनियाद है।
 ये हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई को एकसूत्र में बांधने वाली आशा है,
 ये वतन के प्रति अनुराग, समर्पण, बलिदानों की परिभाषा है।
 अगर भारत है भावना, तो वंदे मातरम् उसका शाब्दिक अनुवाद है,
 जाति-धर्म, भाषा-बोली और क्षेत्र के गौरव से बड़ा हमारा राष्ट्रवाद है।
 इसमें हिमालय की तरह भगत सिंह और सुभाष का साहस लिखा है,
 रबीन्द्र जैसे महापुरुष और बापू जैसा नायक सिर्फ भारत में दिखा है।
 यहाँ हर नसों में शौर्य, वीरता और बलिदान की गाथा बहती है,
 बंकिम चंद्र चटर्जी की कलम अदभुत महानता की कहानी कहती है।
 जहाँ संस्कार, संस्कृति और सभ्यता साथ चलती है,
 अकेले माँ गंगा की गोद में आधी आबादी पलती है।

भारत कर्म की भूमि है, भारत धर्म का सार है, भारत मानवता का प्रसार है,
 अगर विविधता है दुनिया, तो भारत इस विविधता का संसार है।
 वंदे मातरम् अनंत थार की रेत की कहानी कहती है,
 इसकी धारा गंगा सागर के साथ समुंद्र तक बहती है।
 वंदे मातरम् उम्मीद है दिवाली संग रमजान की,
 ये शक्ति है सद्भाव और एकता के अरमान की।
 ये स्वाधीनता की आत्मा, आनंद मठ की वाणी है,
 अगर हिमालय है जय हिंद, तो ये बंगाल की खाड़ी है।
 वंदे मातरम् चेतना है, प्रेरणा है, परंपरा है, विचार है,
 ये हमारे पुरखों के भारत का आकार है।
 वंदे मातरम् दहक है, वंदे मातरम् लहक है,
 वंदे मातरम् से दुनिया में हिंदुस्तान की महक है।
 वंदे मातरम् सत्य की आग है और समरसता का पानी है,
 ये शिवाजी की शक्ति, मीरा की भक्ति और कबीर की वाणी है।
 ये ख्बाव है भारत को फिर से अखंड बनाने का,
 ये संकल्प है दुनिया में फिर से तिरंगा फहराने का।
 भारत सोने की चिड़िया था और फिर से सोने की चिड़िया बनेगा,
 एक दिन भारत की कहानी पूरी दुनिया कहेगी,
 एक दिन भारत की कहानी पूरी दुनिया कहेगी।"

जय हिन्द! वंदे मातरम्।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Shri S Niranjana Reddy; 11 minutes.

SHRI S NIRANJANA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, it is indeed a rare privilege that I am getting a chance to speak on the 150th anniversary of our National Song. I find this to be a neat coincidence. It is 150 years of the National Song. Sir, 75 years of this song inspired India against British rule and for Independence and 75 years this song continued to inspire India after India became a Republic. This has some significance for me and I will just explain it in a minute. As I mentioned, in the first 75 years, India as a country was still to be formed; so, it united us as people to fight for Independence. So, when India eventually got Independence in 1947 and we were framing the Constitution, we understood the importance and value of having this song to continue to inspire us. This was adopted as a National Song on 24th January, 1950. After independence, it has continued to inspire us now as a nation and not just as people. It has helped us to fight untouchability. It has helped us and united us to fight poverty, against social ills, inequality, for democracy and it has united us to fight

against external wars. My friend, Shri Praful Patel had mentioned about India fighting these external wars to remain united. As we approach 150 years in 2025, I think, the significance for us is that the song *Vande Mataram* continues to celebrate and continues to inspire us for fighting our wars of future. Considering that 65 per cent of Indians today are below 35 years of age, I think, *Vande Mataram* would now need to be reimagined and it needs to be used for reinspiring the people.. My friend, hon. Member, Shri Milind had mentioned about A.K. Rahman's re-rendition of the song that has actually brought a lot of life. I feel that this song can today continue to inspire all political parties to unite on larger national interests. I look to our National Song, *Vande Mataram*, to unite us on economic development. I find this to be the only way to improve the lives of all Indians. We have to keep looking at inspiration from this song to have economic development, to have security that protects us. It is one thing to say that we are the fastest growing major economy or that we are the fourth largest GDP. When we look at other human indices and also look at per capita income, India has a long way to go. I feel the only way we will be able to get there faster -- I have no doubt that every party in this House has this interest in their heart but the way to fastest get there -- is to cast our differences aside and work together. Maybe, all of us need to look at this National Song for inspiration, to say that our political battles will be fought on the fields but when it comes to national interest on larger economic issues, we will come together. We have examples where parties have come together. Take, for instance, GST. It was started by the previous regime but it has been perfected by the present regime. We are seeing the benefits of having one unified tax structure throughout India. We have seen that with IBC. The discussion started in the earlier Government but this Government introduced it and it kept making improvements until it worked. I have a quick example about how one law can make a big difference. When IBC was originally enacted in 2016, the NPA percentage of banks in India was tottering at 10.5 per cent or 11 per cent. The banks were on the brink of collapse. All parties came together. This law was passed. Today, the NPA percentage has come down to 1.5 per cent or 2 per cent. The banks are in the pink of health. They have monies to advance. They can actually be the providers of growth engines for industry today. For tax reforms, across Governments we have been able to come together. I am now imploring that we use this song for inspiring us, for coming together for the major structural reforms. I want to first commend the Government for bringing in the labor code because this is one of the set of major structural reforms that had to be brought in. There are several other major structural reforms. Parties would earlier come together, discuss, agree on a Common Minimum Programme kind of an arrangement where the laws could be passed. I request all the

parties to look at *Vande Mataram* for inspiration, for national interest. Please come together and ensure we have these major structure reforms in place.

Sir, today, we have to look at '*Vande Mataram*', for inspiration and for fighting this tariff war that is imposed on India. Maybe it is a blessing in disguise. We needed a wake-up call. Now, India, casting politics aside, has to come together for undertaking these structural reforms. We need to keep our politics on the field, but in the Parliament, when we are making laws and in the implementation, I am looking at this song. This is what will make my country great. This is, to me, my '*Vande Mataram*'. And, the reason we have it after 75 years—we are having this discussion after 75 years—is that we need to have continued inspiration from songs like this to bring us together for the purpose of national interest. I also want to highlight that this song is something that, again, may have to inspire us against the competitive populism that is increasingly happening in India. We have the Latin American example, where the countries were doing extremely well till the 18th and 19th century. But, before they got developed, they started doing populism. That has set them back perennially. They are still to come out of that struggle. India is on the danger of what happened to Latin America. If we think our politics is important and then we will do competitive populism, my belief is that we will go the Latin American way. I am requesting all the Members, all the parties to look at '*Vande Mataram*' for inspiration. It brought different people, different religions, different communities, different parties together for fighting for our Independence. We now need to fight this for our people, for the purpose of our economic prosperity.

Sir, the last of my suggestions in terms of inspiration that we, as law-makers, can take is in relation to reforms in elections. I am not touching on SIR, as I know there is a separate discussion. My only concern is the increasing expenditure in elections. This is driving common people out. I come from a State, Andhra Pradesh, and my neighbouring State, Telangana, where elections, along with Tamil Nadu and Karnataka, have possibly become one of the costliest elections in the world. We have had by-elections, where one by-election cost was equal to the election expenditure of UK's general elections that were conducted! South has been a guiding light in relation to various aspects. But, in relation to election expenditure, we have set a very bad example and we are exporting our bad practices to the other States. Sir, I compliment Kerala. Kerala is one State that has still been an outlier in the South of India, like several States in the North of India. So, I compliment those States. I request them not to follow our bad example and keep this outside. Lastly, Sir, *...(Interruptions)...* I have said Andhra Pradesh. I am asking you not to learn from Andhra Pradesh.

To conclude, Sir, I feel that we are the largest democracy. We call ourselves the Mother of Democracy, but we will become the greatest democracy when we actually bring in election reforms. One of the major reforms that are coming is one-third reservation for women, but it is high time we look at the other election reforms that need to be brought in.

Sir, to conclude, '*Vande Mataram*' inspires us to work towards it. That is a song that we need to look at. Sir, it is not a song to be looked in a rear-view mirror with regard to what happened in the past. It is a song that is going to be a guiding light and future guidance for us with regard to what we need to do. Having come this far, having fought this hard to reach where we are, let us not waste this opportunity. We all need to forget our differences when it comes to national interest, and if we need inspiration, let us look at '*Vande Mataram*'. Thank you, Sir.

THE-VICE CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is *Mananiya* Sudha Murty; six minutes.

SHRIMATI SUDHA MURTY (Nominated): Thank you, Sir, for giving me an opportunity. I am standing here not as an MP, not as a social worker, philanthropist or an author, I am standing here as a daughter of *Bharat Mata* or Mother India. India is not a country, according to me, but it is a continent. When you travel 150 to 200 Kilometres, you can see different languages, different costumes, different food habits, and different culture, but you are all bound by one Indian culture, that is India, '*Bharat*', or India's culture. Sir, India is like a quilt. Each State is a coloured piece of cloth, and the thread and the needle is '*Vande Mataram*', the National Song, which stitches all that and makes a beautiful quilt.

There is a saying in *Atharva Veda*, "माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः". It means, our mother is our land and we are the children of our motherland. This is not new, for time immemorial, India has been viewed as a mother, and we as her children; the concept of a country as a mother, it is not the boundary, it is not the map, it is not the flag. The concept of motherland as a mother is there in very few countries. Our colleague, Dr. Radha Mohan also talked about that. We view our country as our motherland, as a mother and it is not just a piece of land. How do you define your mother? It is by care, love, affection and unconditional affection. I always make a joke that in life, everything has a price except mother's love and that is what India has given to us; abundant love, respect and unconditional affection. When India was ruled by various powers for thousands of years, we lost our self-confidence, we lost our courage, and we never thought about our self-worth. We were really in a depressed state. At that

time, this song '*Vande Mataram*' came up like a volcano exploding her lava from the tip and the song '*Vande Mataram*' was there for us. I come from a small town known as Hubli. Sir, my grandfather used to tell me—he is no more—that 120 years back, there used to be *Prabhat Pheri*. There was always resistance to the British Raj at that time and there used to be a song starting with *Vande Mataram*. *Vande Mataram* had a magic touch and it made any person, who was a coward, to get up and participate in it. It was the power of that song which made it very popular in all those areas and it started from one end to the other end on all four directions. I am not going to talk about Bankim Chandra Chatterjee and history, etc., as all my colleagues have talked about that. When people sang *Vande Mataram*, they were beaten up and imprisoned. Even when they went to gallows, they always talked not about themselves or their family, instead, they had *Vande Mataram* on their lips and happily accepted the death penalty. The power of *Vande Mataram* is part of our Indian history, part of our DNA, part of our love for our country. It is supposed to be one of the finest songs which awoke all of us when we were sleeping. Sir, I have a small request. In our schools, we teach our children. As a teacher I know that we teach *Jana Gana Mana*, the National Anthem to our children. It takes another three more minutes to teach *Vande Mataram* and we are not teaching that. In the course of time, our children will lose the entire text of *Vande Mataram*. *Vande Mataram* represents our struggle for freedom. We did not get freedom on the silver plate. People have sacrificed for it. People have given their lives, their homes, their family lives. We got it with a great struggle. The struggle is associated with *Vande Mataram*. And this beautiful National Song is not taught to our children in schools. Over a period of time, they will not understand our struggle. It will be unknown to them. So I request the Education Department that particularly, in the formative years in school, at high school level, this should be made compulsory with *Jana Gana Mana* so that our children should learn it by heart. Patriotism is always accompanied by compassion. It is also accompanied by sacrifice and conserving our land. *Vande Mataram* describes all those things like the love for the country, the flora and fauna of our country, the mountains and the rivers, we as children, along with animals, birds, trees, everything, it becomes a part of *Vande Mataram*. *Jai Hind! Vande Mataram!*

7.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Hon. Members, considering the number of hon. Members to speak, the House may sit up to 8.00 p.m. आठ बजे तक बैठने का फैसला हुआ है। Now, the next speaker is Shri Ghanshyam Tiwari.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ विराजमान हैं और आपने मुझे 20 मिनट का समय दिया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम वंदे मातरम् के ऊपर विचार-विमर्श कर रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं और यशोगान कर रहे हैं। मैं इन सब बातों से ऊपर उठकर यह कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में वंदे मातरम् करना आज से नहीं है। अगर विश्व में कोई सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है तो वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहा गया है - “माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः”, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर चर्चा में भगवान राम का उदाहरण दिया गया। जब भगवान राम लंका जीतकर आ रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आप जाकर क्या करेंगे? यह सोने की लंका है। वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि भरत से भी लड़ाई हो जाए, इसलिए आप यहीं रहिए। तब राम जी ने एक बात कही थी:

“अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥”

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

जिस समय भगवान राम ने ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ कहा, उसी समय उन्होंने भी वंदे मातरम् बोल दिया था। यह बात भी बार-बार हो रही थी कि ये 150वीं वर्षगांठ इस समय क्यों मना रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम 150वीं वर्षगांठ इसी की नहीं मना रहे हैं। हमने सरदार वल्लभभाई पटेल की भी जयंती मनाई, बिरसा मुंडा की भी जयंती मनाई, अहिल्याबाई होल्कर की भी मनाई। हमने संविधान दिवस भी मनाया। यह सब मनाने के पीछे कारण है। आज तक राज करने वाले लोगों ने यह कभी नहीं सोचा कि हमें यह क्यों करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि नेतृत्व करने वाले में या राज करने वाले में क्या गुण होना चाहिए, तो उनमें लोक-संग्रह का गुण होना चाहिए, लोक-संपर्क का गुण होना चाहिए, लोक-अर्जन का गुण होना चाहिए। जिस राजनेता में ये तीन गुण होंगे, वह राजनेता सर्वश्रेष्ठ है। नरेन्द्र मोदी जी ने यह करके दिखाया है कि वे लोक-संग्रह कर रहे हैं, लोक-जागरण कर रहे हैं और भारत माता के लिए शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए वे युग-चितक महापुरुष के रूप में इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और हम आज यहाँ पर वंदे मातरम् की चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक ऋषि-परंपरा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि वेद अपौरुषेय हैं, उन्हें किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। वे मंत्रों के दृष्टा थे, उन्होंने मंत्रों को देखा, याद किया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी मंत्र दृष्टा थे। श्री अरविंदो ने कहा है कि Vande Mataram is not a song, it is a mantra और यह भारत के जागरण का मंत्र है। चूँकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत के जागरण का मंत्र लिखा, इसलिए वे भारत की ऋषि-परंपरा के अंतर्गत ऋषि हो गए और हम ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पर एक और परंपरा है। जो हमारे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, वे ऐतराज नहीं करेंगे, इसलिए मैं

खोलकर बोलूँगा, क्योंकि न जयराम रमेश जी कुछ कहेंगे, न प्रमोद तिवारी जी कुछ कहेंगे। ऋषि-परंपरा के अलावा भारत में पिछले 100 वर्षों में एक नई परंपरा चली है - वह है प्रचारक-परंपरा। ऋषि परंपरा की जो अच्छी बातें हैं, वह उनका संरक्षण, उनका विस्तार, उनका प्रचार करती है। उसी प्रचारक परंपरा के मूर्ति मंत्र प्रतीक श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, इसलिए वे इन सारी बातों का अच्छी तरह से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और आज हम यह वर्षगांठ मना रहे हैं।

1857 के बाद देश में एक सुप्त अवस्था में आ गई थी, उसको जाग्रत करने के लिए ऋषि बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना की और हम सब इस बात को जानते हैं कि यह गीत पहले बंगदर्शन में लिखा गया, फिर आनंद मठ में लिखा गया। इसे रवीन्द्रनाथ जी टैगोर ने गाया यह भी सब ने बोला। 1905 में जो बंग भंग हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और सबसे पहले राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की अखंडता के लिए, जो आवाज उठी थी, वह बंग भंग आंदोलन था। 1905 से लेकर 1908 तक सारे देश में यह मंत्र गूंजा और इस मंत्र के कारण इतनी जागृति हुई कि यह जागरण का महामंत्र बन गया, प्रेरणा स्रोत बन गया, प्रेरणा पुंज बन गया। हजारों लोगों ने लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, कोड़े खाए, जेलों में गए और भारत की सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया और उसको भिन्न-भिन्न भाषाओं में बोला गया और ये गीत हमारा आगे चला।

कुछ तारीखें हमको देखनी पड़ेंगी, जिन्होंने इस मंत्र की, इस गीत की प्रतिष्ठा को भी कम किया और भारत के लिए भी हानिकारक हुआ। मुझे माफ करेंगे, 1914 और 1916, जब कांग्रेस ने सेपरेट कांस्टीट्यूएंसिज़, अलग निर्वाचन क्षेत्र का नारा स्वीकार किया और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें मुसलमानों की अलग कांस्टीट्यूएंसि और हिंदुओं की अलग कांस्टीट्यूएंसि स्वीकार की गई। वह सबसे बड़ा पाप था। वहां से पाकिस्तान की नींव रखी गई। उसके बाद दूसरा बड़ा काम हुआ और जिसने राष्ट्र की मूल धाराओं से मुसलमानों को अलग किया, यह बहुत ध्यान देने की बात है। वह खिलाफत आंदोलन था। 1920 और 1922 तक एक खिलाफत आंदोलन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से खिलाफत आंदोलन का समर्थन इस बात पर किया कि कांग्रेस पार्टी खिलाफत आंदोलन का समर्थन इस शर्त पर करेगी कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। वह खिलाफत आंदोलन क्या था? वह तुर्की का था, भारत का नहीं था। जैसे अभी उदाहरण दिया गया कि तुर्की में एक नेता हुए कमाल अतातुर्क, उनको कमाल पाशा भी कहते हैं। आपने नई दिल्ली में एक रास्ते का नाम भी कमाल अतातुर्क मार्ग है। उन्होंने रुढ़िवाद के खिलाफ तुर्की में आंदोलन शुरू किया। उसकी तीन प्रमुख बातें थीं कि टर्की में टर्की की भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि अंग्रेजी में शिक्षा नहीं होगी, अन्य किसी भाषा में भी नहीं होगी। शिक्षा टर्की की भाषा में ही होगी और एक साल का समय नहीं मिलेगा। यह कल से ही करना पड़ेगा और जो नहीं करे, तो अपने घर बैठ जाए। दूसरा, मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे पहली कंट्री वह थी, जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया था कि टर्की में किसी प्रकार का बुर्का नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि खुदा सब भाषाओं को समझता है। उसके लिए सब भाषाएं बराबर हैं, तो हमारे यहां नमाज जो पढ़ी जाएगी, वह टर्की भाषा में होगी। अगर खुदा टर्की की भाषा को नहीं समझता है, तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने तीनों बातें वहां लागू कर दीं। उसके खिलाफ हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। उसका नाम था, खिलाफत आंदोलन। वह खलीफा के खिलाफ हुआ। वह वहां खलीफा था, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। वह आंदोलन हुआ, तो मेरी समझ में नहीं

आया कि जैसे अगर कोई ढोलक तो बजाए दिल्ली में और उसकी आवाज आए मुम्बई में। लड़ाई हो रही थी तुर्की में, आंदोलन चला रहे थे भारत में और कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन का समर्थन कर रही थी। यह सबसे बड़ी द्विराष्ट्रवाद की नींव यहां पर रखी गई। यह कांग्रेस में हुआ।

उसके बाद 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को छोटा करने की बात तय कर ली गई। वहीं से भारत के विभाजन की भी नींव रख दी गई। जब इसको छोटा किया गया, तो उसमें तर्क ये ही दिए गए कि इसमें मूर्ति पूजा है, इसमें दुर्गा का नाम है, इसमें कमला का नाम है, इसमें धर्म का नाम है, इसमें विद्या का नाम है और इसके कारण से इसको काट दिया जाए और इसके दो छंद 'सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्' रखे गए और तीन-चार-पांच-छः, इनको काट दिया गया। यह जब हुआ, उसके बाद 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी इसी आधार पर प्रतिपादित करके भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की। अगर कांग्रेस पार्टी इस गीत को नहीं काटती, इस पर संघर्ष करती, इस पर झुकती नहीं, तो मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर में यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। उसके बाद 1947 में इसका विभाजन हुआ। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो गीत 1857 के बाद 1872 में, 1905 में, 1908 में इस देश के जागरण का मंत्र बन गया, उसको काटा गया और काटने के बाद विभाजन की नींव रख दी गई और 1947 में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद जो बात हुई, दुनिया के किसी भी देश ने इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। जर्मनी का विभाजन हुआ था। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बनी, लेकिन साम्यवाद और पूंजीवाद के आधार पर बर्लिन के बीच दीवार खींची गई थी। कोरिया का भी विभाजन हुआ, वियतनाम का भी विभाजन हुआ, युगोस्लाविया का भी विभाजन हुआ, बहुत से देशों का विभाजन हुआ। दुर्भाग्य से एकमात्र देश भारत था, जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। उस विभाजन की विभीषिका इतनी बड़ी विभीषिका थी, जिसमें लाखों लोग तो मारे गए, एक करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकाल दिए गए। इतना बलात्कार हुआ। गाड़ियां भर-भर कर आती रहीं। यह सारी नींव, इस गीत के विभाजन से रूपरेखा बनी और 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन था और 1914 और 1916 का जो लखनऊ का पैक्ट था और मुसलमानों के लिए जो सेपरेट कांस्टीट्यूएंसी की गई, उसका परिणाम हमको यह भोगना पड़ा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, काटा क्या गया, मैं वह बताता हूं। जो तीसरा अंतरा है, उसमें काटा गया - 'शत शत कोटि'। मतलब आपके हजारों गले हैं और हजारों हाथ हैं। इस पैरा को, इस अंतरा को, इस स्टैंजा को काट दिया गया। क्यों काटा गया? इसमें कौन सी मूर्ति पूजा आ गई? यह काटा इसलिए गया, क्योंकि इसमें यह भाव आ रहा था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी शक्ति है, हमारे हजारों हाथ हैं। वह ताकत क्षीण हो गई। युवा जिस ताकत को लेकर चलते थे कि हम भारत के लिए हजारों गले हैं, हजारों कंठ हैं, हजारों हाथ हैं, उन युवकों में वह शौर्य खत्म हो गया। ...(व्यवधान)... वह काम बंद हो गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, फिर दूसरा क्या काटा गया? 'तुम ही विद्या, तुम ही धर्म है', उसको काट दिया गया। भारत से धर्म को काटना और धर्म के लिए यह कहना कि अगर गीत में यह रहेगा, तो विद्रोह हो जाएगा ...।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म को उत्पन्न करने वाली भूमि तो भारतवर्ष है। आज से 1,500 वर्ष पहले तो कहीं अजान नहीं थी, आज से 2,100 वर्ष पहले तो कहीं चर्च या गिरजागर नहीं था। यह भारत ही था, जिसने यह कहा:-

*"धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः।
यः स्यात् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः॥"*

वह धर्म है। वह धर्म इस भारतवर्ष में था और वह धर्म कहता है कि मां की रक्षा करो, मां की पूजा करो। उसमें से आपने उस धर्म को काट दिया। फिर उसमें से दुर्गा, रिपुदलवारणी, बहुबलधारिणी काट दिया। दुर्गा का नाम काटा! शिवाजी जब लड़ रहे थे, तो लोग "जय भवानी" और "जय शिवाजी" कह कर ही तो लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप जो लड़ रहे थे, तो वे "चामुंडा माता की जय" बोल कर ही तो लड़ रहे थे। गुरु गोबिन्द सिंह जी के पुत्रों का बलिदान हुआ। हम 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। उनका बलिदान हुआ और गुरु गोबिन्द सिंह जी लड़े। वे नैना देवी जी के दर्शन करके ही तो रोज आते थे। इतने सारे लोग जो लड़े, दुनिया के अंदर ऐसा कोई इतिहास नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 712 ईस्वी में राजा दाहिरसेन के ऊपर पहला हमला हुआ था। उससे लेकर पहलगवांव के हमले तक आ जाइए, अंग्रेजों के हमले पर आ जाइए, तो दुनिया की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं बची, लेकिन भारत बचा, भारत का धर्म बचा और भारत की संस्कृति बची, क्योंकि यहां उसके लिए लड़ने वाले योद्धा थे। उनकी प्रेरणा "जय भवानी", "जय दुर्गा", "दशप्रहरणधारिणी" थी। आपने उसको काट दिया! फिर उसके बाद ज्ञान को, कर्म को और संगीत को काट दिया। जब किसी देश में से ज्ञान निकल जाए, सरस्वती निकल जाए, दुर्गा निकल जाए, लक्ष्मी निकल जाए, तो वह देश क्या बचेगा? वह देश नहीं बचेगा, वह राष्ट्र नहीं बचेगा, सिर्फ भूगोल बचेगा। जब सिर्फ भूगोल बचेगा, तो उसमें एक तो पाकिस्तान की लाइन खींच दी जाएगी और एक बंगलादेश की लाइन खींच दी जाएगी। अगर यह भूगोल न होकर, सांस्कृतिक राष्ट्र बनता - इस गीत के काटने के बहुत असर हुए। सांप्रदायिकता बढ़ी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कम हुआ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र तो सांस्कृतिक राष्ट्र है, यह भूसांस्कृतिक राष्ट्र है। इसमें व्यक्तियों का एक समूह है, जिनकी समान शत्रु-मित्र भावना है, जो इस देश को मातृभूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि मानते हैं। इसके लिए साफ-साफ कहा गया है:

*"हिमालयं समारम्भ यावत् इन्दु सरोवरम्।
तं देव निर्मितं देशं हिंदुस्थानं समाचरेत्॥"*

हिमालय का पहला शब्द 'हि' है। कन्याकुमारी को संस्कृत में 'इंदु' माने 'चंद्रमा सागर' कहते हैं - 'इंदु सागर।' तो उनके 'ही' और 'न्दु' मिल कर 'हिन्दू' हुआ और यह जो देश है, इसको राष्ट्र कहते हैं। इस राष्ट्र में से अगर धर्म निकाल दिया जाए, तो इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना - यह जो अभी-अभी दक्षिण की और उत्तर की बात हो रही थी, वह किसने की?

जैसे, मैंने कहा कि राम जी ने की और फिर शंकराचार्य जी ने की। वे केरल के कालड़ी गांव के थे। अभी प्रधान मंत्री जी ने केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है। वे केरल से चलकर वहां तक गए और भारत के चारों कोनों पर चारों धामों की स्थापना की।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have one more minute of your time left. So, please conclude.

श्री घनश्याम तिवाड़ी: महोदय, यह भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मेरा इतना ही कहना है कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम 'वंदे मातरम्' गा रहे हैं। हम इसे क्यों गा रहे हैं? हम यहां पर बैठे हैं, हम बहस कर रहे हैं। यह सारा कुछ उन महापुरुषों की देन है। इसलिए हमें आज एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सर, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये कहते हैं कि यह आज क्यों मनाया जा रहा है? मैं आज यह बात साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ — इन्होंने यह बार-बार पूछा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, तो मैं कह रहा हूँ कि एक आजादी तो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई और दूसरी आजादी आपातकाल में हमने लड़कर दिलाई, लोकतांत्रिक सेनानियों ने दिलाई। ...**(व्यवधान)**... हम जेलों में बंद थे, हम मार खाने वाले लोग थे। हम लोग इसीलिए यह बोल रहे हैं कि दूसरी आजादी हमने दिलाई।

महोदय, मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस समय भारत का विभाजन हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन आज नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भारत अखंड रहेगा, 'वंदे मातरम्' बोलेगा और भारत माता की जय बोलेगा, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (Dr. Sasmit Patra): Shrimati Sulata Deo; not present. Shrimati Mahua Maji; not present. Dr. K. Laxman.

डा. के. लक्ष्मण (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सरकार ने बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गाना 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में एक उत्सव मनाने, देशभक्ति जागृत कराने और आने वाली पीढ़ी को भी 'वंदे मातरम्' के महत्व को बताने का एक अवसर दिया है। इतना ही नहीं, हमारे वक्ता ने जैसा बताया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हित के नाते स्वतंत्रता संघर्ष के समय हमारे जितने भी लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान किया, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए आज एक अच्छा अवसर दिया गया है। हमारे डीएमके के मित्र बता रहे थे कि उत्तर-दक्षिण का, खासतौर से तमिलनाडु के भी कई स्वतंत्र सेनानी थे, जिनको इतिहास के पन्ने में जगह नहीं दिया गया। आज 'वंदे मातरम्' के 150वीं वर्ष का ही उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि सरदार पटेल जी का भी 150वीं जयंती भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिन्होंने इस देश की एकता को बनाने का काम किया, 565 रियासतों को मिला कर इस देश की एकता बनाने

का काम किया। इतना ही नहीं, जब *unsung heroes* की बात होती है, तो हमारे बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती वर्ष को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। उसी तरह, गुरु तेज बहादुर सिंह जी का 350वाँ शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है।

आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी ने बताया कि 'वीर बाल दिवस' किस तरह मनाया गया। 'संविधान दिवस' भी मनाया गया। इस तरह से हमें यह इतिहास में पढ़ाया गया है। इसमें दक्षिण-उत्तर का ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से त्याग, बलिदान किया, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए आज एक अच्छा अवसर मिला है। आज माननीय सदस्य बता रहे थे कि तमिलनाडु के भी कई फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र नहीं हुआ है। उनका भी जिक्र होना चाहिए। इस सदन के माध्यम से आज पूरा देश जान ले कि हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और उन्हें 'वंदे मातरम्' गाना ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कैसे जागरूक किया, कैसे प्रेरणा दी। यह आज की पीढ़ी को जानने की जरूरत है। 'वंदे मातरम्' का मतलब मातृभूमि को वंदन करना, नमन करना है। आज हम सुन रहे थे कि कई सदस्य मातृभूमि का भी वंदन नहीं करते हैं और वे ऐसा अपने धर्म के आदेश के अनुसार करते हैं - ऐसा उन्होंने बताया। 'वंदे मातरम्' एक गीत नहीं है, बल्कि यह एक मंत्र है। आज इसके स्मरण करने से, इसका जिक्र करने से पूरा देश जागृत हो गया है। यह इस देश के हित के लिए है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते बार-बार कहते हैं कि *nation first, next party, self last*.

इस नाते हम जमीन पर जो काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम देश को आगे रखते हैं। Bankim Chandra Chatterjee wrote *Vande Mataram* in 1875, and it was first recited by Rabindra Nath Tagore in the year 1896 in Calcutta. When Bengal Partition took place in 1905, this poem raked up the spirit of nationalism among the entire country irrespective of the caste, creed, region, religion or language, and affirmed that we, as Indians, have to protect our motherland. In this way, Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, gave *Vande Mataram* the status of the National Song in the year 1950. आज पूरा देश जान गया है कि इस वंदे मातरम् को भी धर्म के नाम पर किस तरह बांटा गया, काटा गया और फिर धर्म के नाम पर ही इस देश को भी किस तरह बांटा गया। इसके जिम्मेदार कौन थे? हमने देखा कि वंदे मातरम् के साथ भी किस तरह से *vote bank politics* या *appeasement policies* के माध्यम से राजनीति की गई। ऐसा खासतौर से कांग्रेस के द्वारा किया गया, जैसा कि अभी हमारे सदस्य ने बताया।

In the first Congress Session, which took place in Kakinada in the year 1923, when Pandit Vishnu Digambar Paluskar was invited to sing *Vande Mataram*, the then President of the Congress Party, Maulana Mohammad Ali Jauhar, denied Paluskar to sing this song because it would hurt the religious feelings of their community. As the President of the Party, he did not allow Pandit Vishnu Paluskar to sing the song, but that gentleman, keeping in mind the national interest and nationalism in his blood, he sang the full *Vande Mataram* song and saw that the nationalism was protected. This is the history of the Congress Party. Not only that, but in the year 1937, to appease

Muslim League, the Congress Working Committee decided not to sing *Vande Mataram* song officially in their Party's sessions even in the later dates also.

When it comes to my State Telangana, आपके माध्यम से इस सदन के सभी सदस्यों और देश के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पूरे देश को 15 अगस्त, 1947 में आजादी मिली, मगर मैं मूलतः जिस तेलंगाना के हैदराबाद से आता हूँ, उस समय वहाँ हमको आजादी नहीं मिली। वहाँ हम निजाम की हुकूमत में थे। निजाम किसी भी हाल में भारत में विलय नहीं होना चाहता था। वह या तो पाकिस्तान में विलय होना चाहता था या एक अलग इस्लामिक देश बनाना चाहता था। इस पर तेलंगाना के लोगों ने जब वंदे मातरम् के नारे को लेकर निजाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तब निजाम की प्राइवेट आर्मी, रजाकारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार किया और जिन्होंने भी वंदे मातरम् गाया और तिरंगा झंडा फहराया, उनके खिलाफ इस्लामिक आक्रमण किया गया और उनका जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था। ये 13 महीने तेलंगाना का पूरा समाज और वहाँ के गरीबों ने इकट्ठे होकर Chakali Iamma, Dudi Komaraiah, Komaram Bheem, एक आदिवासी नेता और Shoebullah Khan, एक बड़े जर्नलिस्ट, जिनकी ओर से निजाम और रजाकार के खिलाफ आजादी के लिए एक "इमरोज़" पत्रिका निकाली जाती थी, उनके साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि वे सब स्वतंत्र होना चाहते थे, मगर निजाम की हुकूमत में रजाकारों ने उनके दोनों हाथ हैदराबाद में कटवा दिए। इस तरह, ये 13 महीने हमारे पूर्वजों ने किस तरह झेले, इसको और उनके आक्रमण के बारे में आज पूरे समाज और देश को जानना चाहिए। बाद में, जब हैदराबाद रियासत को भारत देश में विलय कराने के लिए सरदार पटेल की बदौलत मिलिट्री बुलाई गई, तब निजाम झुक गया। बाद में, 17 सितंबर, 1948 को हम भारत देश में मिल गए और तब से हम भारतवासी कहलाने लगे। तब अगर सरदार पटेल जी नहीं होते, तो यहाँ तेलंगाना के जितने भी सदस्य हैं, वे आज तेलंगाना में नहीं रहते और तेलंगाना के वासी एवं भारतवासी नहीं कहलाते। आज हम या तो पाकिस्तान, उस्मानिस्तान या और कोई अलग इस्लामिक देश के साथ जुड़े रहते। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत ही संभव हो पाया।

17 सितम्बर, 1948 को हैदराबाद स्टेट का लिबरेशन हुआ, विमोचन हुआ। कांग्रेस पार्टी और मजलिस पार्टी, जो एक राजनीतिक दल है, यह मजलिस पार्टी रजाकार की political outfit है। रजाकार एक प्राइवेट आर्मी थी। आज हम मजलिस पार्टी के सदस्य भी लोकसभा में देख रहे हैं। यह उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। उनके दबाव में आकर मजलिस पार्टी के समर्थन वाली कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक तेलंगाना विमोचन दिवस या Hyderabad Liberation Day नहीं कराया। हमारे हैदराबाद स्टेट के बाकी हिस्से - चाहे कर्णाटक हों या महाराष्ट्र के इलाके - वहां तो Hyderabad Liberation Day मनाया जाता था। मगर यहां मजलिस के दबाव से नहीं मनाया गया। इतना ही नहीं, आज पहली बार मोदी जी के आने के बाद, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पिछले दो साल से तेलंगाना के अंदर तेलंगाना विमोचन दिवस भी मनाया जा रहा है। जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी, जितने भी बलिदान हुए, उनका भी स्मरण किया जा रहा है। यह तेलंगाना का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की यह कटिबद्धता इस देश के लिए है।

आज जब वंदे मातरम् की बात आती है, तो हैदराबाद के अंदर जब पिछली सरकार - यानी उस समय की सरकार - KCR की BRS सरकार थी, तब सरकार के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया गया कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में वंदे मातरम् गीत होना चाहिए। यह Greater Hyderabad Municipal Corporation, जहां सरकार मजलिस के समर्थन से चलती है - चाहे कांग्रेस हो या बीआरएस - वहां किस तरह दबाव में काम होता है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब यह सर्कुलर जारी किया गया, तो मजलिस के नेता और वहां के MLAs ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया। कहा गया कि हैदराबाद शहर के अंदर किसी भी स्कूल में वंदे मातरम् गाना नहीं होना चाहिए। दबाव डालकर उस सर्कुलर को वापस कराया गया। यह कांग्रेस का appeasement है - height of appeasement policy of Congress Party. अभी कुछ दिन पहले, GHMC - जो मजलिस के समर्थन से चल रही कांग्रेस की लोकल बॉडी है - वहां पर जब सरदार वल्लभभाई पटेल का 150 वर्ष मनाया जा रहा था और वंदे मातरम् के 150 वर्ष मनाए जा रहे थे, तभी Greater Hyderabad Municipal Corporation में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की request पर वंदे मातरम् गीत गाया गया, तो मजलिस के लगभग 40 कॉरपोरेटर्स खड़े नहीं हुए और उन्होंने उसका विरोध किया। मजलिस के दबाव में कांग्रेस की सरकार के द्वारा तेलंगाना में आज इस तरह का काम किया जा रहा है। अभी हमारे सदस्य ने बताया है कि वहां हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी की सरकार ने उपचुनाव के दौरान बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के वोट के लिए इतना खुला बयान दिया - “कांग्रेस मायने मुस्लिम, मुस्लिम मायने कांग्रेस।” जयराम रमेश जी को जानकारी होनी चाहिए कि क्या कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रही है या मुस्लिम ही कांग्रेस है? कांग्रेस में अन्य जो लोग हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। इतने बड़े बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया।

आज सदन में भी धर्म के नाम पर वंदन न करने की बात कही गई। इस पर सोचना कुछ पड़ेगा। इसलिए मोदी जी की सरकार के माध्यम से मांग बढ़ी है कि देश भर में एक ही कानून होना चाहिए - धर्म, जाति या भाषा के नाम पर अलग-अलग कानून इस देश में नहीं होने चाहिए। यह मांग इसलिए बढ़ रही है कि हमें अपने देश से प्रेम करना है, इस देश के कानून के हिसाब से चलना है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बढ़ती जा रही है। देशवासियों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ज़रूर लागू होगा।

इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी आदिवासियों को संगठित करके Alluri Sita Rama Raju ने ब्रिटिश के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have about one minute left. Please start wrapping up.

डा. के. लक्ष्मण: उन्होंने वंदे मातरम् बोलते हुए गोली खाई और अपना जीवन समर्पित किया। इसी तरह हैदराबाद में निज़ाम के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी वंदे मातरम् के नाम पर रामचंद्र राव ने बलिदान दिया। उस समय वंदे मातरम् न गाने का सर्कुलर जारी किया गया था। जब उन्होंने गाया, तो 24 कोड़े मारे थे, उससे उनका पूरा शरीर खून से भर गया था, इसकी वजह से आज उनका नाम वन्दे मातरम् रामचंद्र राव हो गया। आज 150 वर्ष मनाने से इन जैसे अन्संग हीरोज़ हैं,

जो इस देश के हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उनको स्मरण करने का अच्छा अवसर मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद देते हुए पुनः आपसे मांग कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सभी रियासतों में वन्दे मातरम् गाना होना चाहिए। इसलिए अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो वन्दे मातरम् गाना जरूरी है और वन्दे मातरम् बोलना जरूरी है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, Dr. K.Laxman. Now, Shri Sat Paul Sharma. This is your maiden speech. Congratulations!

श्री सत पाल शर्मा (जम्मू-कश्मीर): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे वन्दे मातरम् के 150वें वर्षगांठ समारोह पर बोलने का मौका दिया है। प्रधान मंत्री जी का भी आभार, जिन्होंने वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। वन्दे मातरम् का गीत, भारत माता की जय के नारे, ये हमारे जम्मू-कश्मीर के साथ आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी रहे हैं।

सर, पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त, 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारी परिस्थितियां थीं, विडम्बना थी कि जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ विलय 26 अक्टूबर को हुआ। हम लोगों ने विभाजन के इस दर्द को बुरे तरीके से झेला है। मैं देश के उस हिस्से से हूँ, जिसने दो विधान भी देखे हैं, दो निशान भी देखे हैं और हमारे पूर्वजों ने तो दो प्रधान मंत्री भी देखे हैं। इसका कारण यह था कि 17 अक्टूबर, 1949 को, जब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को एक तोहफा दिया था — दो विधान, दो निशान, दो प्रधान और आज समझ सकते हैं कि उसी लड़ाई को लड़ते हुए, वन्दे मातरम् के गीत गाते हुए जो लोग तिरंगा लेकर सड़कों के ऊपर निकलते थे, मैं यह 1952-53 की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती थीं, उनको मार दिया जाता था। जौड़ियां क्षेत्र से हमारे 7 लोगों को, सुंदरबनी से 3 लोगों को, हीरानगर से 2 लोगों को, रामबन से 3 लोगों को और हीरनगर का भीखम सिंह जो था, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसकी शादी को मात्र 7 दिन हुए थे। उसको गोली सिर्फ इसलिए मारी गई कि वह तिरंगा लेकर वन्दे मातरम् गाता हुआ जा रहा था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कैसा भयावह समय, कैसा डरावना समय हमारे जम्मू-कश्मीर ने देखा है। 23 जून, 1953 को भी, हालांकि विपक्ष के बहुत कम लोग यहां पर बैठे हैं, लेकिन पक्ष के लोगों के ध्यान में होगा कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी की शहादत भी इस देश में दो विधान नहीं हो सकते, दो प्रधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते और उस महान शख्सियत ने जम्मू-कश्मीर में यह लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी, मैं आज उनको भी नमन करता हूँ। लगभग 70 वर्ष की त्रासदी आज़ादी के बाद जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ विलय होने के बाद हम लोगों ने अत्याचार देखा है, आतंकवाद देखा है, अलगाववाद देखा है और एक समय ऐसा भी आया, जब देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 5 अगस्त, 2019 को वह काला धब्बा, जो हमें भेंट के रूप में, 370 के रूप में, 35ए के रूप में एक झुनझुने की तरह थमाया हुआ था, उसको हटाया गया और हम आज़ाद हुए।

सर, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद, 35ए हटने के बाद क्या हुआ? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान

में यह बात लाना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे कश्मीर के बच्चों के बस्तों में पत्थर होते थे, वे घर से किताबें लेकर नहीं जाते थे। हमारे यहाँ के गोरखा समाज को उनका हक प्राप्त नहीं था, अगर हमारे यहाँ की बच्चियों की जम्मू से बाहर शादी हो जाती थी, तो जम्मू-कश्मीर की प्रॉपर्टी से उनका हक छिन जाता था, वाल्मीकि समाज, जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, उनके पास उनका हक नहीं था, वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जो पाकिस्तान से उजड़कर जम्मू-कश्मीर के इस खिन्ते में बसे थे, उनके पास न तो असेम्बली में खड़े होने का हक था, न ही वोट डालने का हक था। ये सारे हक नहीं थे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और आप सभी ने जिस तरीके से 5 अगस्त, 2019 को संसद में धारा 370 को हटाया, उसके कारण हम सभी को एक अच्छा वातावरण मिला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज नेशनल कांफ्रेंस के मेरे वे मित्र नहीं हैं, जिन्होंने यह विषय हम सभी के सामने रखा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मात्र तिरंगा लेकर, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम् गीत गाते हुए, नेशनल कांफ्रेंस के ये उस वक्त के ही लीडर थे और इसमें शह किसकी थी? उस वक्त की सरकार के माध्यम से, उस वक्त के प्रधान मंत्री जी के माध्यम से शह मिली थी। आप सोचिए कि हम लोगों ने कितने तशद्दुद का वातावरण देखा है।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत कार्य किए हैं। यदि मैं जम्मू-कश्मीर के लिए गिनना चाहूँ, तो अनगिनत कार्य हुए हैं। अगर हम लोग पूरे देश भर में भी गिनें, तो शायद दिन लग जाएंगे, लेकिन एक बड़ा कार्य, जो उन्होंने हम सभी के लिए किया है, वह यह है कि वे हमारी धरोहर, हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान वंदे मातरम् को चर्चा में लाए हैं। उन्होंने स्मार्ट डाक टिकट जारी किए हैं, सिक्के जारी किए हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्य है और हम इसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1875 में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने सर्वप्रथम इसकी रचना की थी। इसकी रचना कोलोनाइज्ड राष्ट्र को जागृत करने के आह्वान के रूप में की गई थी। यह गीत तब राष्ट्रीय चेतना को एक आकार देने में सहायक भी रहा था। देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के बावजूद कांग्रेस ने समय-समय पर इसमें संशोधन किए। 30 अक्टूबर, 1937 को टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, मैं आपको वह बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के मेरे बहुत से मित्र इस सदन में नहीं हैं, लेकिन जो हैं, वे यह सुनें कि 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने साफ कहा कि पहले दो अंतरे गाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता तथा एकता की भावना है। समिति ने स्पष्ट तौर पर सीधे कहा कि आगे के अंतरों में धार्मिक संदर्भ दिए गए हैं, दूसरे लोगों के लिए यह चिंता का विषय है, इसलिए राष्ट्र गीत के केवल दो अंतरों का ही उपयोग किया जाए। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के अपने मित्रों से यह पूछना चाहता हूँ कि कौन थे ये लोग, कौन थे ये दूसरे लोग, कहाँ से आए थे, वे क्या चाहते थे? यह कांग्रेस की मानसिकता थी। वे दूसरे लोग कोई नहीं थे, आज़ादी के बाद किसी के पास सोचने का भी समय नहीं था, अगर किसी के पास सोचने का समय था, तो उन लोगों के पास था, जो उस वक्त सत्ता में थे। मैं आपके माध्यम से इनके ध्यान में यह बात इसलिए ला रहा हूँ कि इन्हें पता होना चाहिए। इनके नेताओं ने बहुत-कुछ कहा, लेकिन सुनने का माद्दा नहीं है, इसलिए वे चुपचाप अपनी बात कहकर चले गए हैं। चार दिन के बाद, 3 नवंबर, 1937 को अमृत बाजार पत्रिका में लेख था, शेख अब्दुल मज़ीद ने कार्य समिति के फैसले की आलोचना की। एक आम नागरिक, वहाँ का आम कार्यकर्ता, उनका आम मेम्बर आलोचना

करके कहता है कि वंदे मातरम् के बदलाव की जगह उसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए और उसकी जगह पर इक़बाल के सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा जैसे सर्वमान्य गीत को लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि अल्लामा इक़बाल कहाँ हैं, क्या अल्लामा इक़बाल भारतवर्ष में रहे?

अल्लामा इक़बाल पाकिस्तान चले गए थे। आपके माध्यम से मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि उस गीत के बारे में एक छोटा कार्यकर्ता, जिसकी कभी बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर वह बोल रहा था, तो किसी के इशारे पर बोल रहा था। कांग्रेस और उसके चाहने वालों का मानना था कि इस गीत की भाषा तथा पृष्ठभूमि आम भारतीयों से जुड़ी हुई नहीं है। इससे सांप्रदायिक संवेदनाएँ भड़क सकती हैं। राष्ट्रगीत सरल तथा सबको जोड़ने वाली हिंदुस्तानी में होना चाहिए। आप सोचिए, यह मानसिकता लेकर कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते थे! मोहम्मद अली जिन्ना का बयान भी देख लीजिए। उन्होंने भी कांग्रेस को कोसा। आप सोचिए, उस वक्त किस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट किया गया था। सर, जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तब हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ों को कांग्रेस ने हमेशा खराब करने की कोशिश की है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1875 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद लोगों के मन में एक आशंका थी कि क्या हम लोग खड़े हो पाएँगे, क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थीं। 1000 ईस्वी में पूरा भारतवर्ष विश्व की एक-तिहाई जीडीपी रिप्रेजेंट करता था। हम लगभग चीन के बराबर खड़े थे। इसके बाद मुगलों का शासन आया, हमारे ऊपर लगातार आक्रमण हुए। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। उस शासन के बाद भारतवर्ष की स्थिति ऐसी थी कि लोगों के मन में आशंका थी कि क्या हम लोग कभी खड़े हो पाएँगे। उसी समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस स्रोत की ज्योति की स्थापना की थी। वंदे मातरम् हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। वंदे मातरम् कहता है...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय सदस्य, आपके पास दो मिनट और हैं।

श्री सत पाल शर्मा: मान्यवर, मैं पन्द्रह मिनट पूरे करूँगा। मैं पन्द्रह मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आपको दस मिनट दिए गए हैं, मैं दो-तीन मिनट एक्सट्रा दे रहा हूँ।

श्री सत पाल शर्मा: मान्यवर, मैं संसद में पहली बार बोल रहा हूँ। आप भी पहली बार बोले होंगे, तब आपको भी 20 मिनट मिले होंगे। मैं कल चीफ व्हिप साहब से भी बात करूँगा कि क्या हमें पहली बार बोलने का भी पूरा मौका नहीं मिलेगा?

महोदय, वंदे मातरम् हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। वंदे मातरम् यह कहता है कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक विचार है और हमारी संस्कृति है, जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बाँधती है।

मान्यवर, आज वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव देश की विरासत के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। यह राष्ट्र के देशभक्तों के सम्मान के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। संग्रहालयों की स्थापना, इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल करना आदि के माध्यम से प्रधान मंत्री जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के कार्यों को निरंतर संरक्षित और सम्मानित किया है। वंदे मातरम् भारत की सच्ची देशभक्ति का धर्म है। इसकी 150वीं वर्षगांठ राष्ट्र को यह भी याद दिलाती है कि वंदे मातरम् केवल गीत नहीं था, बल्कि भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम् भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। उसे भी दमन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने पूरे बंगाल में, स्कूलों और कॉलेजों में इसके सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जारी किए थे। रंगपुर के छात्रों पर जुर्माना लगाया गया। बरिसाल और बेलगाम में जुलूस को कुचलने के लिए लाठीचार्ज किया गया। जिन स्थानों पर वंदे मातरम् गाया जाता था, उन स्थानों की मान्यता रद्द की गई।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना वंदे मातरम् के प्रत्येक भाव का एक गहन महत्व है। मैं यहाँ प्रधान मंत्री जी का एक वक्तव्य जरूर रखना चाहूँगा। यद्यपि यह गीत औपनिवेशिक काल रचा गया था, फिर भी इसके शब्द सदियों की गुलामी की छाया में कभी सीमित नहीं रहे। यह पराधीनता की स्मृतियों से मुक्त रहा, इसलिए वंदे मातरम् आज भी हर युग में प्रासंगिक है। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 'वंदे मातरम्' की रचना की थी, तब भारत अपने स्वर्णिम युग से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमण, लूटपाट और शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों ने देश को गरीबी और भुखमरी से ग्रस्त कर दिया था, इसलिए आज के संदर्भ में भारत के स्वर्णिम युग के पुनरुत्थान के लिए यह एक आह्वान के रूप में कार्य कर सकता है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की सोच की ओर लाना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले वे बंगाल के बारे में जिक्र कर रहे थे। वंदे मातरम् हमेशा से विपक्ष की उपेक्षा का शिकार रहा है। मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा इस्लामी धर्म समूह है। जमात-ए-इस्लामी राजनीतिक समूह है। खुले आम वंदे मातरम् का विद्रोह करते रहे, यह भजन राष्ट्र का प्रतीक है, गैर इस्लामी है और इसे हमने नहीं गाना है। मान्यवर, आपके ध्यान में रहे कांग्रेस ने केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो जमात-ए-इस्लामी द्वारा सपोर्टेड थी, उसके साथ गठबंधन किया था। आप सोचिए, इनकी नीतियां क्या थीं? कांग्रेस की नीतियां हमेशा से इस देश को बांटने में लगी रहीं। सत्ता को पाने के लिए, अगर इस भारत का बड़ा विभाजन हुआ, दो बड़े नेताओं की यही सोच थी कि हम लोगों को इस देश का प्रधान मंत्री बनना है। किसी को सोच थी कि मुझे पाकिस्तान का प्रधान मंत्री बनना है, लेकिन हमारा देश कहां पहुंचा?

आप जब जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर ने भी वह देखा है और यह सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के चलते देखा है। मैं कल देख रहा था कि कल एक महानुभाव कह रहे थे कि कितने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद आतंकवादी आए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से थी, उससे पहले से भी आतंकवाद लगातार फैल रहा था। मैं मंत्री रहा और हम लोगों को डर लगता था कि कब आतंकवादी हमारे घरों में घुस आएंगे, हालांकि वहां पर

सिक्वोरिटी रहती थी, लेकिन एक वातावरण जो वहां पर क्रिएट किया गया था, वह ऐसा था कि जिसके चलते पूरा कश्मीर त्रस्त था। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, it is 16 minutes. You will have to conclude.

श्री सत पाल शर्मा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बस थोड़ी सी बात करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ स्वदेशी के विचार को भी प्रतिध्वनित करती है। आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना हम लेकर चल रहे हैं, वह बिना स्वदेशी के संभव नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

श्री सत पाल शर्मा: प्रधान मंत्री जी ने स्वदेशी खरीदने पर जोर दिया है, ताकि घर का पैसा घर में, देश का पैसा देश में रहे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I will have to move on.

श्री सत पाल शर्मा: यह सब राष्ट्रीय विकास में जाएगा और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। उन्होंने लोक शक्ति का निर्माण करके स्वराज से सुराज बनाने की कल्पना के बारे में कहा था। यह आज देश के प्रधान मंत्री जी के माध्यम से यह संपन्न हो रहा है। मैं पुनः आपका और माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज आपने मुझे इस maiden speech में बोलने का मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत आभार। वंदे मातरम्!

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for calling me and giving me an opportunity to speak on this topic. The greatest pride for all of us is that we were born in this country that is so diverse. I can say with pride that there is no other country like India in the whole world. This diversity defines our country. Diversity defines India. We have got different religions, we have got different languages, we have got different cultures which we cannot see in any other country in the world. Now, the Constitution was drafted with this diversity in mind and the principle of inclusivity was embedded into the Constitution. Naturally, being a pluralistic society, there would be clash of ideas, there would be clash of political ideas, there would be a clash of religious ideas and there would be clash of ideological ideas. Now, to hold everyone together must have been the biggest challenge at that point of time of our forefathers. That particular challenge, of holding everyone together and not to divide, must have been the guiding principle of all our

forefathers. Consensus building must have been the main guiding factor at that point of time. And why was this consensus required? Consensus building was required to build the nation and to move the nation forward. This is reflected in various decisions of our forefathers. But, unfortunately, there have been several instances in the recent past to break this consensus path on which the nation was built. I say that the reason to discuss *Vande Mataram* now, which is a settled subject according to me, is to divert the attention from real and genuine issues.

Sir, I have to flag two reasons over here. One is the impending West Bengal election. Now, before any election, there has to be a narrative. We have seen that. Now, we have seen how Sengol, which is placed in the Lok Sabha now, has been brought from Tamil Nadu as a narrative building exercise. Now, it is a part of the parliamentary procedure over there. This particular Sengol was there as part of change of guard, getting the rule or something of that sort. Now, second is about the distortion of history. From yesterday onwards, we have been hearing about Pandit Nehruji. For whatever wrong, whatever bad things happened to India, the reason is Pandit Nehru! I saw a troll the other day in social media that the real reason for the crisis of Indigo is one man, and that is Pandit Jawaharlal Nehru. So, that is the kind of allegations against Pandit Nehru which, according to me, is completely distorted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, just one minute. Now, we do not need any lesson on patriotism, particularly, from a party which has not participated in the freedom struggle. We have to actually prioritize the issues. There are a lot of burning issues in this country. We cannot actually go out and sing one '*Vande Mataram*' for 50 minutes at India Gate when the Air Quality Index is 400 and 500. This is a priority issue. The free falling rupee is another issue.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, just 30 seconds, I am concluding. Sir, I belong to a party, Indian Union Muslim League, which was founded by Quaid-e-Millath Muhammed Ismail, who was a Member of the Constituent Assembly. This particular party has representation in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha since inception till today.

Therefore, let this '*Vande Mataram*' discussion be an inspiration to fight against air pollution in Delhi; let this '*Vande Mataram*' discussion be an inspiration to fight

against the falling rupee; let this 'Vande Mataram' discussion be a fight against the unemployment; and, let this 'Vande Mataram' discussion be an inspiration to fight against the price rise. *Jai Hind.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Wednesday, the 10th December, 2025.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 10th December, 2025.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)